खण्ड-177, अंक-4
गुरूवार, 8 भाद्रपद, शक संवत् 1878
(30 अगस्त, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 177 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, ३० अगस्त, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२३८)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशरफ़अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, आचार्य
टीकाराम, श्री (बदायूं)
डल्लाराम, श्री

डालचन्द, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बेजूराम, श्री

भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवान सहाय, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
मकसूदआलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूदअली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महराज सिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ारुखी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री

रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शारदाबख्श सिंह, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवनंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथराम, श्री
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ३० अगस्त, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

स्टेट बनाम श्री रामबहादुर सिंह, केस को हाई कोर्ट में ट्रान्सफर करने के लिए प्रार्थना-पत्र

**१—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि स्टेट बनाम श्री रामबहादुर सिंह का मामला जो सेशन जज, कानपुर के इजलास में चल रहा है उस इजलास से ट्रांसफर कराने के लिये वहां की पुलिस की तरफ से हाई कोर्ट में आवेदन-पत्र दिया गया है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और सरकार ने ऐसी आज्ञा वहां की पुलिस को दे दी है?

न्याय मंत्री (श्री सैयदअली जहीर)—जी हां। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में ट्रांसफर ऐप्लीकेशन दी जाने की आज्ञा दे दी गई है। कारण यह था कि पुलिस को डिस्ट्रिक्ट जज, कानपुर के इजलास में न्याय न होने की आशंका थी।

**२—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार ने उक्त मामले की पैरवी के लिये कोई विशेष प्रबन्ध कर रखा है? यदि हां, तो वह क्या और इस समय मुकदमे में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री सैयदअली जहीर—जी हां। सरकार की ओर से श्री एच० एन० सेठ, एडीशनल असिस्टेंट गवर्नमेंट एडवोकेट, इस मुकदमे की डिस्ट्रिक्ट जज, कानपुर के इजलास में और एडवोकेट जनरल ट्रान्सफर एप्लीकेशन की हाई कोर्ट में पैरवी करने के लिए नियुक्त किये गये हैं। सरकार को इस समय मुकदमे में क्या कार्यवाही हो रही है, इसकी जानकारी नहीं है।

श्री गेंदासिंह—क्या न्याय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस को क्या आशंका जज के ऊपर थी और उसने क्या सरकार को लिखा था?

श्री अध्यक्ष—मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। हाई कोर्ट में आवेदन-पत्र दिया हुआ है। वहां यह डिसकस होगा।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं तो जानकारी चाहता हूं कि पुलिस को क्या आशंका थी? उसमें राय का सवाल नहीं है। मैं तो निवेदन करूंगा कि उसमें जानकारी कराने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष—वही तो मैंने कहा कि यह मामला कोर्ट के सुपुर्द है। उस पर अफैक्ट पड़ता है। वे रीजन्स यहां बतलाये जायं जो वहां डिसकस होंगे इसकी मैं इजाजत नहीं देता।

श्री गेंदासिंह—क्या पुलिस ने सरकार को यह लिखा था कि जिला जज, कानपुर से न्याय की आशा नहीं की जा सकती तो उस जज के विरुद्ध सरकार ने क्या किया?

श्री अध्यक्ष—इस प्रश्न की भी मैं इजाजत नहीं देता।

मेरठ में यूनिवर्सिटी खोलने के लिए मुख्य मंत्री के पास डेपूटेशन

**३--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या शिक्षा मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि मेरठ में यूनिवर्सिटी खोले जाने के सम्बन्ध में हाल ही में माननीय मुख्य मंत्री जी से कोई डेपूटेशन मिला है ? यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--जी हां, मेरठ यूनिवर्सिटी की स्थापना के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से हाल में एक डेपूटेशन मिला था। उनका प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह प्रश्न सरकार के कब से विचाराधीन है और कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह--मैं समझता हूं कि शायद एक वर्ष से यह विचाराधीन है लेकिन जो आंकड़े मांगे गये थे उनको उन्होंने अभी तक नहीं दिया और प्रिन्सिपल्स की, जो कालेजेज उससे अफेक्टेड होने वाले हैं--मीटिंग की गई थी। उन प्रिन्सिपल्स ने यह चाहा कि हमारे कालेजेज को यह अधिकार सुरक्षित रहे कि हम अगर मेरठ यूनिवर्सिटी में रहना चाहें तो रहें और अगर न रहना चाहें तो आगरा से ही हम सम्बन्धित रहें। यह एक ऐसी परिस्थिति है कि जिसको पहले सुलझाना अति आवश्यक है और जो खर्चे के आंकड़े उन्होंने दिये थे वे भी शायद फिर से दोहराने के लिये उनके पास भेजे गये हैं।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि कितने खर्चे की आवश्यकता होगी ताकि वहां यूनिवर्सिटी खुल जाय ?

श्री हरगोविन्द सिंह--अभी तो यह निश्चित नहीं है। इसीलिये कई जगह से कहा गया है कि आप इसके सब आंकड़े इकट्ठा करके दीजिये।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जो भवन इस समय कालेज के पास है और जो सामान उसके पास है उसके आंकड़े मांगे गये हैं। उसके अलावा खर्चा जो होगा उसके आंकड़े मांगे गये हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--उसके अलावा भी जो खर्चे होंगे उसी के लिये आंकड़े मांगे गये हैं।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन-कौन से कालेज एफेक्टेड होंगे जिनकी मीटिंग हुई थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--मेरठ यूनिवर्सिटी की जो एक सोसायटी बनी हुई है उसकी स्थापना के लिये उसी ने कालेजेज की मीटिंग बुलाई थी और जो इत्तला मेरे पास भेजी है उसमें यह था।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस डेपूटेशन ने स्थान और बिल्डिंग और कुछ रुपया जो उन्होंने एकत्र किया है वह सब उनके सामने रखा था और उसके बाद क्या निश्चय हुआ ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां, जो रुपये के खर्चे का उन्होंने अन्दाज लगाया था वह बहुत ही कम था।

माटपार रानी, जिला देवरिया में राष्ट्रीय प्रसार सेवा खण्ड खोलने का आदेश

४—श्री सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी** (जिला देवरिया)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला के अन्तर्गत माटपार रानी में जो एन० ई० एस० ब्लाक खोलने का निश्चय हुआ है वह कब तक खुल जायेगा ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)—इस ब्लाक के खुलने के आदेश जारी हो रहे हैं।

श्री सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि माटपार रानी एन० ई० एस० ब्लाक को दूसरी अक्टूबर को चालू करने की कृपा करेंगे जो भारतवर्ष का एक ऐतिहासिक दिन है ?

श्री फूलसिंह—सम्भवतः उससे पहले हो जाय।

श्री सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि माटपार रानी ब्लाक में कितने गांव और कौन-कौन से गांव हैं ?

श्री अध्यक्ष—कितने गांव यह आप बता दें लेकिन कौन-कौन से गांव हैं, यह बहुत लम्बा प्रश्न होने से उसका उत्तर न दें।

श्री फूलसिंह—यह दोनों बातें मैं इस वक्त नहीं बता सकता हूं। मगर सी० पी० ब्लाक का एक हिस्सा काट कर बनाया गया है।

आगरा नहर से राजस्थान को पानी देने का विचार

५—श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगरा नहर से कोई पानी राजस्थान को दिया गया या देने का वादा किया गया है ? यदि हां, तो कितना और उसका असर आगरे की सप्लाई पर क्या पड़ेगा ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—राजस्थान सरकार की प्रार्थना पर वर्षा ऋतु में ४५ से ६० दिन तक आगरा कैनाल से ३०० क्यूसैक्स पानी भरतपुर में सिंचाई के लिये देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। आगरे की सप्लाई पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्षा ऋतु में पानी आगरा की आवश्यकता से प्रायः अधिक होता है। पानी इतने परिमाण में तथा ऐसे समय पर दिया जायगा जब वह हमारी आवश्यकताओं से अधिक होगा।

तारांकित प्रश्न

सोवियट यूथ डेलीगेशन के आगमन पर कानपुर में सार्वजनिक समारोह में मारपीट

*१—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि जब सोवियट यूथ डेलीगेशन गत ४ फरवरी को कानपुर में आया था तो वहां सार्वजनिक समारोह में किसी प्रकार की मारपीट हो गई थी ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—सार्वजनकि समारोह ३ फरवरी को हुआ था। वहां कुछ लोगों ने उपद्रव किया जिसको शान्त करने में कुछ बलप्रयोग करना पड़ा।

*२--श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार उसके पूर्ण विवरण पर सदन में प्रकाश डालने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सोवियत यूथ डेलीगेशन के आगमन पर ३ फरवरी की शाम को कमला क्लब के मैदान में इन्डो सोवियत कल्चरल शो का आयोजन किया गया था जिसमें अनुमान से अत्यधिक भीड़ हो गई। जिन लोगों को बैठने की जगह नहीं मिली थी उन्होंने शो आरम्भ होने पर बार-बार आगे बढ़ना और गड़बड़ी मचाना शुरू किया। ऐसी परिस्थिति में शो रोक देना पड़ा। इस पर लोगों ने ढेले तथा कुर्सियां तोड़-तोड़ कर फेंकी जिससे कुछ पुलिसमैनों को चोटें आईं। शामियाने को गिराने तथा उसमें आग लगाने की भी कोशिश की गई। जब फसादियों को हटाने के लिये दमकल से पानी छोड़ा गया तो उन्होंने ईंट-पत्थर चलाए जिससे एक मैजिस्ट्रेट तथा अनेक पुलिसमैनों को फिर चोटें आईं और भीड़ हटाने के लिये पुलिस को एक हल्का लाठी चार्ज करना पड़ा। इसके बाद कोई गड़बड़ी नहीं हुई।

मंथली बुलेटिन आफ स्टेटिस्टिक्स

*३--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मंथली बुलेटिन आफ स्टेटिस्टिक्स (अर्थ संख्या विभाग की ओर से प्रकाशित) के कितने ग्राहक हैं और वह कितने व्यक्तियों को निःशुल्क दिया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--इस समय की स्थिति के अनुसार Monthly Bulletin of Statistics के ग्राहकों की संख्या ६५ है। निःशुल्क प्रतियां ३६५ व्यक्तियों एवं संस्थाओं को दी जाती हैं। ऐसी पत्रिकायें ग्राहकों के हाथ बेचने के लिये नहीं प्रकाशित की जाती हैं।

(देखिय नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २८५-२८६ पर)

*४--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त बुलेटिन में मुख्यतया Provisional figures ही छपते हैं ? अगर हां, तो फाइनल फिगर्स कब तक छपने की व्यवस्था होना सम्भव होगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं। परन्तु जो Provisional figures होते हैं उनके पक्के हो जाने पर शीघ्रातिशीघ्र पक्के आंकड़े छाप दिये जाते हैं।

*५--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि National Income Enquiry तथा Cost of Cultivation Enquiry के Random Sampling हेतु प्रदेश में कौन-कौन से शहर तथा गांव छांटे गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार ने National Income Enquiry के नाम से कोई भी जांच नहीं कराई है। एक जांच Rural Income Enquiry के नाम से हो रही है जिसके अन्तर्गत १०२ गांव Random Sampling के आधार पर छांटे गये हैं। उनकी सूची माननीय सदस्य को अलग से भेजी जा रही है। Cost of Cultivation Enquiry के अन्तर्गत प्रदेश में कोई भी गांव Random Sampling के आधार पर नहीं छांटे गये हैं। इन दोनों अन्वेषणों के लिये कोई भी शहर नहीं छांटा गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--इस मंथली बुलेटिन आफ स्टेटिस्टिक्स में ग्राहकों के हेतु वार्षिक शुल्क का भी नियम है और ग्राहकों की संख्या भी ६५ है लेकिन फिर भी सरकार ने यह उत्तर देना मुनासिब समझा कि वह पत्रिका ग्राहकों के हाथ नहीं बेची जा सकती, क्या सरकार इसके कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगी ?

डॉक्टर सम्पूर्णानन्द---यह तो बड़ी सीधी-सी बात है। बहुत से पत्र ऐसे होते हैं कि ज्यादातर उनका खर्चा ग्राहकों से निकलता है। इसमें यह है कि अगर कोई आदमी इसे खरीदना चाहता है तो शौक से खरीद सकता है। लेकिन यह पत्रिका इस आधार पर नहीं निकाली जाती है कि ग्राहकों के चंदे से उसका खर्चा निकाला जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि मंथली बुलेटिन आफ स्टेटिस्टिक्स में छपने वाले कितने आइटम्स की प्रावीजनल फीगर्स छपती है और कितने की फाइनल?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसका कोई साधारण उत्तर नहीं दिया जा सकता। बहुत से आंकड़े स्थायी होते हैं। लेकिन जैसे यह हो इस साल कितनी एकड़ जमीन चावल की खेती में आ रही है, कितनी गन्ने में आ रही है, कहीं बाजार भाव की बात होती है, यह आंकड़े प्रावीजनल होते हैं, क्योंकि बारबार साल में तीन-तीन, चार-चार बार इन चीजों की जांच होती है। तो इस किस्म के आंकड़े प्रावीजनल होते हैं, बकिया स्थायी होते हैं।

श्री गेंदासिंह---क्या बाजार भाव भी प्राविजनल हो सकता है और उसमें भी बदल जाने की संभावना रहती है? जो एक भाव में बिक चुका अनाज वह दूसरे भाव में भी उसी तारीख में बिक सकता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---साधारणतः नहीं। लेकिन फिर भी जहां कि सारे प्रदेश की बात होती है वहां हो सकता है कि जो रिपोर्ट किसी जगह से आयी हो, कहीं गलत निकल गयी हो उसे सही करने की जरूरत पड़ सकती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि पर कैपिटा इनकम जो है यह भी आम तौर पर प्राविजनल इनकम ही छपती रहती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---माननीय सदस्य शायद ठीक कहते हों।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि यह रूरल इनकम इन्क्वायरी और कास्ट आफ कल्टीवेशन इन्क्वायरी किस सन् से अभी चल रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि नेशनल इनकम इन्क्वायरी कमेटी जो गवर्नमेंट आफ इंडिया से मुकर्रर हुई थी उसकी फाइनल रिपोर्ट आ गई है और उसकी फाइनल रिपोर्ट के आधार पर यह नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम बतलाई गई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह तो गवर्नमेंट आफ इंडिया की डिफरेंट है। हमारे यहां तो रूरल इनकम इन्क्वायरी की जांच चल रही है और उसके आधार पर यह बतलाया गया है लेकिन यह जरूर हम समझते हैं कि दोनों के आंकड़ों में असामंजस्य नहीं होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रूरल इनकम इन्क्वायरी के लिये जो गांव छांटे गये हैं वह किस आधार पर छांटे गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वह तो लिखा हुआ है कि रैन्डम सैम्प्लिंग के आधार पर छांटे गये हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि कास्ट आफ कल्टीवेशन इन्क्वायरी के हेतु जो गांव छांटे गये हैं वह किस आधार पर छांटे गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वह तो बहुत सोच-विचार के छांटे गये हैं। रैन्डम सैम्प्लिंग के आधार पर नहीं छांटे गये हैं। पहले ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मांगा गया कि आप अपने यहां से हमको सूची दीजिये। उन्होंने सूची दी। फिर डिस्ट्रिक्ट आफिसर से राय की गई और उसके बाद फिर विशेषज्ञों ने राय दी। मतलब कहने का यह है कि जितने भी भिन्न-भिन्न प्रकार के स्वायल्स हो सकते हैं जितने भी टेन्योर्स हो सकते हैं वह अब आ जायं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर वह गांव छांटे गये हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन गांवों में से कुछ गांवों में अभी तक इन्क्वायरी पूरी हो गई है? यदि हो गई है तो कितने गांवों में?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---एक गांव की इन्क्वायरी तो छप गई है या करीब-करीब छप गई है। शायद बहुत जल्दी आ जायगी। और मैं समझता हूं कि थोड़े ही दिनों के अन्दर दो-तीन गांवों की इन्क्वायरी और जो प्रेस में शायद है, वह भी जल्दी ही आ जायगी।

श्री गेंदासिंह---क्या अभी तक जिसे यू० पी० की पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम समझ रखा है गवर्नमेंट में वह प्राविजनल है और उसमें संशोधन की गुंजाइश है?

श्री अध्यक्ष---इसका तो उत्तर दिया जा चुका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि निकट भविष्य में इस मंथली बुलेटिन आफ स्टेटिस्टिक्स में पर कैपिटा इनकम की प्राविजनल फिगर्स न देकर उसकी फाइनल फिगर्स छापी जायंगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं समझता हूं कि ऐसा आश्वासन देना तो बहुत कठिन है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी गवर्नमेंट आफ इंडिया की पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम की फिगर को ही स्थायी मानकर के अपनी बुलेटिन में छापने की कृपा करेंगे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उसको छापना तो बहुत कठिन नहीं है लेकिन उसको स्थायी माना जाय कि न माना जाय यह मैं नहीं कह सकता। अगर हमारी फिगर्स स्थायी नहीं हैं तो उनकी फिगर्स स्थायी होंगी इसको तो मैं नहीं कह सकता अभी।

मिर्जापुर जिले के कोन बिल्ली भारकुंडी क्षेत्रों में विस्थापितों को बसाने की मांग

*६---श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार मिर्जापुर जिले में सोन नदी के दक्षिण भाग में कोन बिल्ली भार कुंडी क्षेत्रों का सर्वेक्षण करा कर ऐसे भूखंडों को खेत बनाकर रेणुका सागर तथा अन्य प्रस्तावित बंधों की डूब में आने वाले विस्थापितों को उसमें बसाने का प्रबन्ध करेगी?

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री धर्म सिंह)---रिहन्द बांध के निर्माण से विस्थापित लोगों को बसाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। दूसरे बांध जो कि मिर्जापुर जिले में सोन नदी के दक्षिणी भाग में बन रहे हैं। वह छोटे हैं बहुत कम लोग प्रभावित हैं। इसलिये सरकार इनको बसाने के लिये कोई खास स्कीम नहीं तैयार कर रही है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितनी भूमि की आवश्यकता आंकी गयी है बसाने के लिये और उसमें से कितनी छांट ली गई है?

श्री धर्मसिंह---यह तो उत्तर में बतलाया गया है कि यह प्रश्न विचाराधीन है कि कितनी जमीन नापी गई है और क्या प्रगति हुई है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभी कुछ मोजे या जमीन निकाली जा चुकी है, जहां पर इन लोगों को बसाया जा सकता है ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है कि कौन-कौन से मोजे हैं जहां प्रबन्ध किया गया है।

पर्वतीय क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों को हिल एलाउन्स न मिलना

*७---श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार पर्वतीय जिलों की महंगाई और यातायात की कठिनाई को ध्यान में रखते हुये जो सरकारी कर्मचारी वहां भेजे जाते हैं उन्हें हिल एलाउन्स देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

श्री धर्मसिंह---जी नहीं।

श्री गोवर्धन तिवारी---क्या यह सही है कि प्रश्न में उल्लिखित कठिनाइयों के कारण पहले जो सरकारी कर्मचारी पहाड़ी हिस्सों में भेजे जाते थे उनको हिल अलाउन्स दिया जाता था ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, यह सही है, पहले दिया जाता था।

श्री गोवर्धन तिवारी---क्या यह सही है कि जब से हिल अलाउन्स बन्द हुआ है तब से जो सरकारी कर्मचारी वहां भेजे जाते हैं उनमें से अधिकांश छुट्टी पर चले जाते हैं या गैरहाजिर रहने की कोशिश करते हैं ?

श्री धर्म सिंह---इसके लिये नहीं कहा जा सकता है कि ऐसी बात है या नहीं।

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इंडियन टिब्बटेन बार्डर टेहरी में हिल अलाउन्स पी० डब्लू० डी०, पुलिस डिपार्टमेंट और ऐजूकेशन में दिया जाता है और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, हार्टिकल्चर और एन० ई० एस० ब्लाक में नहीं दिया जाता है ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है कि किस को दिया जाता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या यह सही है कि १९५१ तक जितने सरकारी कर्मचारी पहाड़ों पर काम कर रहे थे उनको हिल अलाउन्स दिया जाता है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, २५ अगस्त, १९५१ को एक जी० ओ० निकला था उसके अन्तर्गत जो आते थे उनको दिया जाता था।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या इस बात को देखते हुये कि १९५१ के पहले के कर्मचारियों को हिल अलाउन्स मिल रहा है, बाद के लोगों को नहीं मिल रहा तो इस डिसक्रिमिनेशन को दूर करने के लिये सरकार कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री धर्मसिंह---मैंने अर्ज किया वह तो जी० ओ० जो निकला था जिसके आधार पर वह दिया जाता था।

श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी-गढ़वाल)---क्या यह सही है कि इस प्रश्न में जो दिक्कतें बतलाई गई हैं उनको देखते हुये जिन कर्मचारियों का तबादला पहाड़ों पर होता है वह वहां जाने में आनाकानी करते हैं ?

श्री अध्यक्ष---इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगा कि सरकारी कर्मचारियों को हिल अलाउन्स न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री धर्मसिंह---इसका एक कारण यह था कि १९४७ में स्केल रिवाइज किये गये थे और वह लिबरल थे और दूसरी बात यह थी कि डी० ए० बढ़ाया गया था इन्हीं कारणों से वह रोका गया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि यू० पी० पे कमेटी ने विशेष तनख्वाहें नहीं बढ़ाई थीं और डी० ए० भी नहीं बढ़ाया था और यह सिफारिश भी नहीं की थी कि हिल अलाउन्स काटा जाय ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

*८-१०---**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)---[२७ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*११-१३---**श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुजफ्फरनगर)---[हटा दिये गये ।]

हरदोई जिले में जंगबहादुरगंज स्टेशन के निकट बालक का क़त्ल

*१४---**श्री रामसेवक यादव** (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जंगबहादुरगंज स्टेशन, जिला हरदोई के निकट खेत में एक लड़के का कुछ समय पूर्व कत्ल हुआ था जिसकी लाश बाद में पुलिस द्वारा बरामद हुयी थी ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---जी हां । सितम्बर, १९५५ में ऊख के खेतों में एक बालक का कत्ल अवश्य हुआ था किन्तु उसकी लाश उसी गांव के एक व्यक्ति को मिली थी, पुलिस द्वारा नहीं बरामद हुयी थी ।

*१५---**श्री रामसेवक यादव** (अनुपस्थित)---क्या सही है कि उस लड़के की नानी डी० आई ०जी० पुलिस से लखनऊ आकर मिली थी और डी०आई० जी० की आज्ञा पर पुलिस कप्तान हरदोई ने तहकीकात भी की थी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जी हां । किन्तु स्थानीय पुलिस पहले से ही मामले की जांच कर रही थी ।

*१६---**श्री रामसेवक यादव** (अनुपस्थित)---यदि हां, तो उस मामले में आज तक क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री जगन प्रसाद रावत---मामला न्यायालय भेजा गया था किन्तु वहां से छूट गया ।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---जिस लड़के की मृत्यु हुई है, क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि उसकी उम्र क्या थी और उसके कत्ल किये जाने के कारण क्या थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---उस बालक की उम्र १३-१४ वर्ष की थी । ऐसा बताया जाता है कि उसके खेत में कुछ लोग नुकसान करने जा रहे थे, बालक उनको रोकता था इसलिये दूसरे लोगों ने उसका कत्ल कर दिया ।

नोट---तारांकित प्रश्न १४-१६ श्री रामेश्वर लाल ने पूछे ।

*१७-१९--श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---[१२ सितम्बर, १९५६ के लिये प्रश्न ५१-५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*२०-२२--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--[१३ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२३-२४--श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)---[६ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२५-२६---श्री देवकीनन्दन विभव (अनुपस्थित)---[२७ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

विधायक निवास, लखनऊ के मोटर गैराज

*२७---श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि विधायक निवास, लखनऊ में कितने मोटर गैराज हैं ?

श्री धर्मसिंह---३२ ।

*२८---श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कितने मोटर गैराजों में मोटर रहती हैं और कितने गैराजों का प्रयोग अन्य प्रकार से होता है ?

श्री धर्मसिंह---२७ गैराजों में मोटर रहती हैं और शेष ५ गैराजों का प्रयोग अन्य प्रकार से होता है ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार को इस बात की शिकायतें मिली हैं कि गैरेजेज में मोटरें नहीं रहती हैं, बल्कि उनका दूसरा उपयोग होता है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, यह बात ठीक है ।

श्री तुलाराम रावत (जिला लखनऊ)---वह विधान सभा के सदस्यों को एलाट किये गये हैं और माननीय सदस्यों ने दूसरे साहबान को दे रखे हैं या किसी और तरह से उनका प्रयोग कर रखा है ?

श्री धर्मसिंह---वह तो विधान सभा के सदस्यों को एलाट किये गये हैं। माननीय सदस्यों ने दूसरे साहबान को दे रखे हैं या किसी और तरह से उपयोग कर रखा है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी जबकि बहुत से विधान सभा के सदस्यों को गैरेज नहीं मिल रहे हैं, जिनके पास कारें हैं इस बात को ध्यान में रखते हुये जो ५ गैरेजेज अन्य प्रकार से काम में लाये जाने के लिए दी गयी हैं उनको उनसे वापस लेकर उन विधान सभा के सदस्यों को दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री धर्म सिंह---ऐसे बहुत से सदस्य तो नहीं हैं कि जिनके पास कार हैं और उनको गैरेज न दी गयी हो। एक आध ही सदस्य ऐसे होंगे उनसे प्रार्थना की गयी थी कि जो तीसरा विधायक निवास है उसमें ले लें, लेकिन वे राजी नहीं हुये। इसके अलावा इस बात की कोशिश की जा रही है कि जिनके पास कारें नहीं हैं उनको चिट्ठी भेजी गयी है कि वे कृपा करके उन गैरेजेज को खाली कर दें।

श्री तुलाराम रावत---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये गैरेजेज जिन माननीय सदस्यों को दी जाती हैं, उनसे कुछ किराया भी वसूल किया जाता है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां, किराया भी वसूल किया जाता है ।

सरकारी सचिवालय के हिन्दी स्टेनोग्राफर्स

*२९—**श्री गोवर्धन तिवारी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय में ऐसे स्टेनोग्राफर्स भी हैं, जिन्होंने शार्टहैन्ड की परीक्षा हिन्दी में ही पास की है अंग्रेजी में नहीं? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सेक्रेटेरियट में लगभग ११ स्टेनोग्राफर्स ऐसे हैं जिन्होंने केवल हिन्दी शार्टहैन्ड में परीक्षा पास की है।

श्री गोवर्धन तिवारी—क्या यह सही है कि सचिवालय के जो हिन्दी स्टेनोग्राफर हैं उनको स्थायीकरण के समय वह स्थान नहीं मिलता है जो अंग्रेजी स्टेनोग्राफरों को मिलता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसा नहीं है, १९४९ में स्थायी नियुक्तियां हुई थीं। उसके बाद अभी स्थायी नियुक्तियां नहीं हुईं। इस वक्त पब्लिक सर्विस कमीशन से पत्र-व्यवहार हो रहा है। आशा है कि शीघ्र ही वे एक स्पेशल क्वालिफाईंग एग्जामिनेशन लेंगे और उसके बाद सभी स्थायी नियुक्तियां होंगी।

सुल्तानपुर जिले में डकैतियां तथा पुलिस के विरुद्ध शिकायतें

*३०—**श्री रणंजय सिंह** (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि १-१-५४ से ३०, जून १९५६ तक सुल्तानपुर जिला में कब, कहां कितने डाके पड़े, तदर्थ कितने लोग पकड़े गये और कितने दण्डित हुये?

श्री जगनप्रसाद रावत—मांगी गई सूचना संलग्न नकशे में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २८७-२८८ पर)

*३१—**श्री रणंजय सिंह** (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १-१-१९५४ से ३० जून, १९५६ तक सुल्तानपुर जिला में कितने पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें उसके पास आईं और कितने किस अपराध में दण्डित हुये?

श्री जगनप्रसाद रावत—उक्त समय में केवल नौ पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार के पास शिकायतें आयीं। अधिकांश निराधार पायी गईं। केवल एक शिकायत के विषय में एक थानेदार को दंडित किया गया।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जो शिकायतें आयी हैं क्या कोई कार्यवाही उन पर की गयी?

श्री जगनप्रसाद रावत—अध्यक्ष महोदय, मैंने इसका उत्तर दे दिया है।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि थानेदार को दंडित किया गया तो उसको क्या दंड दिया गया?

श्री जगनप्रसाद रावत—दंड का विवरण मेरे पास नहीं है।

*३२—**श्री रणंजय सिंह** (अनुपस्थित)—[२० सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

नोट—तारांकित प्रश्न ३०-३१ राजा वीरेन्द्र शाह ने पूछे।

इलाहाबाद जिले के पूरामुफ्ती थाने में श्री हैदर खां की पुलिस के हाथों मृत्यु

*३३—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या यह सही है कि इलाहाबाद जिले के पूरामुफ्ती थाने में हैदर खां नाम के एक आदमी को २७—७—५६ की शाम को पुलिस थाने पर ले जाकर पीटा गया और वह पीटते पीटते मर गया ? यदि हां, तो क्यों ?

*३४—क्या यह सही है कि २८—७—५६ को हैदर खां के वारिसों को पोस्ट मार्टम के बाद लाश मांगने पर नहीं दी गई और उसको गंगा जी में फेंकवा दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत—पुलिस के विरुद्ध इस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं, जिन पर जांच हो रही है।

*३५—**श्री कल्याणचन्द मोहिले**—क्या सरकार के पास हैदर खां के पिता ने उपर्युक्त घटना के सम्बन्ध में कोई सूचना भी भेजी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां, इस विषय में एक मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय उन आरोपों में से जिनका पता लगाने के लिये उन्होंने आदेश दिये हैं खास-खास बातों को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—आरोप तो जैसा कि प्रश्न में माननीय सदस्य ने पूछा है यही लगाये गये हैं कि पूरामुफ्ती थाने में हैदर खां नाम के एक व्यक्ति को पुलिस पकड़ कर ले गयी और उसे मारा पीटा और वह मर गया और उसकी लाश गंगा जी में फेंक दी गयी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस मामले में कितने आदमी पकड़े गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—पकड़ा तो कोई नहीं गया।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—क्या आनरेबिल मिनिस्टर मेहरबानी फर्मा कर उसकी तफसील बतायेंगे कि कौन-कौन मुअत्तल किये गये और उन पर क्या जुर्म लगाये गये ?

श्री जगनप्रसाद रावत—एक साहब मुअत्तल किये गये हैं जिन पर दफा ७ की कार्यवाही हो रही है।

श्री तुलाराम रावत—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सिलसिले में पुलिस के किस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हो रही है, आया थानेदार है या सिपाही ?

श्री जगनप्रसाद रावत—आरोप सिपाही के ही विरुद्ध है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच कब से हो रही है और कब तक समाप्त हो जायगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जांच शुरू हुये लगभग एक महीना हो गया और जब शहादतें खत्म हो जायंगी तो जांच भी खत्म हो जायगी।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो जांच करायी जा रही है वह किसके द्वारा हो रही है ?

श्री अध्यक्ष--यह उन्होंने बता दिया कि मैजिस्ट्रेट के द्वारा हो रही है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगी कि हैदर खां किस जुर्म में थाने पर ले जाया गया था ?

श्री जगनप्रसाद रावत--उनके ऊपर आरोप यह था कि उनके पास गैरकानूनी तरीके से शराब थी ।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कुल एक ही आदमी मुअत्तल है ?

श्री अध्यक्ष--यह तो उन्होंने बता ही दिया ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की मेहरबानी फरमायेंगे कि यह हैदर खां जिसको पूरा मुफ्ती थाने में मारा गया वह वहीं मर गया या अस्पताल आकर मरा ?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह तफसील मेरे पास इस समय नहीं है ।

*३६--**श्री राजनारायण** (जिला वाराणसी)--[२० सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

गोंडा जिले के वजीरगंज थाने और गोंडा कोतवाली में मारपीट की वारदातें

*३७--**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में थाना वजीरगंज और कोतवाली गोंडा में १ जुलाई सन् १९५६ ई० से ३१ जुलाई सन् १९५६ ई० तक कितने कत्ल हुये और कितने व्यक्ति पिस्तौल व बन्दूक की गोली से घायल हुये और कितने व्यक्ति लाठी या हाकी द्वारा घायल हुये हैं ? क्या सरकार उनके ग्राम और नाम तथा किन कारणों से कत्ल किये गये हैं, उसका पूरा विवरण मेज पर रखेगी ?

*३८--क्या सरकार बतायेगी कि उपर्युक्त कत्लों में कितने व्यक्तियों की नामजद रिपोर्ट थाने में लिखाई गई और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और कितने व्यक्ति फरार हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत--कत्लों के बारे में पूर्ण विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २८९ पर)

*३९--**श्री गंगाप्रसाद**--क्या यह सत्य है कि २९ या ३० जुलाई, १९५६ को गोंडा शहर में जो झगड़ा हुआ उसमें जो व्यक्ति घायल हुये उनकी रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज नहीं की गई और १ या २ बजे रात को बिला बयान दिये उनका स्वर्गवास हो गया ?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी नहीं, जहां तक सरकार को सूचना है झगड़े की रिपोर्ट तो उसी रात लिख ली गयी थी । घायल व्यक्ति को अस्पताल में बेहोश ले जाया गया इसलिये उनका बयान न लिखा जा सका बेहोशी की दशा में ही उनकी मृत्यु हो गयी ।

श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि हरप्रसाद ने जिस अभियुक्त के खिलाफ ४५७ ताजीरात हिन्द और ११० जाब्ता फौजदारी में गवाही दी उसका नाम क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह सब तफसील इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री गंगाप्रसाद--क्या सरकार ने जो रिपोर्ट मंगायी है उसमें जिस अभियुक्त ने हरप्रसाद सिंह को मारा है उसका नाम नहीं आया है और अगर नहीं आया है तो सरकार उस रिपोर्ट को फिर से मंगाने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह तफसील भी मेरे पास इस समय नहीं है ।

श्री गंगाप्रसाद---क्या सरकार को पता है कि जिस व्यक्ति ने श्री हरप्रसाद को मारा है उसके कारण आस-पास के २० गांवों में आंतक फैला हुआ है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)---क्या कयूम खां के परिवार वालों ने उसके मरने के बाद उसी रात को मुख्य मंत्री जी को तार द्वारा सूचना दी कि न उसकी रिपोर्ट लिखी जा रही है और न डाइंग डिक्लेरेशन हुआ ? तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की इस पर प्रकाश डालने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---रिपोर्ट तो उसी वक्त लिख ली गयी थी, इसलिये इन सब चीजों का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बलदेव सिंह (गोंडा)---क्या सरकार को ज्ञान है कि जो रिपोर्ट उस रात को लिखी गई वह कत्ल करने वाले के भाई ने लिखाई थी और कयूम के घरवालों की रिपोर्ट लिखी नहीं गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---माननीय सदस्य की सूचना सही नहीं है ।

श्री बलदेव सिंह (गोंडा)---क्या सरकार इस आधार पर कोई कार्यवाही करेगी कि उनकी रिपोर्ट लिखी नहीं गयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह तो जो संबंधित व्यक्ति हैं जब जिले में कार्यवाही करेंगे तभी होगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या थाना वजीरगंज में इतनी आतंक जनक परिस्थिति को दूर करने के लिये सरकार कोई विशेष उपाय कर रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इसकी कोई आवश्यकता नहीं मालूम होती ।

श्री गंगाप्रसाद---क्या कयूम की मृत्यु के सिलसिले में अस्पताल के डाक्टर की रिपोर्ट सरकार बताने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह तो सभी सवाल जब मुकदमे में आयेंगे तब सामने आयेंगे ।

इंजीनियरिंग शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा माध्यम

*४०---श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या वित्त मंत्री बतायेंगे कि क्या अब भी प्रान्त के इंजीनियरिंग स्कूलों व कालिजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही है ?

श्री धर्मसिंह---जी हां ।

श्री महीलाल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है कि अभी तक इन स्कूलों और कालेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी चला जा रहा है और हिन्दी को कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह---इसके बहुत से कारण हैं । पहला कारण यह है कि इंजीनियरिंग स्कूल में टेक्निकल सब्जेक्टस होते हैं और उनकी वजह से स्टैन्डर्ड की बुक्स जो हैं वे अवैलेबिल नहीं हैं और बाजारों में नहीं मिलती हैं । दूसरा कारण यह है कि अभी तक जो टैक्स्ट बुक्स इत्यादि लिखी गयी हैं वह फौरन राइट्र्स द्वारा लिखी गयी हैं । भारतवर्ष के लेखकों ने उन बुक्स को लिखने का प्रयत्न अवश्य किया है लेकिन कामयाबी नहीं हुई है । तीसरा कारण यह है कि जो टीचिंग स्टाफ है वह पुराना ही चला आता है और इसलिये वह हिन्दी में पढ़ा नहीं सकते हैं ।

श्री महीलाल---क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि कोई निश्चित अवधि वह ऐसी बता सकेगी कि जब इनमें हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ले लेगी ?

श्री धर्मसिंह---यह बतलाया नहीं जा सकता लेकिन फिर भी यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने इंजीनियरिंग में टेक्निकल हिन्दी की टेक्स्ट बुक्स लिखवाने का प्रयत्न किया है ?

श्री धर्मसिंह---इस तरह का तो कोई प्रयत्न नहीं किया गया ।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार जो वर्तमान प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं इन स्कूलों में, उनसे आग्रह करेगी कि वह हिन्दी में पढ़ाने की कोशिश करें ?

श्री धर्मसिंह---जब बाजारों में किताबें नहीं मिलती हैं तो आग्रह किस प्रकार किया जाय ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने हिन्दी में इंजीनियरिंग की टेक्निकल किताबें लिखवाने का प्रयत्न क्यों नहीं किया ?

श्री धर्मसिंह---मैंने अर्ज किया था पहले ही कि यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन हिन्दी किया जाय ।

अलीगढ़ जिले में कासिमपुर हरदुआगंज पावर हाउस की राख का ठेका

*४१---**श्री रामप्रसाद देशमुख** (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कासमपुर हरदुआगंज अलीगढ़ पावर हाउस में कोयला की राख किस प्रकार ठेके पर दी जाती है ?

श्री धर्मसिंह---कोयले की राख का सिमपुर, हरदुआगंज पावर हाउस से हटाने के लिये ठेके दिये जाते हैं । उसके लिये पहले विज्ञापन द्वारा निविदा प्राप्त किये जाते हैं । प्राप्त निविदाओं में से जिस निविदा प्रेषक का मूल्य मुनासिब व सबसे अधिक पाया जाता है, उसे ठेका दिया जाता है ।

श्री रामप्रसाद देशमुख---माननीय मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि यह विज्ञापन जो होता है वह किस तरह से किया जाता है ?

श्री धर्मसिंह---वह तो टेन्डर जो मंगाने का तरीका होता है उसके आधार पर किया जाता है ।

अलीगढ़ शहर पड़ाव दुबे में कथित ट्रक दुर्घटना

*४२---**श्री रामप्रसाद देशमुख**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २६ सितम्बर, १९५५ को अलीगढ़ शहर पड़ाव दुबे पर जो पुलिस ट्रक से दुर्घटना हुयी उसमें कितने आदमी मरे और वह कौन-कौन थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---अलीगढ़ शहर पड़ाव दुबे पर ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुयी ।

*४३---**श्री रामप्रसाद देशमुख**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मृत व्यक्तियों के घरवालों ने सरकार को कोई आवेदन-पत्र दिया था कि उनको मुआविजा दिया जाय ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगन प्रसाद रावत---प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन मरने वाले लोगों के घरवालों ने जो दरख्वास्त दी थी उस पर भी यह लिखा गया कि उनके कोई आदमी नहीं मरे हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जब दुर्घटना नहीं हुयी तो किसी के मरने का सवाल नहीं उठता।

हमीरपुर जिले के तगारी ग्राम में श्री भोला का कत्ल

*४४—श्री तेजप्रसाद सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या यह सत्य है कि गत १६/१७ जून, १९५६ को ग्राम तगारी थाना मुस्करा, जिला हमीरपुर के श्री भोला नामक व्यक्ति का कत्ल हुआ था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां, पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी है।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है जिसमें कोई सफलता नहीं मिली है तो वह सी०आई०डी० द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—अभी कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुयी है। आगे चलकर कोई आवश्यकता महसूस होगी तो जरूर की जायगी।

हमीरपुर जिले के बर्हिगा ग्राम में कथित डकैती

*४५—श्री तेजप्रताप सिंह—क्या यह सत्य है कि गत १०/११ जुलाई, १९५६ की रात्रि को ग्राम बर्हिगा, थाना खन्ना (जिला हमीरपुर) के ३ घरों पर डाका पड़ा ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं, प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*४६-४७—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—[१३ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*४८-५०—श्री ब्रजभूषण मिश्र—[१३ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

बस्ती तथा गोंडा जिलों में रामबरन डाकू का आतंक

*५१—श्री बलदेव सिंह (गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला के अन्दर टिकरी जंगल के नजदीक रामबरन डाकू का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी नहीं।

*५२—श्री बलदेव सिंह (गोंडा)—क्या सरकार को ज्ञात है कि रामबरन ने आज तक गोंडा तथा बस्ती में कितने आदमियों को जान से मारा और कितनों के यहां डकैती डाली ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जिला गोंडा में १ तथा जिला बस्ती में ६ व्यक्तियों को जान से मारा और जिला बस्ती में ४ डकैतियां डाली।

श्री बलदेव सिंह (गोंडा)—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ७ व्यक्ति जान से मरे और ४ के यहां डकैती पड़ी तो यह किस सूचना के आधार पर बताया जाता है कि वहां कोई मरा नहीं है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यदि प्रश्नकर्ता महोदय स्वयं अपने प्रश्न को देखें तो शायद उनको मालूम हो जायगा कि उनका प्रश्न बस्ती जिले के लिये नहीं है। ५१ के प्रश्नोत्तर में कहा गया है कि जी नहीं।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस इलाके में जिस इलाके में आतंक बढ़ने की बात कही जाती है बराबर पिछले वर्षों में डकैतियां और क़त्ल होते रहे हैं क्या उसी के आधार पर वह कह रहे हैं कि वहां आतंक नहीं हो रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह गोंडा जिले के सम्बन्ध में कहा गया वहां मई के बाद कोई घटना नहीं हुई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि रामबरण डाकू का बस्ती जिले में आतंक बढ़ता चला जा रहा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---आतंक बढ़ता नहीं चला जा रहा है, लेकिन पिछले १०, १२, १५ वर्षों में उसने कई वारदातें कीं और उसको कई बार सजा भी हुई है।

श्री बलदेव सिंह (गोंडा)---क्या सरकार के पास इस किस्म की शिकायत आयी है कि टिकरी जंगल गोंडा बस्ती बोर्डर पर पड़ता है, ठेकेदार से उसने मनमाना रुपया वसूल किया है। यह शिकायत सदस्यों और वहां के ठेकेदार द्वारा सरकार के पास आयी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इस तरह की कोई शिकायत ठेकेदार के द्वारा नहीं आयी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार ने रामबरन डाकू के पकड़ने के हेतु कोई इनाम घोषित किया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इनाम घोषित नहीं किया है, लेकिन विशेष रूप से पुलिस और पी० ए० सी० का प्रबन्ध किया गया कि उसके कार्य की देख-भाल करें और उसको पकड़ने की कोशिश करें।

श्री तुलाराम रावत---यह रामबरन डाकू कितने दिनों से फरार है और उसको पकड़ने के लिये क्या क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री अध्यक्ष---इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री तुलाराम रावत---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि यह रामबरन डाकू कितने दिनों से फरार है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यह मैं नहीं बतला सकता कि वह कितने महीने से फरार है।

*५३-५५---**श्री जयेन्द्रसिंह विष्ट** (जिला टेहरी-गढ़वाल)---[२५ सितम्बर, १९५६ के लिये प्रश्न ६६-६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

नैनीताल में विधान सभा सदस्यों के लिए भवन निर्माण योजना

*५६---**श्री गज्जू राम** (जिला झांसी)---क्या यह सच है कि सदस्यों के भवन निर्माण के लिये नैनीताल में सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो कितने भवन निर्माण किये जायेंगे ?

श्री धर्म सिंह---जी हां, सदस्यों के लिये १२ क्वार्टर्स बनाये जायेंगे।

श्री गज्जूराम---क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि इन १२ क्वार्टर्स पर कितना धन व्यय किया जा रहा है ?

श्री धर्मसिंह---प्रत्येक क्वार्टर पर ७ हजार और कुल पर ८४ हजार रुपया व्यय होगा ।

श्री गज्जूराम---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जो १२ क्वार्टर्स बन रहे हैं वह तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में बन रहे हैं तो फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने और बनाये जायेंगे ?

श्री धर्मसिंह---और क्वार्टर्स बनाने का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है । जो उत्तर में बताये गये हैं केवल वही हैं ।

श्री तुलाराम रावत---क्या सरकार यह बतायेगी कि यह जो इन क्वार्टरों का निर्माण हो रहा है तो क्या वह सदस्यों को किराये पर दिये जायेंगे ?

श्री धर्मसिंह---जी हां ।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि नैनीताल में अब तक कितने माननीय सदस्यों के रहने का प्रबन्ध है ?

श्री धर्मसिंह---जितने भी सदस्य वहां जाते हैं तथा कमेटीज इत्यादि में जाते हैं, उन सभी का प्रबन्ध किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश वेतन समिति की सिफारिशें

*५७---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यू० पी० पे कमेटी १९४७ की उन सिफारिशों पर जो अभी तक सरकार के विचाराधीन है कब तक निश्चय हो जायगा ।

श्री धर्मसिंह---उत्तर प्रदेश वेतन समिति की सभी सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जा चुका है ।

*५८---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि कि उक्त कमेटी की वे कौन-कौन सी सिफारिशें हैं जो अभी तक विचाराधीन हैं ?

श्री धर्मसिंह---प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वेतन समिति ने एक सिफारिश यह की थी कि ६० रुपये मासिक तक वेतन पाने वाले निम्न कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाय, सरकार ने इस पर क्या फैसला किया है ?

श्री धर्मसिंह---इस पर विचार किया गया और यह तय हुआ कि इस मांग को स्वीकार न किया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार बतायेगी कि पे कमेटी रिपोर्ट के अन्तिम परिच्छेद के अनुसार कि सरकार के विभिन्न विभागों के अन्दर झगड़ों को तय करने के लिये तथा विभिन्न विभागाध्यक्ष और कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिये विटले कौंसिल सिस्टम को अपनाया जाय, क्या सरकार इस सिफारिश पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---विटले कौंसिल का ऐक्सपेरीमेंट इंगलैंड में जारी किया गया था वहां पर भी यह कोई अधिक सफल नहीं हुआ है । फिर इसके अन्दर कई प्रकार के सरकारी कर्मचारी होते हैं जिनमें से कुछ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट में आ जायेंगे कुछ ऐसे भी होंगे जो बच रहेंगे लेकिन अभी तक तो यही उचित समझा गया है कि यदि उनको कोई शिकायत हो तो वे अपने अफसरों के सामने उनको रखें, यही झगड़ों को निबटाने का सबसे अच्छा तरीका होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार इस बात को देखते हुए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में विटले कौंसिल सिस्टम पर एक्सपेरीमेंट करने का विचार किया है यू० पी० में भी विटले कौंसिल सिस्टम का ऐक्सपेरीमेंट करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार उनके इस एक्सपेरीमेंट को गौर से देखेगी और उसकी गलतियों से लाभ उठाने की कोशिश करेगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इन सभी सिफारिशों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, इस बात को आवश्यक समझते हुये क्या सरकार पे कमेटी पुनः नियुक्त करने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है ।

चपरासियों के हिल एलाउन्स को बढ़ाने की मांग

*५६---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि नैनीताल में पुलिस कार्यालय के चपरासियों तथा अन्य निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को केवल ३ रु० मासिक हिल एलाउन्स मिलता है ? अगर हां, तो क्या सरकार अन्य विभागों की तरह मासिक वेतन का २५ प्रतिशत "हिल एलाउन्स" उपर्युक्त कर्मचारियों को भी देने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जी हां, चपरासियों को ३ रु० मासिक "हिल एलाउन्स" मिलता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे जिनको देखते हुये अन्य कर्मचारियों की भांति चपरासियों को २५ प्रतिशत हिल एलाउन्स नहीं दिया जाता ?

श्री जगनप्रसाद रावत---क्योंकि २५ प्रतिशत और भी लोगों का धीरे-धीरे बन्द करने का विचार है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जो दूसरे कर्मचारियों का २५ प्रतिशत एलाउन्स बन्द करने पर विचार किया जा रहा है वह क्यों ?

श्री जगनप्रसाद रावत---सन् १९५१ में इस पर विचार करने के लिये एक कमेटी बिठाई गई थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही यह किया जा रहा है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार इस २५ प्रतिशत कटौती के निश्चय को स्थगित करके चपरासियों को हिल एलाउन्स देने पर विचार करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---ऐसा अभी कोई विचार नहीं है ।

गोंडा जिले में रूसे डकैत एवं गुण्डों के भयंकर आतंक के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---मेरे पास एक काम रोको प्रस्ताव श्री बलदेवसिंह ने भेजा है, वह इस प्रकार है :---

"गोंडा जिले में रूसे-जैसे डकैतों एवं गुंडों के बढ़ते हुये भयंकर आतंक जिसके परिणाम स्वरूप हत्याओं एवं डकैतियों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ रही है, उदाहरणतः २७, २८ अगस्त की रात्रि को श्री कोकराजसिंह तथा २८, २९ अगस्त की रात्रि को श्री नरेन्द्र सिंह जैसे नागरिक गोली द्वारा मार डाले गये, तथा जिले के विधान सभा के सदस्यों की जान खतरे में है, से उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर विचार करने के लिये सदन अपना आज का कार्य स्थगित करती है।"

इस सम्बन्ध में श्री बलदेवसिंह ने मुझे एक पत्र भी इस आशय का लिखा है कि रूसे नामक डकैत ने डेढ़ मास के अन्दर ६ आदमियों को जान से मारा और तीन आदमियों को बंदूक से जख्मी किया और एक लड़की को जबरदस्ती पकड़ ले गया। इसमें माननीय सदस्य ने लिखा है कि इस पर सदन में विचार किया जाय। मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि उसकी निश्चितता के बारे में वह कृपा करके बतायें कि यह निश्चित कैसे है?

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---अध्यक्ष महोदय, जिन ६ आदमियों को उसने गोली से मारा है, मारा तो ९ आदमियों को है लेकिन ६ आदमी उसी रात्रि को एकाध घंटे के अन्दर मर गये और तीन आदमी घायल अवस्था में अस्पताल में पड़े हैं। उसने विधान सभा के सदस्यों को भी धमकी दे रखी है और रात दिन उसका आतंक बढ़ता जाता है। श्री गंगाप्रसाद एम० एल० ए० जो इस सदन के सदस्य हैं उनकी जान का भी खतरा है। वे ८, १० दिन से अपने घर नहीं गये, वहां से भाग कर गोंडा गये और वहां से यहां चले आये। मुझे भी उसने इस आशय की धमकी दी है क्योंकि मैंने उसके खिलाफ काम रोको प्रस्ताव पेश करने की सूचना ८, १० दिन पहले दी थी। एक आदमी ने सन्देशा कहा है कि वह मुझे भी तलाश कर रहा है। २६ आदमी उसके दुश्मन पहले से डिक्लेअर थे जिनमें से ९ को उसने मारा है। ६ आदमी तो मर ही गये लेकिन २० आदमी और दो विधान सभा के सदस्य, इस तरह से २२ आदमियों के जीवनमरण का प्रश्न है। मैं समझता हूं कि इससे बढ़ कर निश्चित बात क्या हो सकती है कि २२ आदमियों के प्राण की रक्षा की जाय। तो यह बहुत आवश्यक है और निश्चित भी है। अतः आप इसको पेश करने की मुझे अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष---(डाक्टर सम्पूर्णानन्द से) आपको कोई आपत्ति है?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो कुछ जानकारी हो सकती थी वह सवाल के जवाब में दी जा चुकी है और यह भी बतलाया जा चुका है कि वहां पी० ए० सी० कम्पनी की विशेष नियुक्ति विशेष रूप से कर दी गयी है। जहां तक लोगों के जान के खतरे की बात है, मैं समझता हूं कि यों तो कोई किसी की जान का जिम्मा नहीं ले सकता, लेकिन माननीय सदस्यों या किसी और की जान खासतौर पर खतरे में नहीं है मैं नहीं समझता हूं कि आज इस प्रश्न पर बहस करने से क्या नई बात पैदा हो जायगी। इसलिये मैं समझता हूं कि सदन का कार्य स्थगित करना आवश्यक है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि पेश्तर जो प्रश्न का जवाब दिया गया है वह शायद कोई दूसरा डाक् था। वह प्रश्न रामवरन के सम्बन्ध में था। आखिर जब माननीय सदस्य को इस तरह की धमकी दी गई है जिसे वे स्वयं बताते हैं और वे स्वयं आतंकित हैं तो मैं इसको अनिश्चित तो नहीं कह सकता हूं और एक दूसरे सदस्य के बारे में भी जो बात कही गई है वह भी निश्चित है क्योंकि दूसरे सदस्य जो यहां उपस्थित हैं वे इस बात से इन्कार भी नहीं कर

रहे हैं। ऐसी अवस्था में मैं यह उचित समझता हूं कि माननीय सदस्य को यह अनुमति दे दूं कि वे सदन की अनुमति के लिये उसको पेश करें और सदन से अनुमति वे मांग लें। मैं इसको निश्चित समझता हूं और काफी महत्व का भी है जब कि माननीय सदस्य स्वयं आतंकित हैं।

श्री बलदेवसिंह (गोंडा)—अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं सदन से निवेदन करता हूं कि "गोंडा जिले में रूसे जैसे डकैतों एवं गुंडों के बढ़ते हुये भयंकर आतंक, जिसके परिणाम स्वरूप हत्याओं एवं डकैतियों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ रही है, उदाहरणतः २७, २८ अगस्त, १९५६ की रात्रि को श्री कोकराज सिंह तथा २८, २९ अगस्त, १९५६ की रात्रि को श्री नरेन्द्र सिंह जैसे नागरिक गोली द्वारा मार डाले गये। तथा जिले के विधान सभा के सदस्यों की जान खतरे में है इससे उत्पन्न गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

तो अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि गोंडा जिले में रूसे का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि कोई भी आदमी उस १०, १५ मील के एरिया में रात्रि में अपने घर के दरवाजे पर नहीं सोता है, ठीक रात्रि के १०, ११ बजे ही उसकी कार्यवाही होती है और यह भी बतलाया गया कि खासतौर से उसका हल्का कोतवाली है। कुछ लोग अमूमन जोरदार शब्दों में कहते हैं कि उससे रक्षा कैसे हो, पुलिस उससे मिली हुई है। इस प्रकार के गम्भीर आरोप लोग लगाते हैं कि पुलिस की वजह से ही वह पकड़ा नहीं जाता। रात-दिन उसकी कार्यवाही इतनी बढ़ रही है कि उससे सभी आतंकित हैं....

श्री अध्यक्ष—अब आप पूरा विवाद न करें।

श्री बलदेवसिंह (गोंडा)—तो मैं सदन से प्रार्थना करूंगा और आशा करूंगा कि वह इसकी अनुमति देगा कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव पर विवाद के लिये अनुमति देने के पक्ष में हों वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जायं।

(१५ सदस्य खड़े हुए।)

अनुमति देने के पक्ष में केवल १५ की संख्या है और वह कम से कम ३६ होनी चाहिये तब सदन की अनुमति समझी जाती है। इसलिये सदन की अनुमति नहीं है, यही इसका निर्णय है।

भारतीय विद्या भवन, बम्बई द्वारा प्रकाशित 'रेलीजस लीडर्स' पुस्तक के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—दूसरा प्रस्ताव श्री पालीवाल जी ने भेजा है और इसी सम्बन्ध में श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी साहब ने भी मुझे एक पत्र लिखा था। मैं उनको सूचना देना चाहता हूं कि मैंने वह पुस्तक देख ली है और मैं उनका पत्र और पुस्तक माननीय मुख्य मंत्री के पास भेज रहा हूं। पत्र तो उनके पास पहुंच चुका है जो जवाब वह देंगे वह मैं फाखरी साहब को बता दूंगा। जहां तक पालीवाल जी के कामरोको प्रस्ताव का सम्बन्ध है आज एक प्रस्ताव उपस्थित किया जा चुका है और मैंने उसकी अनुमति दे दी थी। अब यहां की प्रथा के अनुसार एक ही प्रस्ताव एक दिन में लिया जाता है, इसलिये उसको मैं कल ले लूंगा और उस पर निर्णय दे दूंगा।

***श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी** (जिला गोंडा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से यह अर्ज करना चाहता था कि कल मैंने जो किताब आप के पास भेजी थी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

और जिसके बारे में कि आप फर्मा रहे हैं कि उसको चीफ मिनिस्टर साहब के पास भेज देंगे लेकिन आज हालत बहुत नाजुक हो गई है जब कि इस किताब को दो तीन अखबारों ने पूरे तरीके से साया करना शुरू कर दिया है और हम या कोई यह नहीं चाहता कि कोई गलत चीज हो जाय। यह चीज इतनी ज्यादा अहम है और डर है और जिससे जान ईमान और मजहब खतरे में है। जनाब ने मुलाहिजा फर्माया होगा कि उससे जो सूरते हाल पैदा होती जा रही है उसके मुताल्लिक मैं अर्ज करूं कि आप वक्त मुकर्रर कर दें या और कोई दूसरी सूरत निकालें वर्ना हमारे लिये तो जिन्दगी दुश्वार हो गई है और हमारी इज्जत जान मजहब सबको खतरा हो गया है और ऐसी नजीर हुजूर को नहीं मिलेगी कि एक तबके....

श्री अध्यक्ष---यह तो आप ने बहस शुरू कर दी। मैं आपको बता दूं, इसका तरीका यह हो सकता है कि जो काम रोको प्रस्ताव आया है वह तो जैसा मैंने कहा है मैं कल लूंगा लेकिन **उस पर विचार करने के लिए अगर माननीय मुख्य मंत्री जी तैयार हों और वह सदन को कोई जानकारी देना चाहें** तो मैं उनको इजाजत दे दूंगा कि वह इस विषय पर प्रकाश डालें।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, जिस किताब में लिखी हुई किन्हीं बातों के आधार पर श्री फाखरी ने आपको लिखा था और श्री पालीवाल जी ने एक काम रोको प्रस्ताव पेश किया वह एक अंग्रेजी की किताब है और ऐसा मालूम होता है कि सन १९५५ में वह बम्बई में छपी थी। इससे पहले इस सदन में बैठने वाले किसी माननीय सदस्य को पता नहीं था, किसी ने उसको नहीं देखा था। अगर किसी ने उसको देखा होता तो निश्चय ही सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया होता। परसों कानपुर से निकलने वाले उर्दू अखबार में बड़े-बड़े हेडिंग देकर एक मजबून छपा जिसमें कि उस किताब के कुछ हिस्सों के अवतरण दिये गये। उस अखबार ने उसे क्यों छापा यह मैं नहीं कहता लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि जो लोग नहीं जानते थे, एक अंग्रेजी की किताब जिसको किसी ने पढ़ा नहीं होगा, जिसका नाम भी न सुना होगा, ऐसा कहा जाता है कि उसमें जो लिखा है उस चीज को महज इश्तयाल बढ़ाने के लिये, लोगों के दिलों में क्षोभ पैदा करने के लिये ऐसी चीज की गई है। शाहिद फाखरी जी ने परसों मेरा ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया। अखबार की कटिंग परसों मेरे सामने आई और आज सुबह मुझे वह किताब मिल सकी है। लेकिन महज किसी अखबार में किसी चीज के लिख देने से तो किसी पर ऐक्शन नहीं लिया जा सकता। वह किताब है। पहले उसे देखा जायगा। हमारे जो कानूनी सलाहकार हैं वे उसे देखेंगे कि इस किताब के लिखने वाले के ऊपर या छापने वाले के ऊपर किसी प्रकार का ऐक्शन हो सकता है या नहीं। उत्तर प्रदेश में जो भी कानून है उसको देखते हुये किताब को प्रेस्क्राइब्ड किया जा सकता है। जब तक इस सम्बन्ध में कानूनी सलाहकार की सलाह नहीं मिलती तब तक हम कोई स्टैप नहीं ले सकते। आज सुबह तक की यही परिस्थिति है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---ठीक है, जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया, लेकिन मैं यह चाहता था कि कुछ घंटे इस पर बहस हो और कुछ और ज्यादा बात बताई जाती, कम से कम यह तो कर ही सकते थे, क्योंकि कानूनी सलाह मिलने में तो १५--२० दिन जरूर लग जायेंगे। वह किताब लाइब्रेरी में भी थी, ४००--५०० किताब बाजार में भी बिक चुकीं और मजमून उसका ऐसा है अगर आपने मुलाहिजा फरमाया होगा, तो देखा होगा कि कोई शरीफ आदमी उसको पढ़ नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष---यह तो आपने बहस शुरू कर दी।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी---वह बिक न सकें इसका यकीन दिला दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह सवाल उठता नहीं। वे कहते हैं कि कानूनी सलाह लिये बगैर वह कोई ऐक्शन नहीं ले सकते। मैं समझता हूं कि अब इस पर कोई बहस हो नहीं सकती क्योंकि वह कानूनी सलाह की बात कह रहे हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—बहस न करें तो सरेदस्त सबको रोक दें . . .

श्री अध्यक्ष—वह आप उनके कमरे में जाकर कहिये।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—उसके कहने के लिये कम से कम वक्त तो दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—यहां पर बहस नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध में एक कामरोको प्रस्ताव भी है कल मैं उसे ले लूंगा और जो निर्णय मुझे देना है वह मैं दे दूंगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—मैंने तीन घंटे के समय के लिये निवेदन किया था, क्या वह भी नहीं हो सकता ?

श्री अध्यक्ष—वह बाहर आप उनसे बातचीत कर लें। यहां पर वह सवाल पैदा नहीं होता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि वह शायद आपने स्पष्ट कर दिया कि जो कुछ वक्तव्य अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है उससे मेरे काम रोको प्रस्ताव पर कोई असर नहीं पड़ता, उसे कल जरूर लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष—जी हां।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—तीन घंटे के लिये मैंने जो समय मांगा है ?

श्री अध्यक्ष—यह सवाल जो है आप माननीय मुख्य मंत्री जी से बाहर तै कर लें या आप सवाल भेज दीजिये बाकायदा मेरे पास।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—मैं कल ही भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष—शार्ट नोटिस क्वेश्चन आप भेजिये।

दण्ड विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५६ तथा उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५ के लिये कार्य परामर्शदात्री समिति द्वारा समय निर्धारण के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य परामर्शदात्री समिति ने अपनी २९ अगस्त, १९५६ की बैठक में निश्चय किया है कि निम्नलिखित विधेयकों के लिये उनके सामने दिया समय निर्धारित किया जाय।

दंड विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५६ ..... ४ घंटे

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५५, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत हुआ है, पर विचार तथा पारण..... ८ घंटे।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत (जिला गोंडा)—अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह सदन दंड विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५६ तथा उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था विधेयक, १९५५, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत हुआ है, पर विचार करने के लिये तथा उन्हे पारित करने के लिये कार्य परामर्श दात्री समिति द्वारा समय निर्धारण से सहमत है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध नहीं कर रहा हूं। लेकिन इस प्रस्ताव के संदर्भ में आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि जब इस प्रकार का समय निश्चित किया जाता है, तो समय निश्चित होने में हम जैसे लोग जो इंडिपेंडेंट हैं उनकी कोई आवाज रहती ही नहीं। लेकिन जैसे यह ८ घंटा समय निश्चित किया तो उस समय में इस बात का विभाजन भी नहीं होता कि कितना समय सामान्य विवाद के लिये है और कितना अमेंडमेंट के लिये। और इसलिये ऐसा होता है और हो चुका है कि कभी-कभी महत्वपूर्ण संशोधन आने नहीं पाते और गिलोटीन हो जाते हैं। इसलिये जब २ ऐसा समय निश्चित किया जाय तब मेरी प्रार्थना यह है कि इस बात का समय विभाजन भी निश्चित कर दिया जाय कि इतना समय संशोधन के लिये और अमुक-अमुक संशोधन के लिये होगा जिससे संशोधन आ सकें।

श्री अध्यक्ष—श्री पालीवाल जी ने जो सुझाव रखा है वह उचित है, लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें कार्य परामर्शदात्री समिति यह समझती है कि ऐसा बंटवारा पहले से न किया जाय। वैसे हरदम वह बंटवारा किया करती है। इसमें यह था कि पहले जो विधेयक है उसमें केवल ६ खंड हैं और सामान्य विवाद के लिये बंटवारा कर देने से यह हो सकता है कि संतुलन न बाकी रहे। बल्कि सदन में ही यह सुझाव, सदन में जैसे बहस छिड़ेगी उसके हिसाब से समय का बंटवारा कर दिया जायगा, लेकिन ४ घंटे अधिक से अधिक इस विधेयक के पारित करने में लगने चाहिये। यह निश्चय किया गया।

दूसरे नागर क्षेत्र जमींदारी के विषय में प्रवर समिति से चूंकि वह लौटा था तो सामान्य विवाद के लिये तो समय ज्यादा नहीं लगेगा यह मालूम था इसलिये ज्यादातर खंडों पर ही विचार करना सदस्य पसन्द करेंगे, यह समझकर ८ घंटे उसमें दे दिये। इन सब बातों पर यह विचार करके ही परामर्शदात्री समिति ने यह उचित समझा कि सामान्य विवाद और खंडों पर विचार के लिये समय का बंटवारा न किया जाय। आइन्दा मैं समझता हूं हर एक विधेयक के ऊपर बंटवारा कर दिया जायगा। उस आम सिद्धान्त से मैं भी सहमत हूं और समिति भी सहमत है।

अब प्रश्न यह कि 'दंड विधि (अपराधों के प्रशमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५६ पर सामान्य विवाद, विचार तथा पारण और उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था विधेयक, १९५५ जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा स्वीकृत हुआ है, पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिये कार्य-परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तावित समय निर्धारण से सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साधनों पर विचार करने के लिये समय की मांग

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—कल श्रीमन्, आपने यह कहा था कि मैं भी बातचीत करूंगा नियोजन मंत्री और मुख्य मंत्री जी से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साधनों पर विचार करने के लिये समय कुछ निश्चित होने को था। तो शायद आपको कुछ जानकारी इस सम्बन्ध में हो चुकी हो।

श्री अध्यक्ष—मुझे अभी तक तो जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि माननीय मंगलाप्रसाद जी, मुख्य सचेतक, ने कहा था कि वह बातचीत करके मुझे इस विषय में सूचना देंगे। अभी तक मुझे मालूम नहीं हुआ उसके सम्बन्ध में।

कार्य सूची में नगर निगम विधेयक के क्रम में परिवर्तन के सम्बन्ध में जानकारी

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से यह जानना चाहूंगा कल जो कार्यक्रम मिला था उसमें नगर निगम विधेयक आता है इसके बाद। लेकिन आज जो हमारे सामने कार्यक्रम है उसमें समाज कल्याण मंत्री के इस विधेयक के बाद दो दूसरे विधेयक और आ गये हैं। तो मैं जानना चाहूंगा क्या वह विधेयक इस सेशन में आ सकेगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—उसमें यह बात थी कि कार्य-परामर्शदात्री समिति ने चूंकि उसके ऊपर कोई समय निर्धारित नहीं किया और उसके ऊपर यह चर्चा चली थी कि उसके बारे में सरकार से इस बारे में परामर्श करने की आवश्यकता है कि वह उपस्थित होना है या नहीं होना है, इसलिये यह उचित समझा कि उस पर विचार स्थगित किया जाय, परन्तु जिस विधेयक पर समय निर्धारित कर दिया गया है उसको पहले ले लिया जाय और इस बीच में नगर निगम विधेयक के बारे में पूछ कर उसका कोई दूसरा समय निर्धारित कर दिया जायगा, बाद में। यह बात थी।

*उत्तर प्रदेश महिला-संस्था तथा बाल-संस्था (नियंत्रण) विधेयक, १९५५

†(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब समाज कल्याण मंत्री के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश महिला-संस्था तथा बाल-संस्था (नियंत्रण) विधेयक, १९५५ पर विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से आज यह जो विधेयक हमारे सामने पेश है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह भारतवर्ष के लिये और खासतौर से हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गौरव की और बड़े गर्व की बात है। कल हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने और कुछ हमारे ट्रेजरी बेंच के सदस्यों ने जो स्पीचें दीं उनको मैंने सुना, जिसमें कि उन्होंने क्रिटिसिज्म किया और बताया कि समाज की यह कुरीतियां हैं। मेरे मित्र ने कहा कि गवर्नमेंट क्यों यह स्टेप ले रही है, हालांकि उन्होंने खुद उसका समर्थन किया, उन्होंने खुद उसको बताया कि सोसाइटी में गड़बड़ियां हैं। इसलिये मैं उनसे कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने बिलकुल उचित काम किया है।

आज की हमारी जो गवर्नमेंट है वह पीपुल्स गवर्नमेंट है। वह रिप्रिजेंटेटिव आफ दि पीपुल है। हम सब जितने यहां बैठे हैं सब जनता के नुमाइन्दे हैं और जनता के नुमाइन्दों की बनाई हुई गवर्नमेंट है। तो हमारी ड्यूटी है और हमारी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि सोसाइटी में अगर गड़बड़ी है तो हम उसको शोल्डर करें। यह हमने शपथ खायी है और जनता को आश्वासन दिया है कि हम तुम्हारे हर सुख दुख में शरीक रहेंगे। यह हमारा मिशन रहा है और यह हमारी कांग्रेस का मिशन रहा है। तो मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह बिल जो है निहायत पवित्र और निहायत सुन्दर है।

कल यहां पर पुराने इतिहास की उन बातों की चर्चा की गयी, चार-चार हजार वर्ष पहले की मिसालें दी गयीं, लेकन मैं कहना चाहता हूं कि चार हजार वर्ष पहले के जमाने से मित्र का जो कोटेशन दिया उस जमाने और आज के जमाने में अन्तर है। आज संसार के इतिहास में कहीं यह नहीं देखा जा रहा है कि भाई और बहिनों में शादी हो रही है, एक ही मां बाप के जो हों। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि दुनियां बहुत सभ्य हो चुकी है। उसकी सभ्यता दिन-पर-दिन ऊंची जा रही है। अपने देश में जो आर्य समाज संस्था है या विधवा आश्रम जो हैं

*२२ नवम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

†२९ अगस्त, १९५६ की कार्यवाही से क्रमागत।

[श्री शिवनारायण]

इन संस्थाओं में जो हमारी बहनें और मातायें रहती हैं उनकी सुविधा के लिये समाज ने एक सुन्दर कदम उठाया है और समाज सेवियों ने इस काम को किया है। सरकार ने उचित समझा कि जहां गड़बड़ी है उसको ठीक किया जाय और सिर्फ उसी को ठीक करने के लिये उनके इंतजाम को ठीक ढंग से करने के लिये गवर्नमेंट ने उनको अपने हाथ में लिया है। इसमें लिखा है--"टु प्रोवाइड फार दि बेटर कंट्रोल . . .

श्री अध्यक्ष---विधेयक हिन्दी में मौजूद है।

श्री शिवनारायण---अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इंग्लिश का ही है।

श्री अध्यक्ष---लेकिन मैं अंग्रेजी में पढ़ने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री शिवनारायण---तो उसके उचित प्रबंध के लिए यह बिल लाया गया है ताकि उसमें कोई गड़बड़ी न रहे। उनके बेटरमेंट के लिये, उनकी भलाई के लिये यह ऐक्ट हमारे सामने है। किसी ने कहा कि मद्रास की तरह से बड़ा ऐक्ट लाना चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको तो बधाई देना चाहिए इस गवर्नमेंट को कि इस गवर्नमेंट ने इधर एक कदम तो लिया। वेलफेयर स्टेट की जो हमारी पहली मिनिस्ट्री है उसने सबसे पहले इस स्टेप को लिया। किसी भी गवर्नमेंट में, इवेन इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं भी सोशलवेलफेयर का मिनिस्टर नहीं है। हमारी स्टेट ने पहले पहल अपने यहां एक सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री कायम की। मैं तो यह चाहता था कि उनको इस बिल का समर्थन करना चाहिये था और इस गवर्नमेंट को बधाई देनी चाहिये थी कि उसने एक मुनासिब कदम उठाया।

बोर्ड के सिलसिले में मैं दो चार बातें निवेदन करना चाहता हूं। बोर्ड में दो सदस्य असेम्बली के मेम्बरों में से चुनकर जायेंगे, यह ठीक है, और एक कौंसिल वाला यह भी ठीक है लेकिन यह जो दस मेम्बर गवर्नमेंट नामिनेट करेगी, मैं इससे ऐग्री नहीं करता हूं, क्योंकि वी आर इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी को हमें फैलाना है। मैं इसमें उन लोगों से ऐग्री करता हूं जिन्होंने इसका विरोध किया। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार कुल बोझ क्यों अपने ऊपर लेना चाहती है? वह तो वाचमैन की तरह रहे ताकि पब्लिक सर्वेन्ट्स और निकल सकें, सामाज-सेवक पैदा हो सकें। भारत सेवक समाज जो हमारे देश में चल रहा है उसके जरिये से हमारा हर आदमी उसमें मेम्बर हो सकता है, चाहे वह कलेक्टर हो, चाहे एस० पी० हो, चाहे जो कोई हो, हर आदमी उस संस्था में काम कर सकता है, तो इससे यह सिद्ध होगा कि बाहरी आदमियों को जो आप दस मेम्बर चुनने देंगे तो काम अच्छा होगा। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उन दस मेम्बरों में से पांच स्त्रियां होंगी और पांच मर्द होंगे। यह भी बहुत सुन्दर है। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यहां दिया है, कि "इफ ऐनी मेम्बर इज बाई इनफरमिटी आर अदरवाइज रेंडर्ड टेम्पोरेरिली इनकैपेबिल" . . .

श्री अध्यक्ष---आप अंग्रेजी में पढ़ते चले जा रहे हैं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री शिवनारायण---हिन्दी वाला तो है नहीं।

श्री अध्यक्ष---हिन्दी में बोलिये।

श्री शिवनारायण---मैं उसका आशय कह जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, . . .

(कुछ व्यवधान होने पर)

अध्यक्ष महोदय, वे (पीछे की ओर इशारा करते हुए) कोई पुलिस चौकीदार तो नहीं है। मैं आपकी इजाजत से बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---ऐसा नहीं होना चाहिये, आपका कहना वाजिब है ।

श्री शिवनारायण---तो मान्यवर, मेरा कहना यह है कि इसमें जो लिमिटेशन दिया हुआ है कि किसी सदस्य की एबसेंस में उसके स्थानापन्न किसी अन्य सदस्य को सरकार अप्वाइंट करेगी । मैं श्रीमन्, हिन्दी में भी बता सकता हूं और उर्दू में भी बता सकता हूं लोग परेशान न हों । तो मान्यवर, बोर्ड जो बना हुआ है उसमें जब कोई आदमी नहीं रहेगा तो उसके स्थानापन्न में सरकार से चाहता हूं कि सरकार निश्चित रूप से बता दे कि कितने समय में तीन रहेंगे या ५ रहेंगे, कोई समय सरकार निश्चित कर दे ।

लाइसेंसेज के कैंसिलेशन के सम्बन्ध में, जब कैंसिलेशन होगा तो उन लोगों को इत्तला दी जायगी, यह भी ठीक सरकार ने किया, लेकिन इसमें एक बात यह कहनी है कि कल कुछ मित्रों को शंका हो गयी कि सरकार लाइसेंस किन को देगी ? पुरानों पर यह लागू नहीं होगा, जो नये खुलेंगे उन पर लाइसेंसिंग का प्रश्न है ।

दूसरी बात मैं गवर्नमेंट से यह निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट भी अपने अनाथालय और विधवा आश्रम खोले तब ऐसे आदर्श, माडेल, विधवा आश्रम बनेंगे जिनकी दूसरे लोग कापी कर सकें और ठीक ढंग से समाज का काम कर सकें । इसके साथ साथ सरकार से हमारा निवेदन है कि इसका प्रचार खूब ठीक ढंग से गांव में पता लगा कर कि सच्चा समाज सेवक कौन है, करना चाहिये । शिकायतें की गयीं कि लड़कियां बेची जाती हैं । यह सच है, हम लोगों को भी मौका मिला था जब हम लोग छोटे थे और जब मेम्बर नहीं थे । तब मैं आर्यसमाज में काम करता रहा और मैंने देखा है कि ऐसा होता है । बहुत सी स्त्रियां जो भगाई गयीं उनको पकड़ कर उनके घर में पहुंचाया । मिसाल के तौर पर हमारे यहां एक कटई लाल नाम के कार्यकर्ता हैं. . . .

श्री अध्यक्ष---आप नाम किसी का न लीजिये ।

श्री शिवनारायण---मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं । केवल यह कह रहा हूं कि हमारे यहां ऐसे कर्मठ लोग हैं । समाज सेवकों का हाल सरकार के पास पहुंचाना कर्तव्य है । ऐसे आदमी बहुत से आपके प्रान्त में पड़े हुये हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है । तो सरकार जब ऐसा सुन्दर कदम उठाये तो उन लोगों की भी परवाह करे ताकि उन लोगों की रोजी और खाने-पीने का काम चलता रहे ।

५०० रुपया सजा रखी गयी, तो यह कोई गलत काम नहीं हुआ । अगर कोई गलती करेगा तो हमारा जो पुराना कानून बना हुआ है, उसकी मातहती में उनको सजा दी जायगी । इसमें कौन सा गुनाह सरकार कर रही है जो प्रतिबन्ध लगा रही है और उन लोगों के सामने रुकावटें डाल रही है जिनकी शिकायतें हमारे मित्रों ने कीं ? समाज में गड़बड़ियां हैं, अगर नहीं होतीं तो सरकार को क्या गरज थी कि ऐसा विधेयक लाती ? अगर सब लोग नेक-बख्त होते, भले होते, तो कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मेरा सुझाव है कि सरकार इन संस्थाओं के बच्चों को शिक्षा दे, उनसे अच्छी दस्तकारी का काम ले । आज विधवा आश्रमों में हमारी बिधवा माताओं को पढ़ाया जाय, लिखाया जाय और उनसे स्कूलों में मास्टरी करायी जा सकती है । पंचवर्षीय योजना में कितने आदमियों की जरूरत है । चर्खा संघ चलाने के लिए भी आवश्यकता होगी, तो इस प्रकार से उनको कहीं न कहीं लगाया जाय । खाली दिमाग शैतान का घर होता है । आदमी के पास जब काम नहीं होता तो उसको खुराफात सूझती है । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि उनमें सही मानों में सुन्दर शिक्षा तथा ठीक आचार-विचार तभी हम ला सकते हैं जब वह काम में लगी रहें और जब उनकी ड्यूटी हो जायगी तो वह काम में लगी रहेंगी और गड़बड़ी नहीं हो सकती है । इसलिये मैं चाहता हूं कि आश्रमों में सुन्दर चर्खे का काम तथा . . .

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि सुझाव का सवाल नहीं है ।

श्री शिवनारायण---मान्यवर, इस विधेयक पर बोलते हुये मैं कहना चाहता हूं कि आज समाज के जो बालक हैं इनको हमने ट्रेनों में भीख मांगते हुये देखा है मैं चाहता हूं कि जब रूल्स बनें तो सरकार को इनका प्रबंध करना चाहिये कि यह बालक भीख मांगते हुये न मिलें, बल्कि हम लोग या तो चन्दा करें या फिर गवर्नमेंट इनकी मदद करें।

आज हमारे समाज में बहुत सी कमियां हैं वेश्याओं के सम्बन्ध में बहुत से आंकड़े सदन में पेश किये गये हैं, लेकिन मैं आंकड़े पेश करना नहीं चाहता हूं लेकिन मैंने देखा है कि फारेन कंट्रीज में स्त्रियों की इतनी गिरी हुयी दशा नहीं है जितनी कि हमारे यहां है। हमारी सोसाइटी तथा समाज में आज बहुत सी कमियां हैं। गो हमको स्वराज्य मिल गया है लेकिन हमारे यहां बहुत सी कमियां हैं, हमारा मारल करेक्टर ठीक नहीं है। अगर हमने इसको ऊंचा उठाने की परवाह नहीं की तो हम टिकने वाले नहीं हैं। उसी कौम की जिन्दगी बरकरार रह सकती है जिसका मारल करेक्टर ऊंचा हो। हमें आज डू या डाई के सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा, तभी हम अपने समाज को ऊंचा उठा सकेंगे। हमारी कोरी कल्पना में विचरण करने से काम नहीं चलेगा। जितना हम कहें उतना हमें करके दिखाना है। भगवान ने कहा है कि जितना करो उतना ही कहो। जहां हम एक कहें तो दो करके दिखायें। अपने समाज को ऊंचा उठाने के लिये हमें आदर्शवादी बनना पड़ेगा तभी समाज का कल्याण हो सकता है। इस रोने गाने से काम नहीं चलेगा कि अमरीका में इतना है, फ्रांस में इतना है .....

श्री अध्यक्ष---मैं कहता हूं कि आप किसी की टीका न करें। माननीय सदस्य जो भाषण दे चुके हैं, आप उन्हीं की टीका करते हैं।

श्री शिवनारायण---मैं इसको छोड़े देता हूं। हमें अपने देश में आदर्श रखना चाहिये। "बीती को बिसार दे आगे की सुधि ले" का ध्यान रखना चाहिये। हमें मार्च करना चाहिये, दी बिल मार्च आन, जो हमारा साथ देगा वह हमारा साथी है और साथ न दे वह छूट जायगा। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिये। हमारा सत्य और अहिंसा का सिद्धांत रहा है, उसी पर हमें अमल करना चाहिये। हमारी जो पंचशील की देन है उसी पर हम आधारित हों और संसार के सामने आदर्श उपस्थित कर सकें। संसार में भारतवर्ष का आदर्श हमेशा रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसी के ऊपर चलकर हम अपने देश का कल्याण कर सकते हैं। हमारे देश में आज कमियां हैं हमें उनको दूर करना है। समाज कल्याण मंत्री जी ने जो सुन्दर विधेयक पेश किया है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसके लिये उनको संलग्न रहना चाहिये और सहयोग देना चाहिये।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विधेयक का समर्थन करते हुये भी परेशानी होती है और इसका विरोध करते हुये भी परेशानी होती है। समर्थन करने में परेशानी यह होती है कि इस विधेयक के उद्देश्य में इस बात को स्वीकार किया गया है कि हमारे देश में केवल विधवा आश्रम ही नहीं अनाथालय भी कायम रहेंगे। आज भारतवर्ष स्वतंत्र है, इसमें किसी बच्चे को अनाथ कहना या यतीम कहना अपने देश के सम्मान को धक्का लगाना है। पहले जमाने में अनाथ हो सकता था, यतीम हो सकता था और उसके पीछे जो भी कारण रहा हो लेकिन इस समय उन्हें अनाथ कहना मैं मुनासिब नहीं समझता हूं। इस विधेयक के जरिये जो अनाथालयों को कायम करने की बात कही गयी है उस भावना का हम विरोध करना चाहते हैं। हम अपने प्रदेश के किसी बच्चे को अनाथ कहने के हक में नहीं हैं। हमारे प्रदेश और देश का एक-एक बच्चा हकदार है। इसीलिये कानूनी तौर पर वह अनाथ नहीं कहा जा सकता। विधवाश्रमों का जहां तक सम्बन्ध है, कुछ सामाजिक कठिनाइयां हैं जिनके कारण आगे के जमाने में काफी देर तक विधवाश्रम चलाने की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन बच्चे तो मुख्यतः आर्थिक कारणों से अनाथ होते हैं। तो उस आर्थिक कारण को दूर करने की पूरी शक्ति जब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार रखती है, उसमें कोई रुकावट नहीं है तो फिर अनाथालयों को कायम रखने के लिये सरकार जो यह विधेयक लेकर आयी है इसका कारण मेरी समझ में बहुत अच्छी तरह से नहीं आता। परन्तु अभी बच्चे अनाथ रहेंगे, और इसलिये रहेंगे कि अभी कुछ देर पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि असल में सरकार को इसका ज्ञान नहीं है कि हमारे देश में लोगों का आर्थिक स्तर कहां पर है। प्रावीजनली हमारी समझ में एक बात आ गयी है कि हमारे देश का आर्थिक स्तर कहां है। आर्थिक स्तर की जानकारी बिलकुल स्थायी है और सम्भव है कि कभी हमारी वह जानकारी स्थायी रूप में बदल जाय। इसलिये मैं ऐसा समझता हूं कि भीख मांगने वाले अभी रहेंगे हमारे देश में। मैं अनाथ को आगे चल कर अगर भीख मांगने वाला कहूं तो मैं समझता हूं कि कोई टेक्निकल गलती नहीं करूंगा। अनाथ तो वही होता है जिसको अंग्रेजी में आरफ़न कहते हैं। और मैं समझता हूं कि आरफ़न उसी को कहते हैं जिसको खाना देने वाला कोई न हो, दाश्त और परवरिश करने वाला कोई न हो। तो अगर दाश्त और परवरिश करने वाला कोई न हो तो सही है कि भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जिस बच्चे को खाने का ठिकाना मिल जाय वे अनाथ नहीं है। और जैसा कि इस विधेयक में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति पांच महिलाओं और बच्चों तक को अगर रखता है तो यह विधेयक उस पर लागू नहीं होता है। तो ५ तक तो उसने रख लिया। फिर उसको अनाथ कैसे कहेंगे, वह तो वारिसवाला हो गया इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार को ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये जिससे सचमुच अनाथ लोग न हों। अब एक बात माननीय मंत्री जी कह सकते हैं कि एक श्रेणी आ गई जिसको अनाथ हम कहते हैं उस को यह कवर नहीं करेगा। तो उस को तो हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अधिकतर अनाथ जो होते हैं वे आर्थिक कारणों से हुआ करते हैं।

मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि सरकार ने इस विधेयक को लाते हुये इस ओर संकेत नहीं किया कि इसके लिये अगले बजट में कितने रुपये का बन्दोबस्त किया जा रहा है। सरकार को जब भीख मांगने वालों की संख्या नहीं मालूम तो अनाथ बच्चों की संख्या नहीं मालूम। भीख मांगने वाले मर्द भी हो सकते हैं और स्त्रियां भी हो सकती हैं। तो जो मूल प्रश्न है वह यह है कि इससे भीख मांगने वालों की समस्या हल होने जा रही है या नहीं। जैसी कि मेरी जानकारी है हल होने नहीं जा रही है। सरकार ने अगली पंचवर्षीय योजना में इसके लिये जितनी रकम रखी है उस से हम सर्वेक्षण नहीं करा सकते और अगर सर्वेक्षण भी नहीं करा सकते तो फिर उनके खाने और पीने का क्या बन्दोबस्त कर सकते हैं?

मैं अब सदन का अधिक समय न ले कर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यह हमारी आजादी के लिये शोभा की बात नहीं है कि हमारे यहां भीख मांगनेवाले लोग रहें। आठ वर्ष हमें आजाद हुये हो चुके लेकिन मैं सड़क पर भीख मांगते हुये लोगों को देखता हूं तो लज्जा आती है। उनमें ऐसे लोग भी हैं जिनका अंग भंग नहीं है और जो अपने गुजारे का बन्दोबस्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी काफी संख्या में हैं जो इस भीख मांगने के अलावा और काम कर नहीं सकते और उसके बाद भी भी उसका पेट चलना दुश्वार है। जो अंगभंग हैं वे तो भीख मांगने के लिये मजबूर हैं लेकिन उनकी देखा देखी, उनकी नकल कर के, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अनाथ बनना चाहते हैं और वे उन गरीब और अनाथ और अंगभंग लोगों को भी सहायता समाज को नहीं करने देते। मैं तो समझता हूं कि सरकार आजतक इसके लिये तैयार नहीं है कि इस भीख मांगने वाली समस्या को हल कर दे। मैंने एक बात कही थी और मैं आज फिर जोर देना चाहता हूं कि इस समस्या को अगर मरदों की सरकार न हल सकी तो फिर क्या कहा जा सकता है? जिस वक्त कोई महिला मेरे सामने भीख मांगने आती है तो मुझे अपने आप पर क्रोध आता है कि जिसको हम लक्ष्मी कहते हैं वही लक्ष्मी हमारे सामने आज हाथ पसारे भीख मांग रही है और मैं किसी भी हालत में उस लक्ष्मी को हाथ पसारने देने के लिये देखना नहीं चाहता। विधवाश्रम और

[श्री गेंदा सिंह]

अनाथालय इस विधेयक के जरिये से खुलेंगे और जो खुले हुये हैं उनका नियंत्रण किया जायगा, यह ठीक है, लेकिन जो मूल प्रश्न है उससे हटना नहीं चाहिये और इसीलिये मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन नहीं करता । मैं करता अगर इसमें इस बात की गुंजायश होती ।

विधवाओं का जहां तक प्रश्न है बहुत सी विधवायें ऐसी हैं, करोड़ों हैं, जिनके घर में ठिकाना है और वह विधवाश्रम जाना नहीं चाहती, लेकिन ऐसी विधवायें भी हैं जो आर्थिक स्थिति के कारण मजबूर होती हैं और उस कारण या और किसी कारण से वह विधवाश्रम में जाती हैं । तो इनको भी वहां सम्मान के साथ अपनी रोजी कमाने और अपने देश को अपनी मिल्कियत समझने का अवसर, उसका अहसास करने का मौका, इस विधेयक के द्वारा दिया गया होता तो मैं इसका समर्थन करता । फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जहां पर अच्छा खाना न मिले वहां खराब खाना खाकर अपनी जिन्दगी को हम कायम रखना चाहते हैं । उसके लिये तो कम से कम प्रबन्ध हो और इसीलिये मैं समझता हूं कि इसमें जो खामियां हैं उनको दूर करने के लिये इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय तो बुरा नहीं होगा । सम्भव है कि वहां पर इसकी खामियां दुरुस्त हो जायं ।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सम्भव है यह पांच वर्ष के हमारे इस विधान सभा के जीवन में पहला मौका है और सम्भव है अगले पांच वर्षों में इस सदन में यह अवसर न आये इसलिये मेरा आग्रह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसी प्रकार भीख मांगने वालों की समस्या को जिसमें अनाथों और विधवाओं की समस्या भी निहित है हल करने की कोशिश करे और अगर वह हल हो जाय तो यह सारे देश के लिये अनुकरणीय चीज होगी ।

*श्रीमती सफिया अब्दुल वाजिद (जिला बरेली)—जो यह एक बिल हमारे सामने आया है इसका इंतजार मैं १० साल से कर रही थी । मुमकिन है कि यहां बहुत से भाइयों को याद हो कि आज से दस साल पहले इस हाउस में मैंने इस काम के लिये झोली फैला कर आप लोगों के सामने भीख मांगी थी । तब से १० साल तक बराबर मैं इस इंतजार में रही कि उसका कुछ असर हो । आज मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम इस किस्म का बिल इस हाउस के सामने आया । इस बिल में कोई खामी हो, यह हो सकता है, लेकिन मैं उन मिनिस्टर साहब को, जिन्होंने यह बिल पेश किया बहुत जोर से मुबारकबाद देती हूं और इस बिल के लिये बाकी दूसरे मिनिस्टरान को भी खुले दिल से मुबारकबाद देती हूं कि कम से कम वह यहां वे बिल लाये ।

रहा इस बिल के मुताल्लिक, जैसा कि उधर के भाइयों ने कहा है कि अगर यह सेलेक्ट, कमेटी में जाता तो बेहतर रहता । मुमकिन है कि बेहतर रहता, लेकिन मैं फिर उनका ध्यान इस तरफ दिलाऊंगी कि अब इस हाउस का वक्त बहुत कम है । मुमकिन है कि अगर हम इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजें तो मुमकिन ही नहीं बल्कि यकीन है कि यह हमारी जिन्दगी में पास न हो सकेगा । इसलिये इसको ज्यादा टालना ज्यादा अच्छी बात नहीं है । दूसरे अगर हमारे मुअज्जिज भाई एक दिन भी जा कर एक लखनऊ के विधवाश्रम की हालत को देख लेते, तो जैसे वह जज्बाती आदमी हैं, वह यही कहते कि रात को मैं नहीं सोऊंगा जब तक कि मैं इस बिल को पास न करा लूं । लेकिन शायद उन्होंने यह हालात नहीं देखे जो हमारी बदनसीबी से इसी लखनऊ शहर में गुजर रहे हैं । इन हालात में इन बिल को जितनी जल्दी हम लोग पास कर सकें उतना ही बेहतर है । जो इसमें कमियां हैं उनको आने वाला हाउस पूरा कर देगा । मगर एक कदम, ऐसा मुबारक कदम, जिससे हमारे दिल को खुशी है, यह इतिमनान है कि कम से कम हमने एक काम तो ऐसा किया कि जिसके लिये आइन्दा के लोग मानें कि हां, यह सही मानों में एक सोशल वेलफेयर का काम है; उसे हम अंजाम दे रहे हैं । रहा यह कहना कि जो भीख मांगने का मसला भी इसमें है, वह मसला दरअसल अहम है, मगर उस मसले को इसमें मिला कर और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कांप्लीकेट करना ज्यादा सही बात नहीं है। हमें चाहिये कि हम जो काम कर सकें करें, तहेदिल से करें और उस आदमी ने करने की हिम्मत की है इसलिये उसकी तारीफ करें, उसकी हिम्मत अफजाई करें।

कांस्टीट्यूशन वगैरह की जो बात है, उसमें मुझे यह कहना है कि बजाय इसके कि लाइसेंस करें इसमें हमें यह करना चाहिये कि यह अख्तियार दिया जाय कि पिछले जो यतीमखाने या विधवाश्रम हैं जिनकी जरूरत नहीं है या जो बेकार हैं उन को हटा कर उनकी जगह जो अच्छे हैं उनमें उनका रुपया दे दिया जाय। इसके सिवाय मुझे इसमें और कुछ नहीं कहना है कि इन बच्चों के लिये जो कुछ थोड़ा बहुत कर दिया गया है और इन बदनसीब विधवाओं के लिये जो कुछ किया गया है, जो मजबूरी में पड़ी हुई हैं और जिनका हमको सही अन्दाजा नहीं है, वह एक ऐसा मुबारक कदम है कि जिसको आने वाला हाउस कम से कम इज्जत की नजर से देखेगा।

*श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि जब से सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री की स्थापना हुई इस हाउस में ऐसे बहुत से कदम उठाये गये कि जिनसे हमारे सामाजिक दोषों का सुधार हो और उन तमाम बातों की तरफ समाज एक कदम उठाये जिस से हमारी आंतरिक बुराइयां दूर हो कर हमारे समाज की अवस्था में सुधार हो। उसी दिशा में मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस में संदेह नहीं कि जो विधेयक आज आया है वह बहुत ही सीमित उद्देश्यों के साथ आया है। इसका उद्देश्य है कि जो विधवाश्रम और अनाथालय इस समय प्रान्त में स्थापित हैं उन पर नियंत्रण रखा जाय। इसी के लिये यह कानून पेश किया गया है।

वास्तव में हमारे समाज की जो स्थिति है वह सदियों की बिगड़ी हुई स्थिति है। विशेष रूप से हमारे आंतरिक सामाजिक जीवन में आज हमारे इस देश में उन अनाथ बच्चों की कमी नहीं है जिनके न कोई मां है और न बाप है और आज सड़कों पर घूमने वाले उन बच्चों को कोई पूछने वाला भी नहीं है। ऐसी स्त्रियां भी हैं जिनका कहीं कोई ठिकाना और शरण नहीं है। इससे समाज की हानि बहुत है लेकिन इसको दूर करने वाला कोई नहीं है। मैं जरूर चाहता था कि आज कोई ऐसा व्यापक विधेयक आया होता जो न केवल वर्तमान संस्थाओं पर ही नियंत्रण करने के लिये बल्कि व्यापक रूप से उन तमाम लोगों के लिये प्रबंध करने के लिये आता जिनकी समाज में दुर्दशा है। इसीलिये मैं कह रहा हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य बहुत ही सीमित है .....

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—श्रीमन्, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री पद्मनाथ सिंह—सन् १९४७ के पश्चात् जब देश स्वतंत्र हुआ और उस स्वतंत्रता के परिणाम-स्वरूप पाकिस्तान और भारत में कुछ गड़बड़ हुई तो उससे इस तरह की सामाजिक परिस्थिति उत्पन्न हुई कि जिससे हमारे देश में विधवाओं, अनाथों और खास रूप से बच्चों की और न पूछे जाने वाले लोगों की संख्या अधिक हुयी। उसके बाद कुछ संस्थायें स्थापित हुयी, जैसे इलाहाबाद में आनन्दभवन में एक संस्था काम कर रही है। मैंने ए० आई० सी०सी० के सेशन के अवसर पर देखा कि बम्बई में २,३ संस्थायें इस तरह की काम कर रही हैं जो अनाथ बच्चों और उन स्त्रियों को, जिनका समाज में कोई पूछने वाला नहीं है, शरण देती हैं। ऐसी संस्थायें नगण्य हैं। ऐसी संस्थाओं की रूपरेखा कुछ बहुत अच्छी नहीं है। यदि विधेयक जो उपस्थित किया गया है उस विधेयक में यदि कोई ऐसा प्राविजन कर दिया जाय कि जो न केवल वर्तमान संस्थाओं के लिये बल्कि और भी व्यापकरूप से सरकार की तरफ से ऐसा प्रबंध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पद्मनाथ सिंह]

हो जिससे प्रदेश भर में कोई बच्चा ऐसा न रह जाय जो मां बाप के बिना रह जाय। स्टेट उसकी मां बाप बन जाय। मैं यह समझता हूं कि निश्चित रूप से सरकार का यह कर्त्तव्य होना चाहिये कि वे तमाम लोग जो इस स्टेट में रहते हैं, पुरुष या बच्चे, उन सब के लिये स्टेट में शरण हो। उनके लिये कार्य की व्यवस्था हो और विशेष रूप से महिला और उन बच्चों के लिये न केवल संस्था स्थापित करने की आवश्यकता है बल्कि सरकार को बहुत दूर जाकर उनके जीवन निर्वाह का प्रबंध करने की भी आवश्यकता है। ऐसी संस्थाओं का प्रबंध जैसा मैंने निवेदन किया सरकार को व्यापक रूप से करना चाहिये और करने की आवश्यकता है। ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते जायेंगे हमारा समाज जाग्रत और सजग होता जायगा।

जो संस्थायें इस समय चल रही हैं और जो संस्थायें आगे इसके बाद चलने वाली हों उनके प्रबंधकों के विषय में मुझे यह निवेदन करना है कि अभी तक जो संस्थायें चल रही हैं चाहे वे जिस उद्देश्य से स्थापित की गयीं हों किन्तु वे संस्थायें समाज में एक व्यापार का केन्द्र बन गयी हैं और उनमें बहुत ही गड़बड़ है जिसको दूर करने की बहुत ही आवश्यकता थी। यह विधेयक उसी उद्देश्य से लाया गया है और जो सस्थायें इस दृष्टि से काम कर रही हैं उन पर नियंत्रण किया जाय। किन्तु यह बात ध्यान रखने की हैं कि जो संस्थायें इस तरह से चल रही हैं और जो समाज के लिये बहुत ही हानिकर हैं वह इस विधेयक से लाभ उठाकर लाइसेंस प्राप्त कर सकती हैं और इस प्रकार की संस्थायें खुल सकती हैं केवल उनको लाइसेंस न दिया जाय बल्कि जो अधिक समय से जन सेवा का कार्य कर रही हैं और समाज में जिनको एक श्रेय प्राप्त हो चुका है और जो तपी तपायी हैं उनको इस विधेयक से लाभ पहुंचेगा और पहुंचाने की आवश्यकता है और समाज के लिये उनसे बहुत हित हो सकता है।

एक बात की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब ये संस्थायें खोली जाती हैं और इन पर नियंत्रण की बात रखी जाती है तो हमारे देश में, प्रदेश में, एक लहर पैदा होती है। हम कानून तो बनाते हैं, पार्लियामेंट ने हिन्दू मैरिज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट बनाया, सक्सेशन ऐक्ट बनाया, लेकिन हमारे देश में उनका स्वागत उसी भावना से नहीं होता जिस भावना से वे पास किये जाते हैं। हम यहां बैठकर समाज की आवश्यकताओं से प्रेरित होकर विधेयक बनाते हैं, लेकिन जब उनका स्वागत हमारे देश में उसी भावना से नहीं होता है तो इस सदन का और सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि उन भावनाओं का स्वागत कराने की व्यवस्था करे और ऐसा वायुमंडल भी पैदा करे। मैं आशा करता हूं कि सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री इस विधेयक की सीमा को पार करके एक व्यापक व्यवस्था करने की कोशिश करेगी और ऐसा प्रयत्न करेगी कि हमारे इस प्रदेश में इस बात की भावना निर्मूल हो जाय कि किसी अबला या बिना मां बाप के बच्चे को समाज में रोजी की कमी न हो। मुझे विश्वास है कि यह मिनिस्ट्री इस दिशा में कदम बढ़ावेगी।

श्रीमती लक्ष्मीदेवी (जिला हरदोई)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं। हमारे हिन्दुस्तान में समाज-कल्याण की भावना चिरकाल से चली आयी है। बीच का समय हमारे गुलामी के कारण अंधेरे में रहा जिसमें कोई देखने वाला या सुनने वाला नहीं रहा कवि ने भी कहा है कि कोई तो बात है कि जिससे हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारा समाज इतना सुदृढ़ था कि जिससे हमारी हस्ती नहीं मिटी और हमारी संस्कृति नहीं मिटी और उसके बल पर हम आगे बढ़ते चले आये चाहे कितने ही राज्य नष्ट भ्रष्ट हो गये। पर भारत जहां का तहां ही रहा, क्योंकि हमारे समाज की बिगड़ी हालत को सुधारने की ओर हमारे मंत्री महोदय का ध्यान गया है। आज हमारी बहनों की कितनी पतित अवस्था हो गयी है। विधवायें या घर से निकाली हुई स्त्रियां या तो वेश्यायें बनें या भीख मांगें या आत्महत्या कर लें। इसलिये कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे वे बहनें पढ़ लिख सकें या कसीदा सीखें और अपनी गुजर कर सकें।

माननीय गेंदासिंह जी ने लावारिस के बारे में बताया उसका कोई सवाल नहीं उठता है। हमारे समाज की व्यवस्था खराब अवश्य हो गयी है। अभी नाटक में भी हमने देखा कि चेतसिंह कैसे पैदा हुआ था। उसमें एक दूसरे से इन्टर कास्ट मैरिज की बात थी। आज हमारे अनाथ बच्चों और बहनों की हालत बहुत शोचनीय है। उनके लिये रेस्क्यू ग्रह खोलने चाहिये। उनके क्रय-विक्रय की हालत को देखकर मालूम होता है कि उनकी हालत पशुओं से भी बुरी है। गत साल लखनऊ में ही हमारी बहुत सी बहनों ने ढूंढ कर लड़कियों को निकाला, लेकिन जो यह नीचकार्य करते थे उनको ठीक से सजा भी नहीं मिली ऐसे अड्डों को समाप्त करके वहां के लोगों के पालन पोषण का इंतजाम होना चाहिये। हमारे जनसेवकों के हाथों में इनका इंतजाम रहे, सरकारी लोग उनका निरीक्षण करें ताकि सरकार के ध्यान में और भी बातें आ सकें और वह जान सकें कि किस तरह से काम हो रहा है। मेरा इतना सुझाव अवश्य है कि बालक और विधवाओं के गृह खोलने चाहियें। इसके पूर्व एक बालक विधेयक पास भी हो चुका है लेकिन वह लागू नहीं किया गया है। यह विधेयक पास होकर इस पर अमल भी होना चाहिये। ऐसा न हो कि यह पास तो हो जाय और बाद में कह दिया जाय कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिये वह इसे लागू नहीं कर सकती है। हमारे समाज की बहुत बुरी हालत है और इसे फौरन ही पास करना चाहिये और लागू करना चाहिये। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यह विधेयक पास होकर लागू भी अवश्य होना चाहिये।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक की बहुत दिनों से आशा लगाये हुये बैठे थे, आज वह समय आया कि हमारे मंत्री जी ने वह विधेयक भवन के सामने पेश किया। कल से इसके ऊपर विवाद चल रहा है। इस भवन के सभी भाइयों ने इसका स्वागत किया है। इसमें बहुत सी खामियां रही होंगी। आगे चल कर जब यह व्यवहार में लाया जायगा तो बहुत सी कमियां उस समय भी प्रकट हो सकती हैं। लेकिन जिस रूप में यह हमारे सामने है उससे आशा यह लगती है कि इससे हम बहुत कुछ सुधार कर पावेंगे। मैं भी यह समझती हूं कि इसमें खामियां बहुत मोटी-मोटी हैं।

यह विधेयक पास होने के बाद भी इस तरह के जो पुराने विधवा आश्रम या अनाथालय हमारे प्रदेश में हैं वे समाप्त नहीं होंगे। उनमें बहुत सी भयानक संस्थायें ऐसी हैं जिनके द्वारा आज विधवा आश्रम नाम से भी लोगों को नफरत हो गई है। मैं बहुत से ऐसे विधवा आश्रमों को जानती हूं जो कि प्रदेश की सरकार और जनता के लिये कलंक पैदा करते हैं। यही नहीं कि उनकी जानकारी यहां की जनता को ही है बल्कि मेरा तो निश्चित मत है कि सरकार को भी उनकी जानकारी है। लेकिन कानून के फंदे में जकड़े हुये हम उन्हें समाप्त नहीं कर सकते हैं। पिछले दो तीन वर्षों से लखनऊ में ही बहुत सी ऐसी संस्थायें हैं, लेकिन पूरी चेष्टा करने पर भी हमें उन्हें समाप्त नहीं कर सकते। जैसा मेरे से पहले बोलने वाली मेरी बहन ने कहा है यह ठीक है कि हम उनको समाप्त कर अपने समाज की हालत नहीं सुधार सके हैं। हमारी सरकार के लिये और यहां के रहने वालों के लिये यह शरम की बात होनी चाहिये कि आज भी यह विधेयक इस सदन में पेश होने के बाद मुझे उनसे छुटकारा पाने के लिये कोई कालम या शब्द इसमें नहीं मिला। मैंने इस विधेयक को पढ़ने की चेष्टा की और यह आशा थी कि इसमें कोई ऐसा प्रबन्ध होगा कि जो संस्थायें ऐसा काम कर रही हैं वे फौरन समाप्त हो जावेंगी। लेकिन इसमें नहीं है उसकी गुंजाइश। मैं समझती हूं कि शायद कुछ कठिनाई मेरी सरकार के रास्ते में होगी जिन कारणों के होते हुए वह इस शब्द को इसमें नहीं ला सकी। मुझे आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर खींचना है कि सबसे पहले वे यह कदम उठावें कि हमारे प्रदेश में जो ऐसे अखाड़े हैं उनको छिन्न-भिन्न कर दिया जावे, उनको मजबूर कर दिया जाय कि वे रास्ते बन्द करने पड़ें।

[श्रीमती प्रकाशवती सूद]

इस प्रकार से हमारे प्रदेश के अन्दर बहुत से अनाथालय हैं जहां बच्चे सौ, डेढ़ सौ की संख्या में वहां सुरक्षित हैं। यह ठीक है कि उनकी आर्थिक अवस्था ऐसी कमजोर है, उनको पैसे की कमी होने के कारण या दूसरे किन्हीं कारणों से उन बच्चों से भीख मंगवाया जाता है। मैं समझती हूं कि सरकार को सब से पहले इस ओर कदम उठाना चाहिये कि जहां भी अनाथ बच्चे रहते हैं उनसे भीख मंगवाने का काम न कराया जाय। वे बच्चे जब भीख मांग कर लाते हैं तब उनको खाना मिलता है। इसकी वजह से उन बच्चों का विचार भी उसी तरह का बन जाता है। क्योंकि बच्चे तो फूल हैं, जैसा बचपन में उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जैसे संस्कार में वह पलता है वही संस्कार बड़ी उम्र में उन बच्चों को वही रास्ता दिखलाता है।

इस विधेयक में बहुत सी सुन्दर बातें भी हैं जिनका स्वागत करने के लिये मैं खड़ी हुयी हूं और मेरा दिल विवश कर रहा है कि मैं अपने माननीय मंत्री जी को बधाई दूं। खामियों के होते हुए भी, उसमें बहुत सी सुन्दर बातें हैं। उन्होंने रखा है कि हर संस्था इसका लाइसेंस ले। जैसा कि मेरे एक भाई ने जिन्होंने इस सदन के अन्दर कहा है, मैं भी उनसे सहमत हूं कि लाइसेंस शब्द को इसमें से हटा दिया जाय और उसकी जगह पर प्रमाण-पत्र या और कोई शब्द रखा जाय ताकि उन अनाथालयों के साथ जिनमें कि हमारे बच्चे इस वक्त रहते हैं और वहां शिक्षा ग्रहण करते हैं, यहां की जनता का प्रेम हो, हृदय में दया की भावना पैदा हो। इस भारतवर्ष की यह सभ्यता रही है कि ऐसी विधवाओं के लिये ऐसे बच्चों के लिये सद्भावना सदा हृदय में स्थान रखती है। बदकिस्मती से आज हमारे देश से वह प्रथा चली गयी और इसी कारण चली गयी कि उनके नाम से हमको घृणा होने लगी। जब हम अनाथ बच्चों को गली-गली भीख मांगते हुए पाते हैं तो यह समझते हैं कि ये बच्चे तो भीख मांग कर ही अपना निर्वाह कर लेंगे, फिर इनके साथ हमारी हमदर्दी क्यों होनी चाहिये। इसलिये इस विधान को लागू करते हुए सब से पहला कदम सरकार यह उठावे जिससे जनता भी उनकी तरफ हमदर्दी का बर्ताव करे।

वैसे तो केन्द्रीय सरकार ने भी इस ओर बहुत से सुझाव दिये हैं, मैं यहां सदन के सदस्यों की जानकारी के लिये बतलाना चाहती हूं कि केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सोशल वेलफेयर बोर्ड के मातहत हमारे प्रदेश के लिये २१ लाख रुपया ५ वर्ष की योजना के लिये मंजूर किया है। २१ लाख रुपया इन संस्थाओं को ग्रान्ट-इन-एड देने के लिये स्वीकार किया है। पिछले वर्ष ७ लाख के लगभग रुपया इस प्रदेश के अन्दर बहुत सी संस्थाओं को बांटा गया था। इस वर्ष भी उसी प्रकार से जिन संस्थाओं की अच्छी हालत थी, जिन संस्थाओं का प्रबन्ध अच्छा था उन संस्थाओं को तो ग्रांट-इन एड में बहुतसा धन मिलता था लेकिन वह धन इतना काफी नहीं है। मैं समझती हूं कि कोई भी अनाथालय या विधवाश्रम अच्छी तरह से चल नहीं सकता जबतक कि उनके साथ जनता का सहयोग नहीं होगा। कोई भी सरकार चाहे, इस राज्य की सरकार हो या केन्द्र की सरकार हो, वह अपने खर्चे से कभी भी कोई संस्था चालू नहीं रख सकती। क्योंकि मैं तो समझती हूं कि दूसरे प्रदेशों की निस्बत हमारे प्रदेश में ज्यादा ऐसी दुखी स्त्रियां और बच्चे पाये जाते हैं। यदि आप दूसरे प्रदेशों के आंकड़े देखें तो और जगह के आंकड़े इससे कम पाये जाते हैं तो यहां के रस्मोरिवाज ऐसे हैं कि जो बहिनें विधवा हो गईं या उनके पास किसी तरह से खाने पीने की कमी हुई तो उनको घर से निकाल दिया जाता है और आज हम अपनी धार्मिक वृत्ति से बहुत दूर हो गये हैं उसका एक कारण यह भी है।

कुछ विधवा आश्रमों को देखने का मुझे भी इत्तफाक हुआ और मैं उनको देखने के बाद सच्चाई से कह सकती हूं कि जो कुछ मुझे वहां देखने को मिला उससे तीन-तीन और चार-चार दिन तक रात को मुझे नींद नहीं आयी। वहां बहिनों की क्या अवस्था है और उनका जीवन कितना घृणित है और वह उस नर्क के अन्दर किस तरह से निर्वाह कर रही हैं, मैं इस पर विचार करती रही। उससे भी ज्यादा दुख मुझे यह होता है कि कुछ समाज के मुख्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी उसमें शामिल होते हैं और उन बहिनों को जेल की तरह नारकीय जीवन बिताने पर विवश करते हैं; मैं चाहती हूं कि इस बिल के पास होने के बाद सरकार इस पर सख्ती से अमल करावे, इसके लागू होने के बाद इसकी एक-एक लाइन पर पूरे तौर से अमल हो तभी शायद हम इस प्रदेश में कोई सुधार इस दिशा में कर पायेंगे और तभी हमारी सरकार इस पुण्य कार्य का फल उठा सकेगी। मैं अपने साथियों से यह भी अपील करना चाहती हूं कि जो भाई इस पक्ष में हैं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय वह देखें कि इस पर जितनी जल्द हम कदम उठा सकें उतनी ही शीघ्र हम सरकार को इसे लागू करने में सहायता देंगे क्योंकि जिस प्रकार का यह विधेयक है उससे बहुत कुछ सुधार होने की आशा है। अगर इसको कमेटी में भेजा गया तो शायद वहां वर्षों लग जायं और यह लागू न हो सके। इसलिए मैं अपने साथियों से नम्र निवेदन करना चाहती हूं और अपील करना चाहती हूं कि उन बहिनों की ओर से, उन अनाथ सताये हुओं की ओर से, जिनको प्रकृति ने सताया है और जो भीषण कष्ट भोग रहे हैं कि इसको पास करके जल्द से जल्द लागू होने का अवसर दें। अन्त में मैं एक बार फिर मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं और उनको इसके लिए बधाई देती हूं कि उन्होंने दुखी बहिनों और अनाथ बच्चों के कष्ट को देखते हुए इस ओर कदम उठाया है।

*श्रम मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकार बड़ी खुशी हुई कि सभी माननीय सदस्यों ने इस बिल का स्वागत किया है। यद्यपि इसके सम्बन्ध में कुछ आलोचनायें भी हुईं उनके विषय में भी मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा और यदि इस समय नहीं तो जब संशोधन पेश किये जायंगे तब मैं उनका जवाब दे दूंगा। इसके अतिरिक्त इस बिल के स्कोप के बारे में कुछ भ्रम लोगों को हुआ उसको मैं दूर करना चाहता हूं। एक सुझाव गवर्नमेंट को यह भी दिया गया कि अलावा इन संस्थाओं पर नियंत्रण रखने के सरकार इनको अपनी ओर से चलावे। इस वक्त यह भी मेरा कर्तव्य है कि मैं इसका भी थोड़ा परिचय सदस्यों के सामने रख दूं कि गवर्नमेंट इन संस्थाओं को मदद देने के सम्बन्ध में क्या कर रही है और क्या उसकी स्कीम है। कुछ भ्रमात्मक बातें भी कहीं गई, उनको भी सफाई करने की मैं कोशिश करूंगा।

पहली चीज यह कि इस बिल का दायरा सीमित है, उन संस्थाओं के सम्बन्ध में जिनको अभी तक विधवा आश्रम या अनाथालय के नाम से कहते आये हैं। इस बिल में जैसा कि मालूम होगा इस बात का ध्यान रक्खा गया है कि लाइसेंस देते समय लाइसेंसिंग अथारिटी को यह अधिकार होगा कि ऐसी संस्थाओं के नाम जो कि विधवाश्रम या ऑर्फेनेज के नाम से हैं, बदल दिये जायं। इस बिल में भी हमने कंट्रोल या रेगुलेशन के लिये नाम नहीं लिखा है हमने महिलाश्रम या बच्चों का, बालकों का, ही जिक्र किया है। इससे जाहिर होता है कि गवर्नमेंट अपने आप इस बात को महसूस करती है कि इस तरह की संस्थाओं के नाम ऐसे होने चाहिये जो कि सम्मानित हों और समाज भी उनको सम्मानित समझे और उन व्यक्तियों के दिल में भी स्वाभिमान हो। माननीय गेंदासिंह जी ने जो सुझाव दिया था उसे स्वीकार तो कर ही लिया है और गवर्नमेंट की मंशा भी यही है कि इस तरह की संस्थाओं को

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[आचार्य जुगल किशोर]

इस तरह का नाम देकर उन्हें बदनाम न किया जाय ताकि वहां के रहने वालों पर इस तरह का अपमानजनक आक्षेप न आ सके ।

दूसरी बात जो इस बिल के बारे में पूछी गई है वह यह है कि अगर इन संस्थाओं को बन्द कर देंगे या उन पर प्रतिबन्ध लगायेंगे तो कैसे वे चल सकेंगी । यह तो सब मानेंगे कि कोई संस्था चाहे कितनी भी खराब हालत में क्यों न हो अगर वह खराब काम कर रही है तो उसको मदद देना कोई गवर्नमेंट का फर्ज नहीं होता है और कोई अच्छी हालत में भी हो तो अगर खराब काम कर रही है तो उसको बन्द करने और नियंत्रण करने का फर्ज गवर्नमेंट का है । इस बिल का उद्देश्य यह है कि ऐसी संस्थायें जिनकी आर्थिक अवस्था अच्छी होते हुए भी अर्थ का जो दुरुपयोग कर रही है उनको बन्द कर दिया जाय या उन पर नियंत्रण रक्खा जाय और ऐसी संस्थायें हमारे प्रदेश में जो अच्छा काम कर रही है उनको गवर्नमेंट की तरफ से जहां तक हो सकता है, जितनी मदद हो सकती है उनको मजबूत बनाने के लिये सरकार मदद देने की हर प्रकार का प्रयत्न करेगी ।

मैं थोड़े से आंकड़े आपको बतला देना चाहता हूं । मैं ज्यादा समय न लेकर केवल यह बतलाऊंगा कि गवर्नमेंट ने अपनी पंचवर्षीय योजना में १६ लाख रुपये मांडल इंस्टीट्यूशंस और पुरानी इंस्टीट्यूशंस को मदद करने के लिये रक्खा है । इसके अलावा सोशल और मारल हाईजीन की तरफ से १३ लाख रुपये इस साल, साढ़े ६ लाख रुपये अपनी गवर्नमेंट और साढ़े ६ लाख केन्द्रीय बोर्ड की तरफ से, दिये जायेंगे और करीबन ५ लाख रुपया हर साल जो अन्य संस्थायें अभी तक चल रही हैं उनको चलाने में खर्च कर रही है उसे करती रहेगी। यद्यपि मैं समझता हूं कि यह धन काफी नहीं है, लिहाजा हमारी मांग केन्द्रीय सरकार से रहेगी और प्लानिंग कमीशन से भी रहेगी कि वह ज्यादा रुपया दें ताकि हमारे प्रदेश में जो लाखों की तादाद में अनाथ बच्चे जिनको कहते हैं और बहनें जो अन्याश्रित हैं उनको हम रोजी दे सकें, घर दे सकें ।

जैसा कि जिक्र माननीय गेंदा सिंह जी ने किया है कि एक वर्ग है भिक्षुक उनके लिये भी हम रोजी व कपड़े और घर की व्यवस्था कर सकें । ये कमियां हैं लेकिन इतना होते हुए भी गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि इस तरह से धन देकर ऐसी संस्थाओं को मजबूत करे, लेकिन इन संस्थाओं की कामयाबी केवल गवर्नमेंट के मदद के ऊपर निर्भर नहीं रहती और जो उनको आज सहायता जनता से नहीं मिलती है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये संस्थायें बदनाम हो गई हैं । इसी कारण इस बिल में एक ऐसी भी धारा रखी गई है । कुछ ऐसी भी संस्थायें हैं हमारे प्रदेश में जो अच्छा कार्य कर रही हैं लेकिन वे बदनाम हो गई हैं और जो खराब संस्थायें हैं वे ज्यादा रुपया ले आती हैं । धोखा देकर, और बड़ी-बड़ी संस्थाओं को जो अच्छा काम करती हैं उनको रुपया नहीं मिलता है । मैं समझता हूं कि उनको लाइसेंसिंग अथारिटी और बोर्ड की तरफ से मान्यता प्राप्त हो जायगी तो जनता को विश्वास हो जायगा कि यह संस्था अच्छा काम कर रही है और इस संस्था के ऊपर सरकार का नियंत्रण है और अगर कोई खराब काम करेगी तो उसको रोक दिया जायगा । इस तरह से जनता का विश्वास अगर संस्थाओं पर हो जाय तो ज्यादा धन आ सकेगा ।

इन संस्थाओं में काम करने वालों को इस तरह की ट्रेनिंग दें, जिसके लिये फाइव इयर प्लान में इंतजाम किया गया है । दो संस्थायें खोली जाने वाली हैं, एक लड़कियों के लिये और एक बालकों के लिये जहां पर उनको शिक्षा दी जायगी और ऐसी संस्थाओं में जा करके यह काम कर सकेंगे । यह सब योजनायें गवर्नमेंट की तरफ से बन रही हैं । यह मैंने इसलिये कहा कि लोगों में जो गलतफहमी है वह दूर हो जाय कि गवर्नमेंट की मंशा सिर्फ यह है कि जो संस्थायें चल रही हैं उन पर नियंत्रण करे और नयी संस्थाओं

को चलने के लिये प्रोत्साहन नहीं देना चाहती। सबसे पहली कोशिश हमारी यह है कि जो संस्थायें बदनाम हो गई हैं उनको रोका जाय और अच्छी संस्थाओं को मदद देने की कोशिश की जाय और उनको गवर्नमेंट देती रहेगी।

इसके अलावा कुछ शिकायतें इस तरह की भी आयी हैं कि इस बिल में भिक्षुकों के बारे में और जो अन्य समाज की समस्यायें हैं उनका कोई जिक्र नहीं है। जैसा मैंने शुरू में कहा, इस बिल का दायरा ही सीमित है। मैं चाहता हूं कि बेगर्स के लिये एक बिल आ जाय या कानून में ऐसा परिवर्तन हो जाय जिससे बेगिंग को रोक सकें। लेकिन उसके लिये दिक्कत है और वह है धनाभाव की। माननीय पालीवाल जी ने जो कहा उसके बारे में मुझे यह कहना है कि एक तो धनाभाव है और दूसरे यह कि सब कानून केवल गवर्नमेंट के जरिये से ही पालन नहीं कराये जा सकते, समाज का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। सोशल ईविल्स कानून से ही केवल दूर नहीं होती हैं, वह तो समाज के सहयोग से होती हैं।

माननीया प्रकाशवती जी ने यह कहा कि जो मौजूदा संस्थायें हैं उनके बारे में कुछ इस बिल में नियंत्रण नहीं है। मैं समझता हूं कि उन्होंने पूरा तौर से इस बिल की धाराओं को शायद न पढ़ा हो। उसमें यह है कि जो संस्थायें कायम हैं उनके बारे में गवर्नमेंट विज्ञप्ति निकालेगी कि इतने समय के भीतर उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा और जांच में अगर पाया गया कि उनका काम अच्छा है तो उनको लाइसेंस मिलेगा, नहीं तो उनको रोक दिया जायगा और उनका इंतजाम अपने कब्जे में ले करके दूसरी संस्था चलायी जायगी।

प्रवर समिति के बारे में मैं कहना भूल गया, यद्यपि मैं नहीं समझता था और अब भी नहीं समझता हूं कि इसके प्रवर समिति में जाने की कोई आवश्यकता है। अगर बिल को अच्छी तरह से देखें तो जो संशोधन इसके ऊपर आये हैं उनमें ज्यादातर ऐसे हैं जिनके ऊपर हाउस में बातचीत करके तय किया जा सकता है। और समय का अभाव सबसे बड़ा कारण है, अगर यह बिल आज नहीं लिया गया तो मुमकिन है कि बिजनेस कमेटी कोई समय न दे सके और गवर्नमेंट को भी समय न मिल सके। मैं चाहता हूं कि यह बिल १४ सितम्बर के पहले पास हो जाय और अपर हाउस में चला जाय और इस असेम्बली की लाइफ में ही पास हो जाय। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से जिन्होंने इसे प्रवर समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव किया है कहूंगा कि वे इसको वापस ले लें और जिन्होंने समर्थन किया है, अगर अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा हो तो सदन को ४ बजे तक स्थगित कर दें और इस बीच में मुझसे मेरे कमरे में बैठ कर बातें कर लें, विचार कर सकते हैं जिन्होंने संशोधन भेजे हैं। हमारे यहां यह प्रथा नहीं कि हाउस पूरी तरह से कमेटी के रूप में बैठ सके। ऐसी हालत में मैं चाहूंगा अगर आप, अध्यक्ष महोदय, इजाजत देदें तो ४ बजे तक हाउस स्थगित हो जाय और इस बीच में संशोधनों पर विचार कर लें। तो मुमकिन है कि बहुत थोड़े समय में हमारे संशोधन पास हो जायेंगे।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—जरा सा इसको साफ कर दीजिए कि आप क्या चाहते हैं।

आचार्य जुगल किशोर—मैं यह चाहता हूं कि आप पहले इसको वापस ले लें। अगर आप वापस लेने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है अगर चार बज तक हाउस एडजर्न हो जाय और माननीय सदस्य जो इसमें इन्टरेस्टेड हैं वे मेरे कमरे में आ जायं या और बैठ करके विचार कर लें ताकि जो उन्होंने संशोधन पेश किये हैं उनके बारे में मैं उनको समझा सकूं या वे मुझे समझा सकें। इससे उन संशोधनों के पास होने में आसानी हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—मैं श्री अवधेश प्रताप सिंह जी का प्रस्ताव पहले ले लेता हूं। अगर स्वीकार हुआ तो दूसरा प्रस्ताव श्री नारायणदत्त तिवारी जी का जो है वह भी ले लूंगा, लेकिन अगर यह गिर गया तो दोनों गिर जायेंगे।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल-संस्था (नियंत्रण) विधेयक, १९५५, एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्न मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—२,
विपक्ष में—४५।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश महिला-संस्था तथा बाल-संस्था (नियंत्रण) विधेयक, १९५५, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ३५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

खण्ड २

परिभाषाएं। २—(१) विषय अथवा प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :

(१) "बोर्ड" (Board) का तात्पर्य धारा ५ के अधीन स्थापित प्रशासकीय बोर्ड (Administrative Board) है;

(२) "बालक" (child) का तात्पर्य किसी ऐसे लड़के से अथवा लड़की से है, जिसने १८ वर्ष की वय न प्राप्त की हो;

(३) "उपयुक्त व्यक्ति" (fit person) के अन्तर्गत कोई संस्था, संगठन (association) अथवा व्यक्तियों के ऐसे समुदाय (body of individuals) जो चाहे वे निगमित (incorporated) हुए हों या न हुए हों, महिलाओं अथवा बालकों को ग्रहण करने (reception) अथवा उनकी सुरक्षा करने अथवा बालकों के प्रति निर्दयता (cruelty) का, अथवा महिलाओं को अनैतिक प्रयोजनों के लिये शोषित करने (exploitation) का व्यवहार रोकने के लिये अथवा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किये गये हों तथा जो उनकी देख-रेख (care) में सौंपी गयी किसी महिला अथवा बालक को उसके धर्म के अनुसार प्रशिक्षण देने और उसका पुनर्वास या पालन-पोषण करने, अथवा उसे प्रशिक्षण या पुनर्वास या पालन-पोषण की सुविधायें देने का भार ग्रहण करें;

(४) "संस्था", इसे चाहे जो भी नाम दिया जाय, का तात्पर्य अनाथालय, विधवाश्रम, निरीक्षणगृह (Vigilence Home), उद्धार गृह (Rescue Home), विवाह कार्यालय (Marriage Bureau) से है, तथा इसके अन्तर्गत इसी प्रकार की कोई ऐसी संस्था, शरणस्थल अथवा स्थान या संगठन भी है जो देख-रेख के लिये पांच या पांच से अधिक

महिलाओं अथवा बालकों को अथवा दोनों को, स्वीकार करे अथवा जो इस प्रकार संगठित अथवा प्रशासित हो कि उसकी सेवा वास्तव में संस्थाबद्ध उद्देश्यों के अनुरूप हो (institutional in character) उसमें रहने वालों की संख्या, जिनकी देख-रेख की जाय, चाहे कुछ भी हो;

(५) "अनुज्ञप्ति प्राधिकारी" (Licensing Authority) का तात्पर्य किसी जिले के जिला मैजिस्ट्रेट (District Magistrate) अथवा किसी ऐसे विशेष अधिकारी से है जिसे जिला मैजिस्ट्रेट ने अपनी ओर से अनुज्ञप्त प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिये नियुक्त किया हो;

(६) "अनुज्ञप्त संस्था" (licensed institutions) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त किसी संस्था से है;

(७) "प्रबन्धक" (manager) का तात्पर्य तथा अन्तर्भाव किसी स्वामी तथा ऐसे व्यक्ति से है जो किसी संस्था की देख-रेख या उसका प्रबन्ध करता हो अथवा एतदर्थ कार्य करता हो। इसमें उस संस्था की प्रबन्ध समिति के सदस्य भी सम्मिलित हैं;

(८) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है;

(९) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है; और

(१०) "महिला" का तात्पर्य किसी ऐसी महिला से है जिसकी वय १८ वर्ष अथवा उससे अधिक हो।

(२) इस अधिनियम में प्रयुक्त तथा अपारिभाषित, परन्तु कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८, में पारिभाषित शब्दों तथा पदों का वही अर्थ होगा जो उनका उक्त कोड में किया गया है।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) के भाग (१) की पंक्ति २ में शब्द "है" के पूर्व शब्द "से" बढ़ा दिया जाय।

श्रीमान जी, यह एक भूल रह गयी है और इस शब्द का बढ़ाया जाना आवश्यक है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

आचार्य जुगल किशोर---जी हां, मुझे स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) के भाग (१) की पंक्ति २ में शब्द "है" के पूर्व शब्द "से" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा---श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) के भाग (२) की पंक्ति २ में शब्द "की वय न प्राप्त की हो" के स्थान पर शब्द "का वय न प्राप्त किया हो" रख दिये जायं।

श्रीमान जी, यहां पर यह शब्द "वय" का प्रयोग हुआ है, यह नपुंसक लिंग है, लेकिन इसका प्रयोग स्त्रीलिंग की भांति किया गया है, इसलिए यह संशोधन भी आवश्यक है। इसलिये माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

आचार्य जुगल किशोर---जहां तक मुझे, साहित्यिकों ने सलाह दी है, यह अशुद्धि इसमें नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि स्पीकर महोदय पर छोड़ दिया जाय कि अशुद्धि है या नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि अशुद्धि है और आपका कहना है कि है। मेरी राय तो यह है कि यह अशुद्धि नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दिया जाय। इसलिए इसको स्वीकार न किया जाय।

श्री जयराम वर्मा---श्रीमान जी, मुझे इसे वापस करने में इनकार नहीं है, लेकिन जिसने भी सलाह दी है उसे मालूम होना चाहिये कि "वय" शब्द नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है और यह प्रयोग सही नहीं हुआ है। वैसे मुझसे कहा जाय तो वापस ले लूंगा, लेकिन यह सही नहीं है। इसको अगर आप तय कर दें तो अच्छा होगा, या इसे अभी छोड़ दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह शब्द का हेर-फेर है। यह तो दफ्तर में ठीक कर लिया जायगा; यदि माननीय सदस्य चाहें तो इसे वापस ले लें।

श्री जयराम वर्मा---मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जयराम वर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) के भाग (४) की पंक्ति ६ के शब्द "पांच या पांच से अधिक" निकाल दिये जायं।

श्रीमान जी, इसमें संस्था की जो परिभाषा की गयी है उससे अर्थ यह निकलता है---'शरणस्थल अथवा स्थान या संगठन जिसमें पांच या पांच से कम अगर महिलाएं या बालक रखे गये हों संरक्षण के लिए या किसी बुराई से बचाने के लिए' तो वह स्थान या संगठन "संस्था" की परिभाषा में नहीं आयेगा और ऐसे लोग जो पांच से कम महिला या बालक रखेंगे इस अधिनियम के नियंत्रण से बच जायंगे और इसका अर्थ यह होगा कि अगर ५ से कम महिलायें या बालक हैं तो उनको छूट होगी बुराई करने के लिये या अगर उनका प्रबन्ध अच्छा नहीं है तो यह अधिनियम उनके लिये लागू नहीं होता है और वह लोग अपना प्रबन्ध उसी प्रकार जारी रख सकेंगे जैसा कि कर रहे हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि संस्था की परिभाषा से शब्द "पांच या पांच से अधिक" निकाल दिये जायं। इनके रखने से एक खराबी पैदा हो जायगी और ऐसे संगठन जिनमें ५ से कम महिलायें या बालक हैं, वे इससे लाभ नहीं उठा पायेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे और आशा है कि सदन भी इसे स्वीकार करेगा।

आचार्य जुगल किशोर---मेरा खयाल यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि संस्था की कोई न कोई शक्ल होनी चाहिये, कुछ न कुछ रहने वाले तो होने ही चाहियें, तभी वह संस्था कहला सकती है। यह तो मैं मानने के लिये तैयार हूं, यदि माननीय सदस्य यह स्वीकार करें कि ५ के बदले में तीन कम से कम महिलायें या बालक किसी संस्था में हों तो उसको संस्था का रूप दिया जायगा, यह प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मुझे पता नहीं है कि मंत्री जी को इस संशोधन की नोटिस मिली है या नहीं।

***श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---मिल गई है, मेरा भी संशोधन यही है कि शब्द "पांच या पांच से अधिक" निकाल दिये जायं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं श्री जयराम वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि इन शब्दों का निकालना अत्यन्त आवश्यक है। मंत्री जी ने जो संशोधन में संशोधन रखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीन या तीन से अधिक रखने से दो संख्या कम हो जाती हैं लेकिन भाव पूरा नहीं होता है। संस्था की परिभाषा में अनाथालय, विधवाश्रम, निरीक्षणगृह, उद्धारगृह, विवाह कार्यालय आदि सभी शामिल हैं। जब से हमारे पुरुषार्थी भाई आये हैं तब से इस प्रकार के बहुत से मैरिज ब्यूरो खुल गये हैं और ऐडवरटाइजमेंट पढ़ने को मिलते हैं जिनमें लिखा होता है कि विवाह करने के लिये पत्र-व्यवहार कीजिये। केवल बरेली में ऐसे कई जगह घर खुले हुये हैं, जहां वह कहते हैं कि आप अर्जी दीजिये, इंटरव्यू कीजिये और शादी कीजिये। इस तरह के शहरों में विवाह कार्यालय खुले हुये हैं। हो सकता है कि उनमें रहने वाली लड़कियों की संख्या १५-२० हों, लेकिन यह दो दिखला दें या अपने यहां के इनमेट्स को बांट दें तो यह इस कानून में कवर नहीं होंगे और इस ऐक्ट की मंशा पूरी नहीं हो सकती। इस तरह के जो मैरिज ब्यूरोज खुले हुये हैं उनके लिये यह ऐक्ट लागू नहीं हो सकता है। मैं यह नहीं कहता हूं कि यह विवाह कार्यालय सब के सब अनैतिक उद्देश्य के लिये ही खुले हुये हैं। लेकिन यह जरूर है कि बहुत सी संस्थायें ऐसी हैं जो कानून में पला रह जाने से फायदा उठा सकती हैं। इसलिये हमें किसी तरह की कोई गुंजाइश इस विधेयक में नहीं रखनी चाहिये। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इसको बिल्कुल डिलीट कर दें। नियमों में यदि आवश्यक होगा तो उस समय विचार किया जा सकता है। लेकिन ऐक्ट में यदि ऐसी बात रख देंगे तो मैं समझता हूं कि यह ठीक न होगा। मैं अत्यन्त नम्र निवेदन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी अवश्य इसको स्वीकार कर लेंगे।

*श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—मान्यवर, मैं जो श्री जयराम वर्मा द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया है कुछ शंकाओं के कारण उसका विरोध करता हूं। श्रीमन्, इस पूरे विधेयक को अगर आप गौर से देखें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कोई भी संस्था चाहे वह अनाथालय के रूप में हो या विश्रामालय के रूप में हो तब तक स्थापित नहीं की जा सकती जब तक कि उसके लिये यह प्रमाणित न कर दिया जाय कि वह इस कार्य के लिये ही प्रयुक्त है। श्रीमन्, आप इस विधेयक के खंड २४ को अगर देखें तो उसमें लिखा है "धारा ३४ में दी गयी व्यवस्था को छोड़ कर, कोई भी व्यक्ति पहले अनुज्ञप्ति प्राधिकारी से लिखित रूप में अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना महिलाओं अथवा बालकों के लिये किसी संस्था का न तो स्वामित्व ग्रहण करेगा और न उसे स्थापित, संधारित अथवा संचालित करेगा।"

तो साफ है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति लिये हुये संस्था को स्थापित नहीं कर सकता है। मुझे एक शंका है। माननीय मंत्री जी ने तो अपनी इच्छा प्रकट कर दी है जिसे सुन कर मुझे बड़ा विषाद सा हुआ है, लेकिन अगर माननीय नारायणदत्त तिवारी जी मेरी शंका का समाधान करें तो शायद मैं उनके साथ हो जाऊंगा। मान लीजिये कि किसी आदमी ने सरकार से, जैसा कि इस विधेयक में है, यह अनुज्ञा प्राप्त कर ली कि वह संस्था स्थापित कर सके और उसने स्थापित किया, लेकिन उसकी मन्शा है कि उस संस्था के पीछे जो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट या सम्पत्ति है, जैसे कि आजकल बहुत से आश्रमों के पीछे सम्पत्ति और ट्रस्ट्स हैं, उसका एक या दो लड़कों को अनाथालय के रूप में रख कर शोषण करे तो माननीय नारायण दत्त जी हमें बतायें कि अगर यह प्रतिबन्ध न हो तो कैसे उसे बचाया जा सकता है। अगर यह प्रतिबन्ध संख्या का न हो तो ब्लैकमार्केटिंग का एक बाजार खुल जायगा और माननीय मंत्री जी समाज कल्याण की दुहाई देते रह जायेंगे और ये समाज अकल्याणकारी जो लोग हैं वे उसका शोषण करना प्रारम्भ कर देंगे। माननीय नारायणदत्त तिवारी जी ने शायद इधर ध्यान नहीं दिया है। अगर मुझे यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वर लाल]

विश्वास हो जाय कि शोषण नहीं होगा और उस सम्पत्ति का ह्रास करने के निमित्त इस तरह की संस्थायें नहीं खोली जायंगी तो मैं शायद उनका समर्थन करूं। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ये समाज अकल्याणकारी तत्व बड़ा नुक्सान कर डालेंगे। इसलिये यह आवश्यक है कि जो 'पांच' है वह अवश्य रहना चाहिये और यह बड़ा ही उपयुक्त है जो इस विधेयक में रखा गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—श्रीमन्, मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—करिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय रामेश्वर लाल जी ने जो कारण बतलाये ठीक उन्हीं कारणों से प्रेरित हो कर मैंने इस संशोधन का समर्थन किया। क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि अगर एक या दो बालकों या महिलाओं को रख कर कोई संस्था चलाने लगता है तो इस ऐक्ट के परव्यू के अन्दर उसे लाने के लिये यह आवश्यक है कि यह ५ की संख्या हटा दी जाय। अगर ये शब्द हटा दिये जायेंगे तो अगर कोई व्यक्ति संस्था खोल कर शोषण करने लगता है तो वह ऐक्ट के परव्यू में संस्था आ जायगी और उसे बन्द किया जा सकता है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—श्रीमन्, मैं भी प्रस्तुत संशोधन का विरोध करता हूं और माननीय तिवारी जी ने अभी जो दलील दी मैं समझता हूं वह यहां बैठती नहीं है क्योंकि संस्था की जो व्याख्या है उसमें ये शब्द आये हैं कि "पांच या पांच से अधिक"। मैं नहीं समझता कि यदि किसी संस्था में ५ स्त्रियां और ५ बच्चे भी न हों तो उसको हम संस्था भी कह सकते हैं। माननीय तिवारी जी के दिमाग में केवल एक ही विचार था और वह था मैरेज ब्यूरो का। उस पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया कि उसका एडवर्टिजमेंट होता है और लोग उसका शोषण कर सकते हैं। मैं अपने दूसरे मित्र से सहमत हूं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि वह ५ के बजाय ३ रखने को तैयार हैं। मैं समझता हूं कि वह भी शायद उचित नहीं होगा, क्योंकि तीन व्यक्तियों से ही कोई संस्था बना दी जाय, यह कोई उचित बात नहीं है। मैं इस विधेयक का मतलब यह समझा कि इस तरह की छोटी-मोटी संस्थायें जो हैं जहां तादाद कम है उनको बन्द किया जाय और उनकी प्रापर्टी को दूसरों को ट्रांसफर किया जाय ताकि हम बड़ी-बड़ी संस्थायें बना सकें।

दूसरी बात यह है कि जब हम संस्था बनाते हैं तो उसके अन्दर कोई मैनेजर होगा, उसका स्टाफ भी होगा और भी दो तीन कर्मचारी होंगे और स्टाफ ज्यादा होगा और फायदा कम होगा और जिनके कल्याण की बात हम सोचते हैं उनका फायदा कम होगा। तो यह एक अजीब सी अनामली हो जायगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे तीन या तीन से अधिक की बात न मानें लेकिन पांच से या पांच से अधिक की तादाद बहुत आवश्यक है। वैसे पांच भी कम है लेकिन फिर भी पांच ही जो इस विधेयक में रखा गया है वही रहने दी जाय, क्योंकि उससे कम होने पर कोई संस्था नहीं होती, वह तो व्यक्तिगत चीज बन गई। इन शब्दों के साथ मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अब अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। मैंने देखा कि फैक्टरी ऐक्ट में परिभाषा २० मजदूरों की है यानी जहां २० मजदूर काम करते हों लेकिन मेरे जिले में उन्नीस-उन्नीस आदमी ५० जगहों में रखे हैं, जिससे फैक्टरी ऐक्ट लागू न हो। तो इस तरह से आप रास्ता खोल रहे हैं उन लोगों के लिये जो इस काम को करना ही चाहते हैं। किसी संस्था को कोई आदमी नामिनली मंत्री आदि का नाम लेकर खड़ी कर सकता है

और उसने लड़कियां रख लीं और शादी का विज्ञापन किया और दो को वहां रख कर फिर उस दो को हटा कर और फिर ले आयेगा तो उस पर तो कोई नियंत्रण रहेगा नहीं और इस तरह से बहुत से लोग व्यक्तिगत कार्य करते रहेंगे। इस तरह से संशोधन की परिभाषा में पड़ कर जो भावना है समाज को ऊंचा उठाने की उसको छोड़ दें, यह मैं समझता हूं कि उपयुक्त नहीं होगा। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

आचार्य जुगल किशोर---श्रीमन्, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, मैंने इस बात को तो स्वीकार कर लिया था कि पांच की जगह पर तीन का संशोधन कर दिया जाय तो मैं उसे मान लूंगा। संस्था का कोई न कोई रूप तो होना चाहिये कुछ न कुछ बालक या बालिकायें वहां पर होनी चाहियें तभी हम कार्यवाही कर सकते हैं। यह तो वहां के रहने वाले लोगों के प्रोटेक्शन के लिये कानून बनाया जा रहा है तो कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ यह कहा जाय कि इसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो वहां कुछ महिलायें होनी चाहियें। उनकी संख्या पांच रखी थी लेकिन क्योंकि वर्मा जी का सुझाव था कि कुछ न रखा जाय तो मैंने उनके सामने रखा कि पांच के बदले तीन हो जाय तो उसे स्वीकार कर लूं लेकिन अगर उनको मेरा सुझाव स्वीकार नहीं है तो मैं भी उनके स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री जयराम वर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सुझाव दिया है मैं उसे स्वीकार करने को तैयार तो हूं लेकिन मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं और जो आशंका की गई है उसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। आशंका यह की गई है कि बिना अनुज्ञप्ति के कोई संस्था स्थापित नहीं हो सकेगी यह ठीक है, यही तो मेरी आशंका है कि जब कोई संस्था बिना लाइसेंस के स्थापित नहीं होगी तो जिस संगठन में पांच से कम बालक बालिकायें होंगी तो चूंकि संस्था का रूप बनेगा ही नहीं, इसलिये लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं रह जायगी और ऐसे लोग बिना किसी लाइसेंस के संगठन चलाये जायेंगे और जिस अनाचार को रोकने के लिये यह अधिनियम बनाया गया है वह अनाचार पूर्ववत् चलता रहेगा। यद्यपि इसी के अन्त में दिया है कि "संस्था" जो इस प्रकार संगठित अथवा प्रशासित हो कि उसकी सेवा वास्तव में संस्थाबद्ध उद्देश्यों के अनुरूप हों उसमें रहने वालों की संख्या, जिनकी देख-रेख की जाय, चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस तरह से पांच या पांच से अधिक की बात रख कर एक छूट दे दी जाती है और लोग उसको इस तरह से चलायेंगे। अगर वह सुसंगठित और प्रशासित ठीक ढंग से हो जैसा कि संस्था का रूप है तो वहां पर संख्या की जरूरत है ही नहीं। यह तो संख्या की जरूरत वहां रहेगी जहां संस्था का रूप न दिया गया हो और संस्था का रूप न देकर लोग अनाचार करने की कोशिश करें। इसलिये मेरी मंशा यह है कि यह जो प्रतिबन्ध है वह हटा दिया जाय। वैसे अगर माननीय मंत्री जो इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं तो जो उन्होंने सुझाव दिया है मैं उसको मान लूंगा।

आचार्य जुगल किशोर---अगर वह तीन की संख्या को स्वीकार करते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---क्या मैं यह मान लूं कि श्री जयराम जी पांच की जगह तीन स्वीकार करते हैं?

श्री जयराम वर्मा---जी हां।

श्री उपाध्यक्ष--- प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) के भाग (४) की पंक्ति ६ के शब्द "पांच या पांच से अधिक" के स्थान पर शब्द "तीन या तीन से अधिक" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) के भाग (५) की पंक्ति ४ में शब्द "अनुज्ञप्त" के स्थान पर शब्द "अनुज्ञप्ति" रख दिया जाय।

श्रीमन्, यह भी एक व्याकरण की गलती है और यह संशोधन होना आवश्यक है, इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

आचार्य जुगल किशोर—जी हां, मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) के भाग (५) की पंक्ति ४ में शब्द "अनुज्ञप्त" के स्थान पर शब्द "अनुज्ञप्ति" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—श्री अवधेश प्रताप सिंह जी का एक संशोधन आया है और मैं समझता हूं कि उसकी सूचना आपको (आचार्य जुगल किशोर से) मिल गई होगी।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—श्रीमन, इसमें थोड़ी सी गलती यह हुई है कि जो कल हम लोगों ने संशोधन दिया था उसकी कापी यहां नहीं आ सकी और एजेन्डा पर वह है नहीं, इसलिये कृपा कर उसकी कापी दिलवा दीजिये। (कापी मिलने पर) मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (५) की पंक्ति १ में "अनुज्ञप्ति प्राधिकारी" के स्थान पर "मान्यता प्रदायक प्राधिकारी" रख दिया जाय।

श्रीमन्, मुझे आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना है कि वह भली भांति जानते हैं और इस सदन में दोनों पक्ष और जितने दल हैं उनमें के बहुत से सदस्यों ने यह विचार प्रकट किया है और यह उनकी रुचि थी कि जहां तक यह लाइसेंसिंग अथारिटी है यह एक ऐसी चीज है कि जो रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन्स या जो रिकग्नीशन अथारिटीज हैं वह रखी जायं। माननीय नवलकिशोर जी की भी ओर से आपत्ति इसी प्रकार थी और यह देखते हुए कि इसमें निर्दोष हैं, निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, वहां की दोष रहित संस्थायें हैं, मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इसको ध्यानपूर्वक विचार करेंगे और देखेंगे कि जहां यह अनुज्ञप्ति प्राधिकारी, लाइसेंसिंग अथारिटी दिया हुआ है उसकी जगह मैं यह चाहता हूं कि "मान्यता प्रदायक प्राधिकारी" रख दिया जाय।

एक सदस्य—इसका मतलब क्या है?

श्री अवधेश प्रताप सिंह—यह एक शाब्दिक संशोधन है। मतलब वही लाइसेंसिंग अथारिटीसे है। (कुछ व्यवधान होने पर) श्रीमन्, थोड़ी सी गलतफहमी हो रही है। लोग यह समझ रहे हैं कि कोई ऐसी बात इसमें है कि जिसके लिये मुझे कोई विशेष तर्क देना है। मैं समझता था कि यह इतना सरल और साधारण संशोधन है कि इसके लिये कोई आवश्यकता हमें न पड़ेगी कि हम इसके लिये कोई विवाद यहां पैदा करें।

श्री अतहर हुसैन ख्वाजा (जिला सहारनपुर)—नालायक लोगों का भी खयाल रखना चाहिये।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—मैं तो यह समझता हूं कि हर सदस्य मुझसे अधिक योग्य है। मान्यवर, यह एक ऐसी चीज है कि अगर इसको रख दिया जाय, "मान्यता प्रदायक प्राधिकारी" रख दिया जाय, तो इससे बिल्कुल साफ हो जायगा। इसका मतलब यह है कि जो मान्यता प्रदान करे वह प्राधिकारी। मैं समझता हूं कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

आचार्य जुगल किशोर---मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इस खयाल से कि मान्यता शब्द कुछ अच्छा मालूम होता है। परन्तु जो दिक्कत है वह यह है कि मान्यता प्रदान करने वाले अधिकारी को यह भी अधिकार है कि जिस संस्था को मान्यता प्रदान की जायगी उस संस्था को मान्यता को कैंसिल करने का अधिकार भी उस अधिकारी को है। इसमें कुछ दिक्कत शायद पैदा हो। मैं कह नहीं सकता; वैसे मुझे कोई आपत्ति इस शब्द के लिये नहीं है। बाद में कोई दिक्कत हो तो मैं उसके लिये जानकारी कर लूं या इसको ऐसे ही रहने दिया जाय। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो अपर हाउस में जाकर इसको बदल दिया जायगा इसलिये मैं समझता हूं कि इसको अब मुल्तवी कर दिया जाय या जैसा है वैसा ही रहने दिया जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय मंत्री महोदय को जो कठिनाई है वह मेरी समझ में नहीं आयी चूंकि उन्होंने यह कहा कि लाइसेंस को तो हम कैंसिल कर सकते हैं लेकिन मान्यता देने पर हम क्या करेंगे। इस सम्बन्ध में मुझे उनसे यह निवेदन करना है कि जिस तरह से लाइसेंस कैंसिल किया जाता है उसी प्रकार से मान्यता रिकग्नीशन भी विदड्रा की जा सकती है। जो लाइसेन्स देता है वह लाइसेंस कैंसिल भी करता है। इसी प्रकार से जो मान्यता देगा वह उस मान्यता को वापस भी ले सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिये इस कठिनाई के अभाव में यह उनको स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि शब्द "मान्यता" भी कुछ बहुत ज्यादा मौज नहीं है। "अनुज्ञप्ति" शब्द हिन्दी में लिखा हुआ है। उसके साथ वह आपत्ति नहीं हो सकती जो "लाइसेन्स" शब्द के साथ है। तो वह शब्द वैसे ज्यादा बेजा नहीं मालूम होता है, लेकिन अगर अंग्रेजी ड्राफ्ट में "रजिस्ट्रेशन" कर दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। "मान्यता" शब्द इस प्रकार के इन्स्टीट्यूशन के लिये रखना उचित नहीं मालूम होता है। मान्यता दूसरे प्रकार की संस्थाओं को दी जाती है; इसलिये "अनुज्ञप्ति" शब्द बना रहे, दूसरे शब्दों को रखने के बजाय इसी शब्द को रहने दिया जाय तो ज्यादा उचित होगा। अंग्रेजी में 'लाइसेन्स' के स्थान पर 'रजिस्ट्रेशन' कर दिया जाय।

आचार्य जुगल किशोर---जैसा बतलाया गया है कि "रजिस्ट्रेशन" रख दिया जाय मैं इसको मानने के लिये तैयार हूं और मैं समझता हूं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन के लिये कैंसिल की बात भी आ सकती है। इस प्रकार से जो "मान्यता" शब्द आया है उसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्रीमती प्रकाशवती सूद---मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर खींचना चाहती हूं कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने में अभी विधान में कठिनाई है। रजिस्ट्रेशन तभी कैंसिल हो सकता है जब कि कमेटी के एक तिहाई सदस्य उस पर हस्ताक्षर कर दें। अगर "रजिस्ट्रेशन" शब्द इसमें रख दिया जायगा तो इस कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिये जो यह "मान्यता" शब्द इसमें रखा गया है उसको ही रहने दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं माननीय अवधेशप्रताप सिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

आचार्य जुगल किशोर---वह तो मैंने स्वीकार कर लिया है।

श्री जयराम वर्मा---यहां थोड़ी सी गलतफ़हमी हो रही है। "रिकगनीशन" शब्द के लिये "मान्यता" का प्रयोग नहीं हुआ है। बजाय "मान्यता" के "अभिज्ञा" रखना चाहिये इससे पहले जो विधेयक प्रस्तुत हुये है वहां "रिकगनीशन" के लिये "अभिज्ञा" का प्रयोग हुआ है।

आचार्य जुगल किशोर---मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। इसमें कंसीक्वेन्शल चेन्जेज हो जावेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---मैं इसे सदन में रख देना मुनासिब समझता हूं। प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) के भाग (५) की पंक्ति १ में शब्द "अनुज्ञप्ति प्राधिकारी" के स्थान पर "मान्यता प्रदायक प्राधिकारी" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा---जो संशोधन अभी स्वीकृत हुआ उससे मेरा संशोधन जैसा पहले था, वह खुद गिर गया या इस संशोधन को फिर से संशोधित किया जाय तो मेरा संशोधन आ सकता है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---अब तो यह बहुत लेट है, उनको पहले पेश करना चाहिये था।

श्री जयराम वर्मा---मेरा यह संशोधन कुछ अशुद्ध हो गया है। मैं उसे शुद्ध रूप में रखना चाहता हूं। कुछ शब्दों का हेरफेर इसमें हो गया है। वह संशोधन इस तरह से है---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) की पंक्ति १ में शब्द "अपारिभाषित" के स्थान पर शब्द "अपरिभाषित" और पंक्ति २ में शब्द "पारिभाषित" के स्थान पर "परिभाषित" रख दिया जाय। "अनडिफाइन्ड" के लिये लिखा हुआ है "अपारिभाषित" और "डिफाइन्ड" के लिये लिखा हुआ है "पारिभाषित"। तो मैं समझता हूं कि इस अशुद्धि को ठीक करने के लिये मंत्री जी मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

आचार्य जुगल किशोर---मुझे बतलाया गया है कि जो शब्द इसमें दिये हैं वही ठीक हैं। इसलिये इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री जयराम वर्मा---"डेफीनीशन" शब्द के लिये "परिभाषा" इस्तेमाल होता है। सभी लोग इसे जानते होंगे कि पारिभाषा नहीं होता है। पता नहीं किस आदमी ने उनको ऐसी सलाह दे दी है कि वह गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि उनको सलाह देने वाला कौन है। श्रीमन्, आप डिक्शनरी देख लें, न जाने किस तरह से इसको ठीक बताया जा रहा है।

आचार्य जुगल किशोर---श्रीमन्, मैं इसको आपके ऊपर छोड़े देता हूं, इन दोनों में जो भी शब्द शुद्ध हो उसको आप इस्तेमाल कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---मेरे विचार से अभिप्राय सभी सदस्यों का एक ही है। दोनों शब्दों से एक ही अभिप्राय निकलता है। ऐसी दशा में इसको दफ्तर के लिये छोड़ दीजिये, जो शब्द ठीक होगा वह रख दिया जायगा। मैं समझता हूं कि अब इस संशोधन को सदन के सम्मुख रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

३--इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी संस्थाओं से, जिनके संबंध में यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, सम्बद्ध अथवा उन पर प्रभाव डालने वाले अन्य किसी विधायन के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके प्रतिकूल, सिवाय उस स्थिति के जबकि वे उपबन्ध स्पष्टरूप से इस अधिनियम द्वारा निरस्त (repeal) होते हों।

अन्य विधायनों पर प्रभाव।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव यह है कि खंड ३ निकाल दिया जाय यानी मैं इस खंड का विरोध करता हूं।

श्रीमन्, इस खंड ३ में जो शब्द प्रयुक्त किये गये हैं उनसे इस विधेयक का मतलब ही विपरीत हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है--

"इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी संस्थाओं से, जिनके संबंध में यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, संबद्ध अथवा उन पर प्रभाव डालने वाले अन्य किसी विधायन के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके प्रतिकूल, सिवाय उस स्थिति के जब कि वे उपबन्ध स्पष्ट रूप से इस अधिनियम द्वारा निरस्त होते हों।"

इसका अर्थ यह है कि जिन संस्थाओं के लिये यह अधिनियम बनाया जा रहा है अगर उन संस्थाओं के बारे में दूसरे ऐक्ट्स होंगे, उनको सप्लीमेंट करने के लिये ऐक्ट होगा, उनके विरुद्ध न होगा। वहीं पर विरुद्ध जायगा जहां कि इस ऐक्ट के द्वारा कोई धारा या उपबन्ध रिपील कर दिया गया हो। अब आप देखेंगे कि इस विधेयक में कोई भी खंड ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे विधेयक की किसी धारा को रिपील करता हो। इस विधेयक से किसी भी विधेयक की कोई धारा रिपील नहीं होती है। अब अगर यह दूसरे विधेयकों के साथ-साथ चलता है, उनको सिर्फ सप्लीमेंट करता है और किसी मानी में उसकी प्रायोरिटी नहीं है, तो जैसा कि जनरल क्लाजेज ऐक्ट में होता है कि बाद को जो ऐक्ट पास होता है उसको प्रथम स्थान दिया जाता है लेकिन इस धारा के रहने से इस विधेयक का मन्तव्य समाप्त हो जाता है। आगे चल कर इसमें कहा गया है कि प्रबन्ध समिति बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट रीति से संगठित अथवा पुनस्संगठित की जाय यानी किसी भी इंस्टीट्यूशन की मैनेजिंग कमेटी को सुपरसीड करने का, किसी मेम्बर को हटाने का, इस विधेयक द्वारा बोर्ड को अधिकार होगा। मान लिया जाय कि किसी मैनेजिंग इंस्टीट्यूशन की स्थापना अगर ट्रस्ट ऐक्ट के अनुसार हुई, या चैरिटेबिल इनडाउमेंट ऐक्ट के अनुसार हुई तो उन पर चैरिटेबिल इनडाउमेंट ऐक्ट भी लागू होगा, ट्रस्ट ऐक्ट भी लागू होगा और जो हमारा यह ऐक्ट है यह भी लागू होगा, इस तरह से तीन ऐक्ट लागू होंगे। यह ऐक्ट किसी को रिपील नहीं करता। हम ट्रस्ट ऐक्ट के मातहत कोई ट्रस्ट बनावें और उसकी मैनेजिंग बाडी के जो मेम्बर हैं उनको हम निकालना चाहें तो इस ऐक्ट के मुताबिक कैसे निकाल सकेंगे क्योंकि यह ऐक्ट किसी को निकालने का अधिकार तो देता है खंड ४१ के अनुसार, लेकिन ट्रस्ट ऐक्ट के खिलाफ जाता है। इस तरह से इस ऐक्ट का मंशा इन दोनों ऐक्ट के खिलाफ जाने का नहीं है बल्कि इस विधेयक के द्वारा सुधार करना है जो कि इस खंड तीन के द्वारा असफलीभूत रह जाता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह जो खंड तीन है इसको निकाल दिया जाय और जनरल क्लाजेज ऐक्ट जैसे सब अधिनियमों के लिये लागू है उसी प्रकार से इस अधिनियम के लिये भी लागू होगा।

आचार्य जुगल किशोर--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह नहीं मालूम है कि इसको हटा देने से कौन-सी ऐसी बात हो जायगी जिसको कि हमारे माननीय सदस्य चाहते हैं। इसका रहना तो इसलिये निश्चित है कि आज जो कोई ऐक्ट है उसके सम्बन्ध में यह खयाल न हो कि यह ऐक्ट उसके खिलाफ जाता है। परन्तु यह कहा जाय कि यह ऐक्ट उसके सप्लीमेंट में, उसके ऐडिशन में बनाया जा रहा है। यदि आगे चल कर कानून में कोई न

[आचार्य जुगल किशोर]

कोई कन्फिक्शन पैदा होगी तो उसका इंटरप्रिटेशन उस वक्त कर लिया जायगा और उस वक्त जैसी जरूरत होगी उसके अनुसार उसको बदल दिया जायगा। जैसा कि और कानूनों के लिये निर्णय होता है उसी तरह से इसके लिये भी किया जायगा। तो मैं समझता हूं कि इस धारा का रहना बहुत आवश्यक है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं जानना चाहता हूं कि खंड ३ के अनुसार किसी ऐक्ट को रिपील करने का कोई प्राविजन है। इसका ऐक्ट में कहां प्रबन्ध किया गया है जो इसमें रिपील करने की बात लिखी गयी है ?

आचार्य जुगल किशोर--लोगल लैंग्वेज होती है उसके लिये लिखा है। रिपील करने का कोई प्रश्न तो सामने आया नहीं। जब रिपील करने का कोई समय आयेगा तो यह प्राविजन है और उससे काम लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

अपवाद ४--यह अधिनियम ऐसी किसी संस्था पर, जो राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संधारित (maintained) हो अथवा किसी अभिज्ञात (recognized) शिक्षा संस्था से संलग्न (attached) किसी गृह (home) अथवा छात्रावास पर प्रवृत्त नहीं होगा।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है कि खंड ४ निकाल दिया जाय। श्रीमन्, मेरे संशोधन का अभिप्राय यह है कि.....

श्री उपाध्यक्ष--यह संशोधन नहीं है बल्कि आपका विरोध है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह--वैसे तो विरोध ही है लेकिन आशा है कि बाद में कोई संशोधन आयेगा तो उसको स्वीकार भी कर लिया जायगा। इस विरोध के सम्बन्ध में मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं विरोध इस कारण से कर रहा हूं कि इस ऐक्ट के परव्यू में जो भी इंस्टीट्यूशन्स हैं, जो इस प्रादेशिक सरकार तथा केन्द्रीय सरकार या स्थानीय निकायों तथा मान्यता प्रदान संस्थाओं के द्वारा चलाये जा रहे हैं उनको इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र से बाहर आपने घोषित कर दिया है। इससे यह सिद्ध होता है जैसा कि श्रीमन्, कल भी मैंने इस सदन का ध्यान आकर्षित किया था कि जहां तक लोकल बाडीज के सम्बन्ध में है, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय को यह बतलाना चाहूंगा कि हर जगह आप यह न समझें कि हर लोकल बाडी के इंस्टीट्यूशन्स इस तरह के हैं जो सुचारु रूप से चलाये जा रहे हैं। और रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के साथ जो इस तरह की संस्थायें हैं, जो उनसे संलग्न हैं और उनके द्वारा चलायी जा रही हैं वे भी बहुत ऐसी हैं जो सुचारु रूप से नहीं चल रही हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि आपने इस ऐक्ट को उन पर लागू नहीं किया तो उसका दुष्परिणाम यही होगा कि जिस तरह का कुप्रबन्ध उन जगहों में चल रहा है वह चलता रहेगा। यदि मैं तर्क के लिये, विवाद के लिये, यह भी स्वीकार कर लूं कि जो संस्थायें केन्द्रीय सरकार अथवा प्रादेशिक सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं वे सुचारु रूप से चल रही हैं, अच्छे ढंग से उनका काम हो रहा है तो मान लूं परन्तु यह कोई नवीनता नहीं है। माननीय मंत्री महोदय स्वयं जानते हैं कि बहुत से लोकल बाडीज ऐसे हैं जिनका खुद ही चलना चलाना मुश्किल हो रहा है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि सरकार बारम्बार म्यूनिसिपैलिटीज, जिला बोर्ड और नोटिफाइड

एरियाज को सुपरसीड और ससपेंड कर रही है। तो जब हम एक ओर देखते हैं कि हमारे लोकल बाडीज ठीक से काम नहीं कर सकते हैं तो मैं नहीं समझता कि मंत्री जी के पास कौन सा तरीका है, किस अधिकार की बिना पर और किस सार और किस आधार पर वह यह करना चाहते हैं कि लोकल बाडीज द्वारा जो संस्थायें चलाई जा रही हैं उनको इस बिल के अधिकार क्षेत्र के बाहर रखा जाय। ऐसी परिस्थिति में तो मैं चाहता हूं वह जरा गम्भीरता से विचार करें। मुझे इसमें कोई आपत्ति न होगी कि प्रादेशिक सरकार और केन्द्रीय सरकार द्वारा जो संस्थायें चलाई जा रही हैं उन पर यह कानून लागू न किया जाय, लेकिन जहां तक लोकल बाडीज या रिकग्नाइज्ड इंस्टीटयूशन्स का सवाल है उन पर यह जरूर लागू होना चाहिए वर्ना कुछ दिन बाद इसी सदन में माननीय मंत्री जी फिर एक संशोधन लेकर आयेंगे और कहा जायगा कि यह संशोधन करना आवश्यक है और उस समय तो यह अवश्य ही पारित हो जायगा चाहे इस वक्त सम्भवतः सदन इस पर विशेष ध्यान न दे।

श्री शिवनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं इस खंड का समर्थन करता हूं और माननीय अवधेश प्रताप सिंह ने जो इसका विरोध किया है उसका मैं विरोध करता हूं। इसमें लिखा है कि:—"This Act shall not apply to any institution maintained by State Government or Central Government"। स्टेट गवर्नमेंट या सेन्ट्रल गवर्नमेंट के मामलों में दखल नहीं दे सकती और न सरकार को चाहिए कि लोकल बाडीज के मामलों में दखल दे। यहां हमें यह अधिकार नहीं लेना चाहिए कि हम उनके इन्स्टीट्यूशन्स में भी दखल दें। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह खंड ज्यों का त्यों रहे और इसका विरोध जो किया गया है वह मुनासिब नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य के संशोधन का विरोध करता हूं।

आचार्य जुगल किशोर—अध्यक्ष महोदय, मैं इसको अस्वीकार करता हूं। जहां तक इन संस्थाओं का प्रश्न है चाहे वह गवर्नमेंट की हों या लोकल बाडीज की हों, सब पर सरकार का नियंत्रण रहता है। अगर किसी वक्त में कोई संस्था अपने कार्य को ठीक से नहीं करती है या अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है तो सरकार हमेशा उनको बन्द कर सकती है। यहां तो सवाल उन संस्थाओं का है कि जिन पर अभी तक सरकार का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है और उन्हीं के लिए यह कानून लाया जा रहा है। इसलिए इस खंड का रहना बहुत ही आवश्यक है और इस संशोधन की मैं मुखालफत करता हूं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं जो दलील आप दे रहे हैं उसको तो मैंने स्वयं स्वीकार कर लिया है और प्रादेशिक सरकार या केन्द्रीय सरकार के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, जो लोकल बाडीज हैं उनके बारे में आप कोई मत प्रकट नहीं कर रहे हैं।

आचार्य जुगल किशोर—लोकल बाडीज से मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल बोर्ड से है और इन्स्टीटयूशन्स का मतलब यहां पर है जो ऐसी एजूकेशनल इंस्टीटयूशंज हैं जिनको गवर्नमेंट ने रिकागनीशन दिया है। उसके साथ में कोई होस्टल है, उसके साथ में कोई प्रतिबन्ध इस विधेयक का नहीं होगा, यह मतलब इसका है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

प्रशासकीय बोर्ड।

५--(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार एक प्रशासकीय बोर्ड स्थापित करेगी।

(२) यह बोर्ड एक निगमित संस्था (Body Corporate) होगा जिसे सतत् अनुक्रम (perpetual succession) प्राप्त होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा (common seal) होगी और वह उपर्युक्त नाम से वाद प्रस्तुत करेगा और उसी नाम से उस पर वाद प्रस्तुत किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

बोर्ड का संगठन।

६--(१) बोर्ड निम्नलिखित से मिल कर बनेगा :--

(क) एक सभापति (chairman), जिसे राज्य सरकार नियुक्त करेगी;

(ख) दो सदस्य, जिन्हें उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य अपने में से निर्वाचित करेंगे;

(ग) एक सदस्य, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सदस्य अपने में से निर्वाचित करेंगे;

(घ) दस अन्य सदस्य, जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करेगी; और

(ङ) संचालक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश (Director of Social Welfare, U. P.) अथवा उसके द्वारा नाम निर्देशित कोई व्यक्ति।

(२) खंड (घ) के अधीन सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से चुने जायंगे जो सामाजिक कार्यकर्ता हों अथवा ऐसी संस्थाओं से संबद्ध हों जो समाज कल्याण के कार्यों में लगी हों और जहां तक संभव हो ऐसे सदस्यों की आधी संख्या महिलाओं की होगी।

(३) संचालक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश अथवा उसके द्वारा नाम निर्देशित कोई व्यक्ति बोर्ड का पदेन (ex-officio) सचिव (Secretary) होगा।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत (जिला गोंडा)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (क) के पश्चात् "कक" निम्नलिखित रूप में जोड़ दिया जाय--

"(कक) समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हों।"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि इस बोर्ड का चेयरमैन सरकार द्वारा चुना गया है लेकिन हमारे समाज कल्याण बोर्ड के चेयरमैन को भी इन संस्थाओं से सम्बन्ध रखना पड़ता है, तो मैं समझती हूं अध्यक्ष होना बहुत आवश्यक है और उसको उपाध्यक्ष होना चाहिये।

*श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। एक तो यह कि समाज कल्याण बोर्ड के डाइरेक्टर इसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सचिव होंगे और उसके अध्यक्ष इसके उपाध्यक्ष हो जायं तो समाज कल्याण के हाथ में ही यह संस्था चली जायगी तो फिर अलग संस्था बनाने की क्या जरूरत थी ? इसलिये उसके डाइरेक्टर जो सेक्रेटरी हों अध्यक्ष को उपाध्यक्ष नहीं होना चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि पदाधिकारियों को ले कर इस बोर्ड में १५ सदस्य होंगे लेकिन अगर यह संशोधन मान लिया जाता है तो संख्या १६ हो जायगी । इस तरह से १५ के बजाय संख्या १६ इस संशोधन से हो जाती है जो कि बिल्कुल अनुचित है ।

तीसरी बात यह है कि इसमें सभापति होंगे, अध्यक्ष नहीं होंगे । दूसरा अगर कोई होता है तो उप-सभापति हो सकता है, वह उपाध्यक्ष नहीं हो सकता है ।

चौथी बात जिस रूप में यह संशोधन रक्खा गया है वह फिट-इन नहीं करता । इसका रूप बदल दिया जाय । मान लिया जाय कि इसका रूप बदल दिया तो जिस रूप में संशोधन रक्खा है उस रूप में यहां संशोधन हो नहीं सकता । इन कारणों से मैं इसका विरोध करता हूं और इसलिये इसको स्वीकार नहीं करना चाहिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं इस संशोधन का हार्दिक समर्थन करता हूं । श्रीमन्, मेरे विचार से यह जो समाज कल्याण बोर्ड है यह वह सरकारी बोर्ड नहीं है जैसा कि माननीय जोरावर वर्मा जी समझ रहे हैं । यह वह गैरसरकारी बोर्ड है जो समाज कल्याण बोर्ड के नाम से प्रसिद्ध है और उस पर सरकारी बोर्ड को जिस रूप में सरकारी सहायता की आवश्यकता पड़ती है उससे वह पूर्णतया सरकारी बोर्ड नहीं कहा जा सकता और संशोधन का अर्थ जहां तक मैं समझा हूं वह यह कि यह ठीक है, यहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उस बोर्ड के मेम्बर हों । यह शायद उसका अर्थ है क्योंकि यहां तो चेयरमैन के शब्द का तर्जुमा किया गया है । अगर यहां पर उप-सभापति बनाने का मंशा होता तो वाइस-चेयरमैन रक्खा गया होता । उपाध्यक्ष की जगह उप-सभापति रक्खा गया होता क्योंकि 'सभापति' शब्द का तर्जुमा 'चेयरमैन' यहां रक्खा गया है और 'अध्यक्ष' शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ । अगर यह न हो तो इतना अवश्य रखना चाहिये कि अध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड के जो हों उनको अवश्य बोर्ड का सदस्य होना चाहिये ।

श्री नवलकिशोर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानते हुए भी कि भाषा ठीक नहीं है, समझता हूं कि यह संशोधन ठीक पेश किया गया है । यह सही है कि उसकी भाषा ठीक होनी चाहिये । परन्तु इसके पीछे जो प्रस्तावक की भावना है उसका मैं समर्थन करता हूं । उसका कारण यह है कि जैसा अभी तिवारी जी ने भी कहा समाज कल्याण बोर्ड जो है यह नान-आफिशियल बाडी है और आम तौर से उसमें जो महिलायें हैं उन्हीं में से एक उसकी अध्यक्षा होती हैं । तो यह उचित ही है, जब हम ऐसा विधेयक पास कर रहे हैं जिसका खास सम्बन्ध महिलाओं की संस्थाओं से हो और बच्चों की संस्थाओं से हो, तो उस समाज कल्याण की जो अध्यक्षा हैं वह इस बोर्ड की उप-सभापति हों । तो मैं समझता हूं यह उचित ही है और कोई अनुचित मांग नहीं है और मुझे आशा है मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री अवधेशप्रताप सिंह—मान्यवर, मैं प्रस्तुत संशोधन का हार्दिक समर्थन करता हूं और आशा करता हूं मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे । मैंने माना कि शब्दों के हेरफेर से तो भावना को नहीं ठुकराया जा सकता । यह ठीक है जिस रूप में यह संशोधन आया है वह अपनी जगह पर हैपिली वर्डेड नहीं है और यह सच है कि यहां उपसभापति होना चाहिये था बजाय उपाध्यक्ष के । परन्तु इसके कारण यह पूरा संशोधन ठुकराया जाय यह ठीक नहीं है । मैं माननीय नवलकिशोर जी से सहमत हूं और मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसकी रूपरेखा बदल दी जाय । यह मैंने माना जिस रूप में संशोधन

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]
है वह नहीं स्वीकार किया जा सकता, लेकिन परिवर्तित रूप में यह संशोधन अवश्य माना जाय और यह जनहित में भी है और इससे लाभ ही पहुंच सकता है कोई हानि नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं प्रस्ताविका से पूछना चाहता हूं कि उनका अभिप्राय वास्तव में क्या है, इसको स्पष्ट कर दें तो ठीक है।

श्रीमती सज्जनदेवी महनोत—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तात्पर्य यही है कि समाज कल्याण बोर्ड की जो अध्यक्षा हैं वह उप-सभापति हों, इस बोर्ड की।

श्री रामेश्वरलाल—मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ, माननीय जयराम वर्मा जी को जिन चारसूत्री योजनाओं के आधार पर इसका नवीनीकरण उन्होंने किया और इस प्रस्ताव का विरोध किया। मैं माननीय जयराम जी वर्मा से पूछना चाहता हूं और मैं समझता हूं जैसा कि उन्होंने अपना भाषण दिया वह यह महसूस करते हैं कि सभापति के बाद उपसभापति की आवश्यकता है और अन्त में अपने भाषण को समाप्त करते हुए उन्होंने कबूल किया है यदि 'उप-सभापति' शब्द रख दिया जाय, 'उपाध्यक्ष' की जगह पर, तो उसे कबूल किया जाना चाहिये। ऐसा उन्होंने इन्डायरेक्ट वे में इसको कबूल किया है। तो श्रीमन्, यह तो मान लिया माननीय जयराम जी ने कि बोर्ड का उप-सभापति हो। अब प्रश्न यह है कौन हो? और माननीया सज्जन देवी महनोत जी ने जो अपना प्रस्ताव रखा है उसमें उन्होंने यह कहा है कि समाज कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वह उप-सभापति हों। माननीय जयराम जी चाहते हैं कि जो दो सदस्य विधान सभा के सरकार द्वारा नामीनेट हों उनमें से कोई सभापति, उपसभापति हो या काउन्सिल का जो एक आदमी नामीनेट हो सरकार द्वारा वह उपसभापति हो, या समाज कल्याण बोर्ड में जो ५ महिलायें होंगी उनमें से कोई उपसभापति हों। इसमें से आप चाहते हैं, ऐसा मेरा ख्याल है। तो मैं समझता हूं माननीय जयराम वर्मा जी सीधी बात अपनी न कह कर कुछ तिरछी बात कर रहे हैं। तो श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि तिरछी बातें हम लोग समझते हैं और यह समझते हैं कि उस तिरछी बात से अच्छी बात यह है कि जो नान-आफिशियल बाडी, हमारा समाज कल्याण बोर्ड है, उसके जो उप-सभापति हैं, जब आवश्यकता हो वह इसका उप-सभापतित्व करें। तो मैं इस लिये माननीय जयराम जी वर्मा के उस प्रस्ताव का विरोध करते हुए इस संशोधन का हृदय से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

आचार्य जुगल किशोर—जहां तक यह संशोधन है, मैं जिस तरह से यह रखा गया है उसको तो स्वीकार इसलिए नहीं करता क्योंकि किसी एक गैर-सरकारी संस्था को इस ऐक्ट में इस तरीके से रख करके कि उन्हीं का प्रेसीडेंट इसका वाइस-चेयरमैन हो, यह ज्यादा मुनासिब नहीं होगा। हां, यह मैं कर सकता हूं कि रूल्स बनाते वक्त सोशल वेल्फेयर के लिये जब हम देखते हैं कि उनका सहयोग मिलता रहेगा तो उनके चेयरमैन कमेटी के सदस्य अवश्य बनें, इसका मैं आश्वासन दिलाता हूं। इसको मैं रूल्स में प्रोवाइड कर दूंगा। मैं समझता हूं कि इसको जिन्होंने मूव किया है वह इसे वापस ले लेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—रूल्स से क्या ताल्लुक है, खंड ६ में कहीं नहीं है। यह है कि गवर्नमेंट नामिनेट कर सकती है। तो वह नामिनेट कर सकती है। रूल्स का तो जिक्र ही नहीं है।

आचार्य जुगल किशोर—रूल्स में इस तरह की गुंजाइश है कि इस तरह के जो मेम्बर्स बनें उसमें वह निर्णय कर सकें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—कहां है ऐसा?

आचार्य जुगल किशोर—मैं देख कर बतला दूंगा ।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—श्रीमन्, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि उपाध्यक्ष जो हैं समाज कल्याण बोर्ड के वह उपस्थित होंगे, तो १० सदस्य जब सरकार नियुक्त करेगी तो उसमें से आप रखेंगे या क्या करेंगे ? यह जरा साफ होना चाहिये ।

श्री शिवनारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्रों ने जिन्होंने इसका समर्थन किया मैं उसका विरोध इसलिए करता हूं कि जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमको १० मेम्बर नामिनेट करने की पावर है, उसमें से एक वह भी नामिनेट कर देंगे । अगर चेयरमैन अनुपस्थित रहेगा तो किसी और को वाइस-चेयरमैन बनाया जा सकता है । गवर्नमेंट उसको नामिनेट करेगी । सब मेम्बर नामिनेटेड गवर्नमेंट के हैं तो कोई भी मेम्बर वाइस-चेयरमैन के तौर पर रखा जा सकता है । यह तो बाडी को अख्तियार है । या चेयरमैन खुद किसी आदमी को डेप्यूट कर सकता है । इसलिए मैं इस सबका विरोध करता हूं ।

श्रीमती सज्जन देवी महनोत—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो मुझे आश्वासन दिया वह मुझे स्वीकार है । मैं इसे वापस लेती हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री रामेश्वर लाल—श्रीमन्, मेरे तीन संशोधन हैं, वह तीनों एक ही साथ पेश कर रहा हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (ख) के शब्द "दो" के स्थान पर शब्द "पांच" रख दिया जाय ।

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (ग) के शब्द "एक" के स्थान पर शब्द "दो" रख दिया जाय ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (घ) के शब्द "दस" के स्थान पर शब्द "बारह" रख दिया जाय ।

मान्यवर, आप देखेंगे कि खंड ६ के मातहत एक बोर्ड बनाने की व्यवस्था है और इस बोर्ड के जितने भी सदस्य होंगे वह सारे सदस्य सरकार द्वारा नामजद सदस्य होंगे । सरकार ने जो व्यवस्था बोर्ड बनाने की की है जिनका नाम निर्देशन सरकार करेगी वह इस प्रकार बनाया है कि एक सभापति जिसको राज्य सरकार नियुक्त करेगी; दो सदस्य जिन्हें, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य अपने में से निर्वाचित करेंगे; एक सदस्य, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य अपने में से निर्वाचित करेंगे; दस अन्य सदस्य जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करेगी और संचालक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश अथवा उसके द्वारा नाम निर्देशित कोई व्यक्ति । दूसरा है—खंड (घ) के अधीन सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से चुने जायंगे जो सामाजिक कार्यकर्ता हों अथवा ऐसी संस्थाओं से संबद्ध हों जो समाज कल्याण के कार्यों में लगी हों और जहां तक सम्भव हो ऐसे सदस्यों की आधी संख्या महिलाओं की होगी । (३) संचालक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश अथवा उसके द्वारा नाम निर्देशित कोई व्यक्ति बोर्ड का पदेन सचिव होगा । इस खंड को पूरा मैंने श्रीमन्, आपकी आज्ञा से पढ़ दिया । अब हम यह चाहते हैं कि सरकार द्वारा ही नामजद होने वाले लोगों का एक बोर्ड बनने वाला है उसमें विधान सभा के दो सदस्य रखे गए हैं जो विधान सभा के सदस्य चुनेंगे अपने में से, वह पांच कर दिये जायं और जो उत्तर प्रदेशीय विधान परिषद के सदस्य द्वारा चुने हुए एक सदस्य जो हैं उनकी संख्या दो कर दी जाय और दस सदस्य जिनको सरकार नियुक्त करेगी उनकी संख्या १२ कर दी जाय जिसमें अनिवार्य रूप से आधी यानी ६ महिलायें होंगी ।

[श्री रामेश्वर लाल]

अब हम क्यों यह चाहते हैं ? श्रीमन्, यह साफ है कि यह ४३० का जो सदन है यह प्रान्त के बिखरे हुए जनसमूह का प्रतिनिधित्व करता है और सरकार की मंशा दो सदस्यों को विधान सभा के इस बोर्ड में रखने की जो है उससे यह साफ है कि सरकार चाहती है कि विधान सभा के सदस्यों का जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और किसी भी माने में समाज कल्याण के कार्यों में पीछे नहीं रहे हैं उनका प्रतिनिधित्व बोर्ड में हो। मैं चाहता हूं कि यह दो की संख्या बढ़ा कर पांच कर दी जाय और इसलिए चाहता हूं कि यह प्रान्त बहुत बड़ा है, इसका बड़ा व्यापक क्षेत्र है। आप जो काम करने जा रहे हैं वह लाखों अनाथ बच्चों और महिलाओं से सम्बन्ध रखता है जिनकी संस्थायें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक बहुत दूर-दूर तक फैली हुई हैं। मैं यह समझता हूं कि यदि दो ही सदस्य विधान सभा के उस बोर्ड में रहेंगे तो पूरे प्रान्त का सही मानें में वह प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेंगे, और मुझे शक है कि यदि वह किसी एक ही जिले के हो गए तो सारे जिलों के सम्बन्ध में उनकी जानकारी नगण्य और शून्य ही रहेगी। आवश्यकता इस बात की है कि विधान सभा के द्वारा चुने हुए विधान सभा के पांच सदस्य जो हों, दो की जगह पर, वे फैले हुए पूरे प्रान्त के क्षेत्रों से हों और वह सही माने में इन संस्थाओं के सम्बन्ध में जानकारी रखते हों, ताकि वह सही माने में अपना प्रतिनिधित्व कर सकें। इसलिए मैंने अपने प्रस्ताव द्वारा माननीय मन्त्री जी की सेवा में यह निवेदन किया है कि दो की संख्या पांच कर दी जाय।

यही मंशा हमारी कौंसिल के लिए भी है कि वहां के एक सदस्य की जगह पर दो कर दिये जायं। जहां तक सरकार दस व्यक्तियों को नियुक्त करने जा रही है उनकी भी संख्या दस से बारह बढ़ा देने की सिफारिश मैंने अपने प्रस्ताव में की है, और मैं चाहता हूं कि समाज कल्याण के काम करने वाले अधिक से अधिक लोगों को हक प्राप्त हों और उन्हें समाज कल्याण का काम करने के लिए मौका मिले। इस लिए साफ शब्दों में हमारी मंशा यह है कि जो बोर्ड है वह विस्तृत हो। मैं नहीं समझता कि मंत्री जी के पास कोई इस तरह की दलील होगी और वह मुझे संतुष्ट कर सकेंगे कि बोर्ड को सीमित या छोटा कर देने से क्या लाभ है। मैं समझता हूं और पूरा विधेयक मैंने देखा है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बोर्ड के सदस्यों के लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें कोई आर्थिक नुकसान राज्य का हो या उसका भार जनता पर सीधे पड़ता हो। जहां हम देखते हैं कि आज के युग में कर का भार जनता के ऊपर पड़ता है वहां तो सरकार बोर्ड को विस्तृत बनाती है और कार्यभार बढ़ा कर अधिक स्थानों को रखती है, लेकिन जहां ऐसा कोई भार नहीं है तो फिर बोर्ड को यदि विस्तृत कर दिया जाय तो मैं नहीं समझता कि प्रदेश की जनता पर किसी भी तरह का कोई भार पड़ सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बोर्ड बड़ा बनाया जाय और पूरे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व हो और मेरा अंदाजा और अनुभव है कि बोर्ड को कभी-कभी बड़ा बना देने से ज्यादा काम होते हुये देखा गया है और संकुचित तथा छोटा बोर्ड बनाने में हानि होते हुए देखी गई है। इसलिये मैंने संशोधन रखा है और मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस पर बहुत ढंग से विचार करेंगे और हमारा मंशा समझते हुये मंत्री जी विधान सभा, विधान परिषद् तथा समाज कल्याण के कार्यकर्त्ताओं को अधिक कार्य करने का अवसर देने के लिये इस बोर्ड को विस्तृत करेंगे और हमारे संशोधन को वह अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रामेश्वरलाल जी ने जो तीन संशोधन एक साथ पेश किये हैं उनमें से पहले दो का तो मैं समर्थन करता हूं और तीसरे से मैं सहमत नहीं हूं। इसका कारण स्पष्ट है और जहां तक मुझे याद है कि उनका जो पहला संशोधन है उसी तरह का संशोधन मेरे नाम पर भी है। मेरी राय यह है कि बोर्ड में जितना ज्यादा प्रतिनिधित्व जनता का रहे उतना ही अच्छा है, और मैंने यह राय पहले भी जाहिर की थी कि नामजद किये हुये मेम्बर अधिक नहीं होने चाहिये, क्योंकि सरकारी मेम्बर तथा नामजद किये हुये मेम्बरों में कोई अन्तर नहीं होता है। चुने हुये मेम्बरों में तथा नामजद

मेम्बरों में सारे संसार में अन्तर माना जाता है। इसीलिये मैंने कहा था कि तीन के बजाय जो दो किया गया था वह ज्यादती की गई, क्योंकि इससे चुने हुये एलीमेंट में कमी कर दी गई और चूंकि नामजद मेम्बर इलेक्टिव लोगों की जगह नहीं ले सकते हैं, इसलिये मैंने विरोध किया था। रामेश्वरलाल जी ने पहले जो दो संशोधन पेश किये हैं उनसे इलेक्टिव ऐलीमेंट बढ़ता है कि हमारे विधान सभा के दो के बजाय ५ और विधान परिषद् के एक के बजाय २ सदस्य होते हैं, इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं। और मेरी राय यह है कि यदि मंत्री जी उतनी ही संख्या रखना चाहते हैं तो दो के बजाय ५ मान लें और एक के बजाय दो मान लें, तो इस तरह से चार की संख्या बढ़ती है। तो नामजद मेम्बर्स की संख्या ६ कर दें तो जैसा बोर्ड है वैसा ही बना रहेगा। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसका स्वरूप जितना जनतंत्रीय हो उतना अच्छा है, पहले दो प्रस्तावों को स्वीकार कर लेना चाहिये और तीसरे प्रस्ताव में ५ और ६ में कोई झगड़ा नहीं है, जैसा मंत्री महोदय चाहें वैसा कर सकते हैं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---मान्यवर, माननीय रामेश्वरलाल जी द्वारा जो तीन संशोधन रखे गये हैं उनमें से पहले दो से मैं सहमत हूं और उनका समर्थन करता हूं और तीसरे संशोधन का घोर विरोध करता हूं। चाहता तो मैं यह था कि उनसे इस मसले पर भी सहमत रहता लेकिन माननीय पालीवाल जी के कथनानुसार यह किसी भी प्रजातंत्र में स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि मनोनीत सदस्य चुने हुये सदस्यों से अधिक हों, या उनका अधिक महत्व रहे या उनको प्राथमिकता दी जाय। यदि यह स्वीकार कर लिया जायगा तो यह प्रजातंत्र के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध पड़ेगा। और जो इस सदन की यह प्रणाली हो चली है कि प्रत्येक विभाग में सरकार द्वारा इतने मनोनीत सदस्य पाये जाते हैं इसका मैं समझता हूं सरकार के पास कोई उचित जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि विशाल बहुमत है। जो दो संशोधन हैं उनका सिद्धान्त तो ऐसा है जो सबको स्वीकार हो सकता है लेकिन यह तीसरा संशोधन कैसे आ गया यह मेरी समझ में नहीं आया ? क्योंकि यह पहले दोनों संशोधनों की भावना के विरुद्ध है। उनका यह कहना तो ठीक है कि विधान सभा या विधान परिषद् के जो सदस्य हैं उनकी संख्या में वृद्धि की जाय। इसका कारण यह है कि यहां जो सदस्य आये हैं वे सब प्रतिनिधि के रूप में आये हैं। लाखों की तादाद में जनता ने उनको अपना प्रतिनिधि चुन कर भेजा है। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे सिर्फ यह कहना है कि १० की जगह पर जो १२ वह रखना चाहते हैं इसको वे स्वयं सोचें और इसे वापस ले लें तो अच्छा है। क्योंकि मुझे भी श्रीमन्, यह स्मरण आता है कि मेरा भी संशोधन एक इस तरह का है जिसमें जहां विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों का प्रश्न है उनकी संख्या में मैं वृद्धि चाहता हूं, और मनोनीत सदस्यों की संख्या में मैं न्यूनता चाहता हूं और इसको एक सिद्धान्त के आधार पर चाहता हूं और आपके द्वारा मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर गम्भीरता से सोचें। इसमें कोई महान अन्तर नहीं पड़ता है। जहां आप १० चाहते थे वहां हम लोग चाहते हैं कि कम किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और जो संशोधन बाद को आयेंगे उन पर जो मुझे कहना होगा वह मैं कहूंगा।

श्री शिवनारायण---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रामेश्वरलाल जी के तीनों संशोधनों का विरोध करता हूं।

श्री रामसुभग वर्मा---श्रीमन, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री शिवनारायण---मान्यवर, मैं समझता हूं कि १० और २ और १, ये १३ मेम्बर का बोर्ड कैसे बराबर है २१ के। २१ के बदले में १३ में कोई विशेष अन्तर नहीं है। रही असेम्बली के मेम्बरों की बात कि पांच रख दिया जाय दो के बजाय तो पचास क्यों न रख दिया जाय

[श्री शिवनारायण]

तो पांच का सब पूरा हाउस ही क्यों न रख दिया जाय क्योंकि यहां तो सभी समाज-सेवक हैं। कौन हम में समाज सेवक नहीं है, हम में से सभी समाजसेवक हैं। आपने एक मौका दिया और उन्होंने विरोध किया और अब १२ को ही मंजूर कर रहे हैं कि १२ नामिनेट कर दो। मैंने विरोध किया था कि एक भी नामिनेट नहीं होना चाहिये सब बाहर से लिये जायं। अब इन संशोधनों का विरोध करता हूं और चाहता हूं कि जैसा विधेयक में है वैसा ही पास किया जाय और इसको बढ़ाया न जाय।

आचार्य जुगल किशोर—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव माननीय रामेश्वर-लाल जी ने रखा हैं मैं उसको स्वीकार इसलिये भी नहीं कर सकता क्योंकि इससे संख्या बोर्ड की १५ के बजाय २१ हो जायगी और हमारी कोशिश यह है कि इस ऐक्ट के द्वारा जो बोर्ड बने उसकी संख्या छोटी हो ताकि काम हो सके, जल्दी-जल्दी वे मीट कर सकें। दूसरे यह भी कि विधान सभा और विधान परिषद् के माननीय सदस्यों को हमेशा मौका मिलता है कि गवर्नमेंट के जो कार्य होंगे, बोर्ड के जो कार्य होंगे उनके बारे में सवालात पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है कि उनकी संख्या बढ़ाई ही जाय। मुझे आपत्ति न हो यदि विधान सभा के सदस्य दो के बदले तीन कर दिये जायं ताकि सभी पक्ष उसमें आ सकें।

इस बात को मैं मानने के लिये तैयार हूं कि तीन विधान सभा के और विधान परिषद् के एक सदस्य रक्खे जायं। बाकी १० जो नामिनेटेड मेम्बर्स हैं उनके लिये भी मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि माननीय पालीवाल जी ने जो कहा कि वे हमेशा गवर्नमेंट के आदमी होते हैं उनका यह खयाल गलत है। व्यावहारिक रूप से देखा जाय तो कितनी ही कमेटियां हैं जिनमें गवर्नमेंट के नामिनेटेड मेम्बर्स होते हैं लेकिन वे स्वतंत्र रूप से अपनी राय देते हैं। यह जो नामिनेटेड मेम्बर्स की बात है वह इसलिये है कि ऐसी जो संस्थायें हैं, जो सोशल वर्क करती हैं उनके प्रतिनिधियों को इसमें लिया जाय क्योंकि वे इस मामले में जानकारी रखते हैं, जिससे वे देखें कि कौन सी संस्था को लाइसेंस दिया जाय और किस संस्था के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये।

मैं समझता हूं कि अब इसको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना जरूर मानने के लिये तैयार हूं कि विधान सभा के सदस्यों की संख्या दो से तीन कर दी जाय यह इससे हो जायगा कि बोर्ड की संख्या १६ हो जायगी। यद्यपि यह ईविन नम्बर होगा लेकिन फिर भी ऐसा ऐसा मौका नहीं आयेगा जब ८, ८ सदस्य किसी विषय पर विभाजित हो जायंगे और अगर ऐसा हो जायगा तो चेयरमैन होगा वह अपना कास्टिंग वोट दे देगा। तो मैं इसका विरोध करना चाहता हूं जो प्रस्ताव आपने रखे हैं। केवल यह सुझाव रखता हूं कि विधान सभा के दो सदस्यों के स्थान पर तीन सदस्य कर लिये जायं।

श्री रामेश्वर लाल—मान्यवर, मैंने अपने प्रस्ताव के सम्बन्ध में दिये गये उन भाषणों को जो माननीय सदस्यों ने हमारे इस संशोधन के पक्ष या विपक्ष में दिये हैं उनको बड़े गौर से सुना। मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारे संशोधन के कुछ हिस्सों का समर्थन किया। श्रीमन्, मैंने श्री पालीवाल जी को सुना और उनसे मिलता-जुलता विचार अवधेश प्रताप जी का था जिन्होंने हमारे संशोधनों के दो खंडों का समर्थन किया और तीसरे का विरोध किया। मैंने, श्रीमन्, जिस वक्त इस संशोधन को रखने की चेष्टा की थी उस वक्त इस पर काफी गंभीरता से विचार किया था और मैंने आद्योपान्त इस विधेयक को पढ़ा भी था। मैंने देखा था कि जो बोर्ड बनेगा उसका काम लाइसेंस देना है, संचालन करना है, संधारण करना है, बोर्ड की निधि की रक्षा करना है, कर्मचारियों की भरती कर लेना है और सरकार द्वारा गये हुए आदेशों

का पालन करना है। यह बोर्ड का काम है। तो मैंने सोचा कि चाहे वह विधान सभा के सदस्य हों, चाहे सरकार द्वार नियुक्त कोई व्यक्ति हों या चाहे वह कौन्सिल के सदस्य हों, जब काम यही करना है तो फिर उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं आता।

दूसरा कारण यह है कि जो यह १० नियुक्तियों की बात इस विधेयक में है, जिसको कि मैं १२ करना चाहता था, उसमें प्रतिबन्धात्मक वाक्य जो है वह यह है कि जो १० नियुक्तियां की जायंगी राज्य सरकार द्वारा, उनमें आधी महिलायें अवश्य होंगी। तो मेरी श्रद्धा इस उपखंड की तरफ कुछ थोड़ी सी बढ़ी। मैं महसूस करता हूं और हमेशा इस सदन में जब अवसर प्राप्त हुआ है मैंने अपना विचार व्यक्त भी किया है कि अपनी प्रदेशीय सरकार भले ही महिला मंगल योजना के नाम पर रुपया व्यय करे, धन फूंके, लेकिन सही मानों में जहां महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, जहां उनके मंगल की सही योजना का प्रश्न है, यह सरकार हमेशा पीछे रही है। इसी भावना से प्रेरित होकर मैंने एक बार पंचायत के कानून के बारे में, जब इस सदन में विधेयक पारित हुआ था तो एक संशोधन रखा था कि जिस तरह से आप सुरक्षित सीटें रखते हैं हरिजनों आदि के लिये, उसी तरह से औरतों के लिये भी आप सुरक्षित सीटें रखें। कुछ समय के लिये मेरे दृष्टिकोण में यह कहना आवश्यक है। जिस तरह से हरिजन समाज आज देश में पिछड़ा हुआ है उससे कम पिछड़ा हुआ स्त्री समाज आज हमारे देश में नहीं है और इसीलिये मेरी श्रद्धा बढ़ी। माननीय पालीवाल जी इस समय सदन में नहीं हैं, लेकिन उनसे मैं जानना चाहूंगा कि यदि १० नियुक्तियां हों या १२ नियुक्तियां हों और उसमें से ६ औरतें अवश्य हों तो क्या वह यह नहीं समझते कि औरतों के प्रतिनिधित्व को थोड़ी सी गुंजायश मिलेगी इस बोर्ड में, जिसकी कि यह सरकार अवहेलना करती जा रही है। और अगर यह होगा, उनका प्रतिनिधित्व होगा तो यह हमारे लिये गौरव की बात है और मैं यह समझता हूं कि इसका हमें फिर से समर्थन करना चाहिये। इसीलिये मैंने इस संशोधन को रखा, इस उपखंड में १० की जगह १२ रखा कि इससे औरतों की कुछ संख्या बढ़ जायगी और हमारा बोर्ड एक ठीक प्रकार का बोर्ड बन जायगा।

माननीय शिवनारायण जी की बात के लिये आप स्वयं ही निर्णय दें। २१ और १३ में उन्हें कोई फर्क नहीं दिखाई देता। तो जिसकी सूझ में १३ और २१ में कोई फर्क नहीं है उसकी सूझ और तर्क का मेरे दिल पर क्या असर होगा, इसलिये मैं उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता। माननीय अवधेश प्रताप जी ने अपने कुछ विचार प्रकट किये और कुछ ऐसा भाषण दिया, जैसे कि उनकी आदत है, लेकिन चूंकि वह इस सदन में नहीं हैं इसलिये मैं उनकी बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराना नहीं चाहता। यदि वे यहां होते तो निवेदन करता। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह बोर्ड को विस्तृत बनावें। जब कि संचालन का काम है, निरीक्षण का काम है, लाइसेन्स देने का काम है तो बोर्ड के अगर मेम्बर ज्यादा होंगे तो उसका कार्य आसानी से होगा यह मेरा अपना खयाल है और मेरा अनुभव भी है जो कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने से मैंने अपनी इस छोटी जिन्दगी में प्राप्त किया है। इसलिये मैंने इसी प्रेरणा से इसको रखा है। मैं समझता हूं माननीय मंत्री जी इस पर पुनः विचार करेंगे। वैसे तो उन्होंने दो की जगह तीन कर दिया है और इसकी मुझे थोड़ी सी खुशी है लेकिन मैं चाहता हूं कि वह हमारे इस प्रस्ताव को जिस रूप में रखा गया है उसको कबूल कर लें तो बहुत भला हो। बड़ी आसानी से बोर्ड का सारा काम होगा। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है और मुझे आशा है कि इस प्रस्ताव को माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे।

श्री रामसुभग वर्मा—श्रीमन, कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और कोरम पूरा होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

आचार्य जुगल किशोर---मैंने इस पर काफी गौर किया कि रामेश्वरलाल जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं लेकिन मैं यह मुनासिब समझता हूं कि जिस तरह का बोर्ड इस वक्त इस विधेयक में दिया गया है वैसा ही रखा जाय। एक सुझाव मैंने रखा था लेकिन मुझको मालूम पड़ा कि नारायणदत्त तिवारी जी इस तरह का संशोधन ला रहे हैं वह आपके सामने रख देंगे कि विधान सभा के दो सदस्यों के बजाय ३ कर दिये जायं जिनमें एक महिला अवश्य हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (ख) के शब्द "दो" के स्थान पर शब्द "तीन" रख दिया जाय और खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (घ) के शब्द "दस" के स्थान पर शब्द "पांच" रख दिया जाय।

मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि बोर्ड की जो संख्या है वह मैं बहुत अधिक समझ रहा हूं। बोर्ड के सदस्यों की संख्या कम हो तो काम ठीक होता है। बहुत बड़ा बोर्ड जो होता है उसमें ज्यादा काम होता नहीं है। यह १५ सदस्यों का बोर्ड है। मैं चाहता हूं कि जहां इसमें जनता के प्रतिनिधि अधिक हों वहां यह भी आवश्यक है कि सरकार द्वारा नामजद व्यक्ति कम से कम हों। जहां मैं चाहता हूं कि विधान सभा के दो के बजाय तीन सदस्य हो जायं वहां यह भी चाहता हूं कि सरकार के नामजद व्यक्ति १० के स्थान पर ५ ही रहें। आरफनेज एन्ड विडोज होम कमेटी की रिपोर्ट में भी सरकार द्वारा नामजद सदस्यों की संख्या ५ ही रखी गयी है। मैं समझता हूं कि बोर्ड की संख्या दोनों स्थान पर इस तरह से ही रखी जाय। आरफनेज कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लें यह मैं चाहता हूं। जहां तक महिलाओं का सम्बन्ध है ५ नामजद मेम्बरों में दो महिलायें भी हो सकती हैं।

श्री नवल किशोर---उपाध्यक्ष महोदय, तिवारी जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसके दो हिस्से हैं। एक तो वह हिस्सा है जिसमें कहा गया है कि असेम्बली के मेम्बरों की तादाद २ के बजाय ३ कर दी जाय। उसके बाद वह चाहते हैं १० अन्य मेम्बर्स की जगह ५ रख दिया जाय। पहले हिस्से का मैं समर्थन करता हूं और इसमें मेरा यह भी संशोधन है कि असेम्बली के ३ सदस्यों में से कम से कम १ महिला अवश्य होनी चाहिये। दूसरे भाग का मैं विरोध करता हूं। तिवारी जी ने कहा कि आरफनेज और विडोज होम के संबंध में रिपोर्ट में सिफारिश है कि एक प्रदेशीय बोर्ड कायम किया जाय। उसमें इत्तिफाक से यह है कि ५ दूसरे मेम्बर्स गवर्नमेंट नामीनेट कर सकती है। उन्होंने इस बात को पकड़ा है। लेकिन जैसा मैंने कल भी कहा था अगर माननीय साथी यह समझते हैं कि जो बोर्ड का सिफारिश किया गया है उसका निर्माण अच्छा है, तब उसको रखने की बात कहें, यहां तो इसके अन्दर गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को कम कर दिया गया है और दूसरे मेम्बर्स को नामिनेट करने की बात कही गई है। मैं समझता हूं कि प्रस्तावित बोर्ड अच्छा है। इसलिये मैं तिवारी जी से कहूंगा कि वह दूसरे हिस्से को वापस ले लें और ३ सदस्यों में से १ महिला का होना स्वीकार करें, तो मैं उनके पहले हिस्से का समर्थन करता हूं।

श्री जयराम वर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, २ की जगह ३ करने से, जैसी मैंने पहले आपत्ति की थी, संख्या १६ हो जाती है। इसलिये अगर २ की जगह ३ करना है तो सदस्यों की संख्या १७ कर दीजिये या १५ कर दीजिये। अगर १५ रखना है तो भाग (घ) में १० के बजाय ९ कर दीजिये और अगर १७ करना है तो ११ कर दीजिये। लेकिन १६ की संख्या किसी तरह से उचित नहीं है।

आचार्य जुगल किशोर---मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर ९ कर दिये जावें और जो सुझाव श्री नवल किशोर जी ने रखा है उसे मान लिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मुझे स्वीकार हैं और मैं ९ मानता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह हैं कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (ख) के शब्द "दो" के स्थान पर शब्द "तीन" रख दिया जाय और पंक्ति २ में शब्द "करेंगे" के बाद यह शब्द जोड़ दिये जायं "जिसमें कम से कम एक महिला होगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह हैं कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (ग) में शब्द "एक" के स्थान पर शब्द "दो" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह हैं कि खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (घ) के शब्द "दस" के स्थान पर शब्द "नौ" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खंड ६ के उपखंड (१) के भाग (ङ) की पंक्ति १ में 'संचालक' के पूर्व शब्द 'एक सदस्य' तथा 'कामा' का चिन्ह बढ़ा दिया जाय ।

श्रीमान् जी, इस शब्द को रखने से इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता हैं । (क) में एक सभापति, (ख) में दो या तीन सदस्य, और (घ) में १० सदस्य हैं और (ङ) में संचालक की क्या स्थिति होगी ? संचालक किस हैसियत से रक्खा जा रहा हैं ? इसको स्पष्ट करने के लिये यह संशोधन रक्खा गया हैं । बाद में जो उपखंड ३ रक्खा जा रहा हैं उसको अगर यहीं जोड़ दिया जाय तो ठीक हो जायगा । यानी संचालक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश अथवा कोई व्यक्ति जिसको संचालक नाम निर्देशित करें । लेकिन अगर इसको इसी रूप में रक्खा जाये तो जैसा मैंने संशोधन रक्खा हैं उस प्रकार से रख दिया जाय तब ठीक होगा ।

श्री रामेश्वर लाल---मान्यवर, माननीय जयराम जी वर्मा का संशोधन मैंने देखा । आप चाहते हैं कि 'एक सदस्य' तथा 'कामा' बढ़ा दिया जाय । यह तो मैं मानता हूं कि माननीय जयराम जी की आंखें बड़ी पैनी हैं, क्योंकि 'कामा' तक बढ़ादेने की सिफारिश उन्होंने की हैं, लेकिन 'संचालक' शब्द के आगे 'कामा' हटा देने की गलती वह कर गये । अगर वह 'कामा' वहां रहता हैं तो उसका मतलब ही गलत हो जाता हैं । इसलिये मैं उसका विरोध करता हूं और समझता हूं कि जो प्रस्ताव मूल अधिनियम में हैं वह सही हैं यानी "संचालक समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश अथवा उनके द्वारा नाम निर्देशित कोई व्यक्ति", यह अपने स्थान पर सही हैं । इससे साफ जाहिर हैं कि संचालक (डायरेक्टर आफ सोशल वेलफेयर बोर्ड, यू० पी०) अथवा उनके द्वारा नाम निर्देशित कोई व्यक्ति बोर्ड का सदस्य होगा । लेकिन अगर माननीय जयराम वर्मा जी का संशोधन मान लिया जाता हैं तो गलतफहमी पैदा हो सकती हैं । यानी एक सदस्य संचालक और सोशल वेलफेयर बोर्ड द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति, ऐसा अर्थ लगाया जा सकता हैं । इसलिये मैं उस संशोधन का विरोध करता हूं और मूल विधेयक में जो कुछ हैं उसका समर्थन करता हूं ।

आचार्य जुगल किशोर---मैं भी नहीं समझता कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता हैं। जैसा कि माननीय रामेश्वर लाल जी ने समझाया, इसमें कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं हैं । उसके करने से संभव हैं कोई भ्रम पैदा हो जाय ।

श्री जयराम वर्मा---श्रीमान् जी, कोई भ्रम पैदा नही हो सकता हैं, क्योंकि उपखंड (१) को पढ़ने से संचालक की हैसियत ठीक नहीं मालूम होती हैं जब तक कि उसके साथ खंड ३ को और न पढ़ लिया जाय । उपखंड (३) को पढ़ने के बाद यह मालूम होता हैं कि संचालक मंत्री होगा । इसलिये इस चीज को स्पष्ट करने के लिये कि

[श्री जयराम वर्मा]

संचालक की हैसियत क्या होगी, मैंने यह संशोधन रक्खा था। मैं चाहता हूं कि उसमें ये शब्द जोड़ दें। अगर यह बेकार सा मालूम होता है तो उपखंड (३) बेकार है। इसमें जोड़ दिया जाय---एक मंत्री और उसके बाद कामा करके रख दिया जाय "संचालक अथवा कोई व्यक्ति जिसको संचालक मनोनीत करे" तो खंड ३ अपने आप निकल जाता है और शब्दों की भी कमी हो जाती है तथा वह जरा और भी साफ हो जाता है। यह चूंकि स्पष्ट नहीं है- इसलिये मैं चाहता हूं कि उन शब्दों को बढ़ा दिया जाय। लेकिन अगर किसी तरह से यह माननीय मंत्री महोदय को स्वीकार न हो तो मैं उसको वापस ले लेता हूं।

श्री रामसुभग वर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार कोरम के लिये घंटी बजानी पड़ती है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन स्थगित कर दिया जाय। फिर कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी।)

[**श्री अवधेशप्रताप सिंह**---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कोरम नहीं है तो हम लोगों को भी छुट्टी दे दी जाय ताकि हम लोग भी चले जायं। यह क्या है कि दिन भर में सात-सात, आठ-आठ बार कोरम के लिये घंटी बजायी जाती है? या तो माननीय मंत्री जी इसके लिये उचित प्रबन्ध कर लें या सदन को स्थगित कर दिया जाय। क्योंकि लोगों की रुचि इस विधेयक के सम्बन्ध में मालूम नहीं होती है, इसलिये अच्छा है कि उनको भी छुट्टी दे दी जाय। अगर कुछ समय पहले ही छुट्टी हो जाय तो इससे क्या विशेष हानि हो जायगी?]

(कोरम पूरा होने के बाद)

श्री उपाध्यक्ष---(श्री जयराम वर्मा से) माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।---

श्री जयराम वर्मा---मैंने अपना संशोधन वापस ले लिया है।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री रामेश्वरलाल---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ के शब्द "लगी हों" के स्थान पर शब्द "रुचि रखते हों" रख दिया जाय और शब्द "जहां तक संभव हो" निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, यदि हमारा यह संशोधन मान लिया जाय तो खंड ६ का उपखंड (२) इस प्रकार हो जायगा---

"(२) खंड (घ) के अधीन सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से चुने जायेंगे जो सामाजिक कार्यकर्त्ता हों अथवा ऐसी संस्थाओं से संबद्ध हों जो समाज कल्याण के कार्यों में रुचि रखते हों, और ऐसे सदस्यों की आधी संख्या महिलाओं की होगी।"

श्रीमन्, हम यह चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी ने जो यह विधेयक का उपखंड रखा है उसमें ठीक ही यह रखा है कि समाज कल्याण के कार्यों में जो लगे हों उनमें से राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के लिये १० आदमी जो हैं नियुक्त किये जायं। हम यह चाहते हैं कि रुचि रखने वाले लोग बोर्ड के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायं। समाज कल्याण के कार्य में लगने वाले लोग तो अपने देश में बहुत थोड़े हैं जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है और कुछ लोग जो समाज कल्याण के ऐसे कार्य में लगे हुये हैं और उन के बारे में जो हमारी जानकारी है उसके आधार पर उन्हें सामाजिक कार्यकर्त्ता नहीं कहा जा सकता। यह संभव हो सकता है कि अपने यहां समाज कल्याण विभाग स्थापित होने के बाद और उसके द्वारा कार्य होने पर और उसकी उपयोगिता महसूस करने के बाद देश में कुछ ऐसी विभूतियां निकलें जो

इस कार्य में मंत्री जी को सहयोग देने की आवश्यकता समझें, इसलिये यदि इस खंड को ऐसे ही मान लें तो राज्य सरकार के लिये कठिन हो जायगा कि वह ऐसे रुचि रखने वाले आदमियों को जो आगे हाथ बढ़ाते हैं और दिल से कार्य करना चाहते हैं उनको वह नियुक्त कर सके, ऐसी आशंका मुझे होती है। हमने कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया कि राज्य सरकार किसी को नियुक्त करना चाहे तो न कर सके लेकिन जो रुचि रखने वाले लोग हैं और जिस की क्षमता की, योग्यता की और ईमानदारी की सरकार को जानकारी है उसकी नियुक्ति सरकार करे। इसीलिये मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है।

दूसरी बात मेरी यह है कि इस उपखंड में लिखा है कि समाज कल्याण के कार्यों में लगी हों और जहां तक संभव हो ऐसे सदस्यों की आधी संख्या महिलाओं की होगी। यह "जहां तक संभव हो" महलिाओं के लिये रखा जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी को निश्चित तौर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जैसे कि यहां अब यह संख्या ९ हो चुकी है तो वह ५ या ४ अवश्य ही मिल सकती हैं और ऐसी योग्य स्त्रियां हैं, जो इसमें रुचि भी रखती हैं, वह मिलेंगी और उनको आगे आना भी चाहिये और हमें चाहिये कि उनको आगे लायें भी। इसलिये "जहां तक संभव हो" यह शब्द खटकते हैं और मुझे डर है कि यदि सोशल वेलफेयर बोर्ड और उसके कर्मचारी रुचि रखते हैं और यह शब्द रहें तो जो औरतें आगे आने की रुचि रखती हैं उनके सामने यह खंड दीवार बनकर खड़ा हो जायगा और विधेयक की मंशा को ठेस लगने की आशंका हो जायगी। इसलिये मैंने "जहां तक संभव हो" निकालने का प्रस्ताव रखा है जिससे कि निश्चित तौर से बोर्ड के मनोनीत होने वाले ९ सदस्यों में से आधी संख्या औरतों की हो। आशा है कि मंत्री जी मेरी मंशा को समझ कर संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं, क्योंकि इसमें जो शब्द दिये हैं उनमें दिया हुआ है कि जो सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं अथवा ऐसी संस्थाओं से संबद्ध हों जो समाज कल्याण के कार्यों में लगी हों, इसमें वह बढ़ाना चाहते हैं "रुचि रखते हों"। जो लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं या ऐसी संस्थाओं के सदस्य हैं, या जो समाज के कल्याण में लगे हैं, उनके लिये रुचि रखना शब्द कहना ठीक नहीं है, कोई भी कह सकता है कि मैं रुचि रखता हूं। रुचि रखना तो उन्हीं का ठीक है कि जो क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और ऐसी संस्थाओं में कार्य कर रहे है, ऐसी संस्थाओं के कार्यकर्त्ता हैं, सभापति हैं या सेक्रेटरी हैं या उनके सदस्य ही हैं। इसमें साफ दिया हुआ है कि जो सामाजिक कार्यकर्त्ता हों या ऐसी संस्थाओं से संबद्ध हों जो समाज कल्याण के कार्यों में लगी हों। रुचि रखना कोई विशेष बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि मैं रुचि रखता हूं। क्योंकि वह जो कार्य करता है उसने तो उस रुचि को कार्यरूप में परिणित कर दिया है। इसलिये जो किसी ऐसी संस्था का सदस्य है उसने तो उस रुचि को कार्य रूप में परिणित किया है। इसलिये जिस प्रकार से शब्द उपधारा में रखे हुये हैं, वह ठीक हैं और यह "रुचि रखते हों" शब्द बढ़ाना ठीक नहीं है।

दूसरे उन्होंने कहा कि "जहां तक संभव हो" इसको उड़ा दिया जाय। हम भी चाहते हैं कि उसमें आधी संख्या स्त्रियों की हो, लेकिन इस संबंध में गवर्नमेंट के हाथ खुले रहने चाहिये। हमने अब इसमें ९ की संख्या रक्खी है। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि ९ स्त्रियां ही रक्खी जायं। यह निश्चित हो गया है कि जितनी होंगी रखेंगे। इसमें हाथ बांधने की क्या आवश्यकता है? जब हम प्रजातंत्र प्रणाली से चल रहे हैं हमें विश्वास है कि उनकी, स्त्रियों की, संख्या आधी रहेगी ही। इसलिये इस संबंध में सरकार के हाथ बांधना उचित नहीं मानता और मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---मान्यवर, मैं माननीय रामेश्वर लाल जी के संशोधन के समर्थन हेतु खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जहां तक उनके संशोधन का पहला अंग है मैं अवश्य उस कठिनाई को समझ रहा हूं और मैं उनसे स्वयं निवेदन करूंगा "रुचि रखते हों" यह कोई

[श्री अवधेशप्रताप सिंह]

विशेष महत्व रखने वाली चीज नहीं है। शब्द जो इसमें "सामाजिक कार्यकर्त्ता हो" उसके बाद वह चाहते हैं कि ये शब्द "रुचि रखते हों" तो यह तो मानी हुई बात है कि जो सामाजिक कार्यकर्त्ता होगा जब तक वह रुचि न रखता हो तब तक वह उस रूप का कार्य कर ही नहीं सकता। अतः उनका यह कहना कि रुचि रखते हों यह तो कोई विशेष मानी नहीं रखता।

परन्तु जहां तक दूसरी बात है वह अपनी जगह पर महत्व रखती है। इस तरह का शब्द कि "जहां तक संभव हो" श्रीमन्, आप जानते हैं कि भारत काफी दिन हुये जब कि स्वतंत्र हो चुका है और जबकि हमने अपने भारतीय संविधान में औरतों के लिये वही स्थान रखा है जो पुरुषों के लिये है। तो क्या अब इसके कहने की कोई गुंजाइश रह जाती है इस महान् उत्तर प्रदेश में कि "जहां तक संभव हो"। मैं समझता हूं जैसा कि यह उत्तर प्रदेश है उसमें यह गुन्जाइश बाकी नहीं रहती, जिस में यह कहा जाय कि उनको पांच औरतें नहीं मिल सकतीं। इसमें यह है "दस नये सदस्य जिन्हें राज्य सरकार नियुक्त करेगी".....

श्री नवल किशोर---सदस्य केवल नौ हैं।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---बहुत अच्छा, माननीय नवल किशोर जी या माननीय मंत्री महोदय क्या यह इन्कार कर सकते हैं कि इस प्रदेश में पांच औरतें नहीं मिल सकतीं। जो माननीय सदस्यायें इस सदन में विराजमान हैं यदि वह ऐसा कहतीं तो यह कुछ माने भी रखता और मैं समझता कि ठीक है उनकी समझ में यह दिक्कत मालूम हो सकती है, लेकिन मैं तो नहीं समझता और कोई ऐसा कारण प्रतीत नहीं होता कि इस तरह के शब्द इसमें रखे जायं "यदि संभव हो"। हमारे अभी एक माननीय सदस्य यह फरमा रहे थे कि आखिर हाथ क्यों बांधा जाय तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हाथ पैर बांधने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हाथ तो आप के खुले हैं और निरंकुश हैं और आपके साथ निरंकुश रह कर यदि इस प्रदेश पर हुकूमत करना चाहते हैं तो इसका दुष्परिणाम जो होगा वह भविष्य में ही उनको मालूम हो सकता है, इस समय तो यह बहुत ही रुचिकर प्रतीत होगा निरंकुश राज्य करना। यह, श्रीमन्, हर राज्य व राजा के लिये या प्रदेश के मालिक के लिये बहुत ही रुचिकर, बहुत ही सुन्दर प्रतीत होता है। आनन्दमय होता है लेकिन परिणाम जो होता है उसका उसे वे कभी भूल नहीं सकते और सदैव उन्हें स्मरण रखना होगा। जैसा कि हमारे माननीय बुजुर्ग दोस्त जैन जी यह फरमा रहे थे कि सरकार का हाथ क्यों बांधा जाय, तो हाथ उनका बंधा कहां है, वह तो निरंकुश है। उनको विशाल बहुमत प्राप्त है। जब कि इतने लोग इस जगह विद्यमान हैं जो सरकार कहे उस पर सदैव वह सहमत रहते हैं असहमत रहते हुये भी, तो जब ऐसी परिस्थिति है तो इस शब्द का रखना "यथासंभव हो" सर्वथा अनावश्यक है।

माननीय रामेश्वर लाल जी की शंका अपनी जगह ठीक है। सदैव यह कहा जा सकता है कि यह शब्द आवश्यक है। लेकिन ऐक्ट में तो हर बीज पाजिटिव होनी चाहिये। जहां तक हो सके किसी भी अधिनियम में इस तरह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिये बल्कि यह स्पष्ट होना चाहिये। "यदि संभव हो" ऐसे शब्द प्रयोग किये जा सकते थे यदि इस विधान सभा में इस तरह का अधिनियम या विधेयक आज से ४० या ५० साल पहले उपस्थित हुआ होता।

आज इस युग में जब कि हम बराबरी के अधिकार देने के लिये तैयार हैं और मैं समझता हूं बहुत सी महिलायें भी हम से कहीं आगे हैं और अधिक समझदार हैं, समाज कल्याण क्या हर स्फीयर आफ़ लाइफ़ में हमसे अधिक काम कर सकती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह कहना "जहां तक सम्भव हो" तो इसके माने यह हैं कि मंत्री जी को एक शंका है कि भविष्य में चलकर सम्भवतः थोड़ी सी तायदाद में महिलाओं को न पा सकेंगे जो कि समाज कल्याण बोर्ड में रखें।

मैं अपने प्रस्तावक दोस्त से कहूंगा कि वह अपने पहले भाग को वापस ले लें और साथ ही साथ मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि दूसरे भाग को स्वीकार करें।

श्री नवल किशोर---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। माननीय अवधेश प्रताप सिंह जी ने बड़े जोश के साथ महिलाओं के स्थान की बाबत उनका क्या स्थान होना चाहिये, उनको क्या-क्या अधिकार मिलने चाहिये, इस पर लम्बा भाषण दे दिया। यदि उनको यह पता होता कि 'घ' के अन्दर जो संशोधन हुए हैं उनमें बजाय १० के ९ मेम्बर्स माने गये हैं और यदि इसमें हम यह निकाल दें कि "जहां तक सम्भव हो आधी संख्या महिलाओं की होगी" तो मान्यवर हिसाब जोड़ा जाय ९ के आधे साढे चार हुए। मैं नहीं जानता कि माननीय अवधेश प्रतापसिंह जी साढ़े चार मेम्बर्स कैसे बना पायेंगे। यदि वह यह कहते हैं कि इनमें से कम से कम ५ स्त्रियां हों तब तो ठीक था या कहते कि चार हों। अब यहां "जहां तक सम्भव हो" के माने यहां इस बात से हैं कि गवर्नमेंट के लिये डिस्क्रीशन होगा कि वह चाहे तो ४ रखे या ५ स्त्री रखे। तो उनको कोई निश्चित संख्या बतानी चाहिये थी, तब तो ठीक था। और जोश में आकर उन्होंने देखा स्त्रियों का मामला है चलिये स्त्रियों का आइडिया अच्छा किया जाय लिहाजा इतनी बड़ी स्पीच दे दी। तो मैं माननीय रामेश्वर लाल जी से कहूंगा कि वह स्पष्ट कहें कि वह कम से कम इतनी संख्या चाहते हैं स्त्रियों की तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस पर सोचें। और जहां तक स्त्रियों के अधिकार का या और बातों का सम्बन्ध है मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंत्री जी की सहानुभूति स्त्रियों के मामले में उनसे कम नहीं है।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---अधिक है।

श्री नवल किशोर---जी हां। लेकिन इस तरह की बात कहना जो ठीक न बैठे यह ठीक नहीं है। लिहाजा या तो स्त्रियों की संख्या निश्चित बतायें या फिर जो शब्द हैं उन्हीं को मानें। और नहीं तो जो शब्द हैं वह ठीक हैं क्योंकि इससे गवर्नमेंट को डिस्क्रीशन मिलता है। अच्छा यह होगा गवर्नमेंट ५ ही रखे।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---श्रीमन, मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। माननीय दोस्त ने बहुत ही बड़ी मदद की मेरी। यह सच था कि मैं बाहर था लेकिन अगर मुझसे गल्ती हुई तो माननीय सदस्य इसका संशोधन ही ला दें और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको संशोधित रूप में रख दूं कि इसमें ५ महिलायें रख दी जायं। मैं इसका संशोधन किये देता हूं या माननीय रामेश्वर लाल जी से कहे देता हूं।

आचार्य जुगल किशोर---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय रामेश्वर लाल जी के संशोधन का पहला अंग है उससे तो मैं भी सहमत नहीं हूं, और मैं उसका विरोध करता हूं क्योंकि जो कार्यकर्त्ता समाज कल्याण का कार्य करते हैं उनकी रुचि तो इस काम में होगी ही। इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं। और मैं समझता हूं इससे कोई ज्यादा सफाई नहीं होती है कि उनके बारे में जानकारी रखी जाय कि रुचि है या नहीं। तो यह तो अनावश्यक है।

जहां तक दूसरे अंग की बात है "जहां तक संम्भव हो" इसको हटा दिया जाय। तो अगर उनकी संख्या १० होती तब तो ठीक था कि उसको हटाया जाता। लेकिन जैसा नवल किशोर जी ने कहा कि संख्या ९ है तो "यथासम्भव" रखना आवश्यक हो गया है। मैं इसको स्वीकार करूंगा यदि यह संख्या निश्चित रूप से निर्धारित कर दी जाय ४ या ५। पांच का सुझाव हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चार का सुझाव हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो भी संशोधन वह पेश करें उसे स्वीकार करने के लिये मैं तैयार हूं। लेकिन जहां तक संम्भव हो इसका रहना लाजिमी हो जायेगा जब तक कि संख्या ९ है उनकी जो कि मनोनीत किये जायेंगे।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---श्रीमन्, यदि आज्ञा हो तो यह संशोधन मान लिया जाय कि "पांच" कर दिया जाय। उनके संशोधन पर इजाजत दे दी जाय कि "पांच" कर दिया जाय।

श्री नवल किशोर—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अभी-अभी यह बात कही थी, कि यह उचित होगा कि इसके अन्दर यह कर दिया जाय कि "९ में से कम से कम पांच स्त्रियां होंगी" तो यह बात सामने आ गई। अगर आप चाहें तो उसके ऊपर वोट ले लें।

श्री रामेश्वर लाल—श्रीमन्, इस नतीजे पर पहुंचने के बाद कि माननीय मंत्री जी के सामने ९ के आधे का प्रश्न है साढे चार का, तो हमने जो यह संशोधन रखा था तो इसकी सदस्य संख्या दस थी। इसलिये हम वहां तो करीब-करीब सही थे। मैं इस को श्रीमन्, ५ रखता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार कर लेंगे।

आचार्य जुगल किशोर—जी हां, मुझे स्वीकार है। पहला अंश तो आपने विदड्रा कर लिया न।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ के शब्द "लगी हों" के बाद के शब्द निकाल दिये जायं और निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:—

"और ऐसे सदस्यों में पांच महिलायें होंगी"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७

बोर्ड तथा सदस्यों की पदावधि।

७—(१) बोर्ड की पदावधि ५ वर्षों की होगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर इस अवधि को एक बार में एक वर्ष से अनधिक काल के लिये बढ़ा सकती है।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि धारा ६ की उपधारा (१) के खंड (ख) अथवा (ग) के अधीन निर्वाचित कोई सदस्य विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य, जैसी भी दशा हो, नहीं रह जाता है, तो वह बोर्ड का सदस्य भी नहीं रहेगा।

(२) किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये निर्वाचित अथवा नाम निर्देशित सदस्य अपने पूर्ववर्ती सदस्य की शेष पदावधि तक के लिये ही रहेगा।

(३) कोई भी सदस्य अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो राज्य सरकार को संबोधित होगा, अपना पद त्याग सकेगा, किन्तु वह उस समय तक अपने पद पर आसीन रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति सरकारी गजट में विज्ञापित न हो जाय।

श्री रामेश्वर लाल—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (१) में अंक "५" के स्थान पर अंक "३" रख दिया जाय।

मान्यवर, इसमें पदावधि की बात है और यह कहा गया है कि बोर्ड की जो पदावधि होगी वह ५ वर्ष होगी; मैं चाहता हूं अपने प्रस्ताव द्वारा कि बोर्ड की पदावधि ३ वर्ष हो। इसका कारण सिर्फ एक है जो कि आपके द्वारा माननीय सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि आपने देखा कि बोर्ड किन व्यक्तियों से मिल कर बनी है। फिर बिधान सभा के सदस्य, विधान परिषद् के सदस्य और सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति जो कि समाज कल्याण में लगे हुये व्यक्ति हों इन लोगों से मिल कर एक बोर्ड

बनेगा। मेरा अपना निजी विचार है कि अगर यह ५ वर्ष अवधि रख दी जाती है तो विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों को जो एक बार वहां चले गये उनको ही यह अवसर मिलेगा कि इस बोर्ड का प्रतिनिधित्व कर सकें। मैं अपने इस संशोधन द्वारा यह चाहता हूं कि विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों को यह अवसर प्राप्त हो कि वह अपने प्रतिनिधि इस अवधि में दो बार कम से कम भेजें उनकी अवधि ५ वर्ष है इसलिये मैंने पदावधि जो है बोर्ड के सदस्यों की ३ वर्ष रखी है और ३ वर्ष रहने से मैं यह समझता हूं कि कार्य में शीघ्रता भी होगी। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी गंभीरता-पूर्वक इस पर विचार करेंगे।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---मान्यवर, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। यह जो मा० रामेश्वर लाल जी ने तर्क दिया इससे मैं कुछ सहमत नहीं हूं और मुझे आश्चर्य हुआ कि वह चाहते हैं कि विधान सभा को यह अवसर प्रदान हो कि वह अपनी अवधि काल में दो बार अपने सदस्यों को भेज सकें।

श्रीमन्, इसमें तो कोई ऐसी गम्भीरता नहीं मालूम देती जिसकी वजह से उसकी जो अवधि है उसमें न्यूनता की जाय। कोई भी बोर्ड जो बनाया जाता है उसको सिर्फ तीन साल के लिये रखा जाय यह समय काफी नहीं। ५ साल एक ऐसा समय है जब कि उस बोर्ड को एक अनुभव हो सकेगा, सब परिस्थितियों का परिज्ञान हो सकेगा और उनको काम करने में हर तरह की सुविधा होगी। रहा यह कि सदन के सदस्यों को एक अवकाश मिलेगा तो कम से कम इस भवन में यह आशा की जाती है और हम अपने पर यह भरोसा भी रखते हैं कि जिनको हम चुनकर भेजेंगे वे हमारी आशा के विपरीत कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे कि इस अधिकार को सुरक्षित रखेंगे कि एक मर्तबा नहीं दो मर्तबा करें।

तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसा महत्वपूर्ण विषय नहीं है जिसके लिये वह रखें बल्कि आप यह देखियेगा कि जिस तरह से प्रायः बोर्ड जैसा कि एक समय था जब कि हर चीज की अवधि तीन साल रखी जाती थी, बोर्ड का समय भी तीन साल रखने का रिवाज सा था, लेकिन अब तो यह देखना है कि कोई भी चीज हो कम से कम उसकी अवधि इतनी होनी चाहिये कि उसके सदस्य अच्छी तरह से उस काम को उस भार को ग्रहण कर सकें। बार-बार इसका पुनः चुनाव करना और मनोनीत करना अकारण समय नष्ट करना होता है। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि वह वापस लेंगे।

आचार्य जुगल किशोर---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन श्री रामेश्वर लाल जी ने पेश किया है उसको मैं स्वीकार करता हूं। मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी है। बजाय इसके कि इस बोर्ड की अवधि ५ वर्ष तक रहे अच्छा हो उसको भी कुछ तजुर्बा हो और गवर्नमेंट को भी मालूम हो और मेम्बर लेजिस्लेचर को भी मालूम हो और उनको तीन साल के बाद चुनने का मौका मिल सकेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि ५ साल के बदले में तीन साल की अवधि जो उन्होंने रखी है उसको मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१) के अंक "५" के स्थान पर अंक "३" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (१) के पहले प्रतिबन्ध की पंक्ति २ व ३ निम्न प्रकार से रख दी जायं---

"समय-समय पर इस अवधि को बढ़ा सकेगी जो एक बार में एक वर्ष से और कुल बढ़ी हुई अवधि दो वर्ष से अधिक किसी भी दशा में न होगी"।

[श्री जयराम वर्मा]

श्रीमान जी, यह जो प्रतिबन्ध है वह इस प्रकार है :

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर इस अवधि को एक बार में एक वर्ष से अनधिक काल के लिये बढ़ा सकती है।"

श्रीमान्, जी, जो इसमें भाषा प्रयुक्त हुई है वह ज्यादा स्पष्ट नहीं है। "अनधिक" शब्द का प्रयोग करना कुछ अच्छा नहीं है और जो अधिकार सरकार लेना चाहती है वह उसको स्पष्ट रूप से कहना चाहिये। इसलिये पहला अधिकार तो सरकार यह चाहती है कि सरकार इस समय को बढ़ा सकेगी। इसलिये मेरे संशोधन का पहला भाग यह है। दूसरा भाग जो सरकार का संकेत है कि एक बार में कितना समय बढ़ा सकेगी, उसको मैंने कहा है कि एक बार में एक वर्ष से वह समय अधिक नहीं होगा। और तीसरी चीज जो मैं रखना चाहता हूं कि सरकार के ऊपर यह थोड़ा सा एक नियंत्रण हो कि वह समय मनमानी न बढ़ पावे और न सरकार बढ़ावे जब कि समय तीन ही वर्ष रखा गया है, तो मेरा संशोधन है कि कुल बढ़ी हुई अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी। मैं समझता हूं कि इस तरह से संशोधन स्पष्ट हो जाता है और सारी बातें इसमें आ जाती हैं।

माननीय मंत्री जी इस पर पूरी तरह से विचार करेंगे।

श्री अवधेशप्रताप सिंह---वह निर्दोष है और अपनी जगह पर बिल्कुल स्पष्ट है। जिस रूप में विधेयक में प्राविजन रखा गया है वह भ्रमात्मक है, गलत है। उसका कोई अभिप्राय नहीं होता है बल्कि उसके समझने के लिये और उसके सही अनुवाद के लिये एक दूसरी गलती हो सकती है। मैं माननीय नवल किशोर जी से अनुरोध करूंगा कि वे गम्भीरता से इस बात को सोचें कि आखिर इसमें उनको परेशानी क्या है? उनसे कुछ छीना तो जा नहीं रहा है। अगर सरकार के अधिकार का कुछ अपहरण होता तो अवश्य वे कुछ कह सकते थे जैसे अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरकार के हाथ क्यों जकड़े जायं। अरे, हमने सरकार के हाथ पैर दोनों छोड़ दिये कि वह जो चाहे सो करें। यह देखा जाता है कि अधिकारों पर नियंत्रण रखने से सरकार कुछ दिन तक चल जाती है और यदि नियंत्रण न रहे तो वह सरकार एक दूसरे ही रूप को धारण कर लेती है, तानाशाही हो जाती है या शीघ्रातिशीघ्र उसका अन्त हो जाता है। तो दोनों में चाहे जो कुछ हो जाय मैं समझता हूं बहुत से माननीय सदस्यों को उसमें कोई परशानी न होगी क्योंकि यहां तो हर जगह व्हिप है। माननीय नवल किशोर जी का दिल तो मेरे साथ है लेकिन वे विवश हैं इसलिये उन्होंने विरोध कर दिया। यह एक ऐसा संशोधन है जो कि अगर देखा जाय तो जो प्राविजो विधेयक में हैं उसके मुकाबिले लाख दर्जे अच्छा लिखा हुआ है। इसकी जो भाषा है, जिस रूप से यह रखा गया है, सबको देखते हुये मैं समझता हूं मंत्री महोदय को इसे स्वीकार करना चाहिये और इसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री शिवनारायण---माननीय उपाध्यक्ष महोदय इसमें दिया हुआ है कि :---

"Provided that the State Government may, by notification in the Official *Gazette*, enlarge the term by a period not exceeding one year."

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जो ५ वर्ष के बजाय तीन वर्ष मान लिया तो ५ वर्ष का जब पीरियड था तो एक साल और था। उसको मिला कर ६ वर्ष यह बोर्ड चल सकता था। अब उन्होंने तीन वर्ष मान लिया। तो इसका मतलब है कि ५० फी सदी गवर्नमेंट ऐग्रीड है। पहला प्राविजन गलत था। एक माननीय सदस्य ने पांच साल की जगह तीन साल कराया तो मैं कहता हूं कि तीन साल जब है तो बजाय एक साल के ६ महीने कर दिया जाय तब तो हिसाब करेक्ट बैठता है। क्योंकि गवर्नमेंट की इच्छा है कि वह सिर्फ तीन वर्ष तक ही बोर्ड को चलाये और उसके बाद नया चुनाव हो जाय और नये

मेम्बर्स आ जायं। इसलिये मैं कहता हूं कि ६ महीने रखा जाय ताकि अगर कोई झंझट फंसे तो सिर्फ ६ महीने का ही एक्सटेंशन दिया जाय। इसलिये मैं जयराम वर्मा जी के संशोधन का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार मेरे सुझाव को स्वीकार करेगी।

आचार्य जुगल किशोर---जहां तक माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके शब्द हैं मुझे भी कुछ मालूम होता है कि वे बहुत शुद्ध नहीं हैं। संभव है इसमें कुछ बदला जा सकता हो। इसलिये जो अंग्रेजी का दिया हुआ है उसी को लेकर मैं चलूंगा। जो हमारा आशय है वह यह है कि एक साल ही के लिये गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया जाय कि उसकी अवधि बढ़ा सके। माननीय अवधेश प्रताप जी ने अभी कहा कि गवर्नमेंट ऐसे अधिकार को लेने में क्यों संकोच करती है। गवर्नमेंट की नीति रही है कि वह कोई अधिकार तब तक न ले जब तक वह बहुत जरूरी न हो। यह एक डिमोक्रेटिक गवर्नमेंट का तरीका होता है। एक साल का अधिकार इसलिये गवर्नमेंट लेती है कि हो सकता है कि तीन साल के अन्दर दूसरा बोर्ड न बन सके। इसलिये उसकी अवधि एक साल तक और बढाने का गवर्नमेंट का अधिकार देने की बात है।

श्री नवल किशोर---उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्मा जी के संशोधन का विरोध करता हूं। मैं उनसे सहमत हूं कि हिन्दी में जो प्रतिबन्ध रखा गया है उसकी भाषा गलत है क्योंकि अंग्रेजी में जब देखते हैं तो उसके शब्द यह हैं कि :---

"Provided that the State Government may by notification in theOfficial *Gazette*, enlarge the term by a period not exceeding one year."

मंशा यह था और यह है कि गवर्नमेंट को अधिकार होगा कि वह टर्म को बढ़ा सकती है मगर एक साल से ज्यादा नहीं बढ़ा सकती है और एक मर्तबा बढ़ा सकती है। वर्मा जी ने कहा कि समय-समय पर इस अवधि को बढ़ा सकेगी जो एक बार में एक वर्ष व कुल बढ़ी हुई अवधि दो वर्ष से अधिक किसी भी दशा में नहीं होगी। विधेयक में बोर्ड की मियाद पांच साल की थी लेकिन एक माननीय सदस्य ने इसकी मियाद तीन साल की रखने का संशोधन रखा और मंत्री जी ने उसको स्वीकार कर लिया। यदि हम गवर्नमेंट को यह अधिकार दे देते हैं तो जो आशय उस संशोधन का था वह खत्म हो जाता है। उचित तो यह है कि जो अंग्रेजी में लिखा है वही मान लिया जाय और उसका उचित अनुवाद कर दिया जाय क्योंकि हिन्दी की शब्दावली ठीक नहीं है बल्कि गलत है और उसका सेंस समझ में नहीं आता है। इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि अंग्रेजी का सही है और जो मंशा था वह स्पष्ट है। केवल हिन्दी के अनुवाद में गड़बड़ी है अतः जैसा है वैसा ही रखा जाय और अंग्रेजी का ठीक अनुवाद कराया जाय।

श्री अवधेश प्रताप सिंह---मान्यवर, मैं श्री जयराम जी वर्मा के संशोधन का समर्थन करन केलिये खड़ा हुआ हूं। मुझे आश्चर्य होता है जबकि श्री नवलकिशोर जी इस तरह की दलील सदन में देते हैं। यह सच है कि जब अवधि पांच साल की थी तो उस समय आपने प्रावीजन रखा था कि सरकार को हक नहीं होगा कि एक साल से अधिक अवधि बढ़ा सके लेकिन जब उन्होंने संशोधन स्वीकार कर लिया और इसका समय केवल तीन वर्ष का रह गया तो यह विधेयक से असंगत नहीं है बल्कि कनफार्मिटी में है और संगत है और दो साल का आप सरकार को अधिकार दे रहे हैं जहां पर नियंत्रण के रूप में नहीं बल्कि सरकार का उसमें भरोसा नहीं है। जो उन्होंने कहा है इसके माने तो यह हैं कि सेल्फ कंडेमनेशन नहीं है, उनमें आत्म निर्भरता नहीं है, उनमें आत्म विश्वास नहीं है जब कि हम अधिकार देते हैं कि दो साल तक बढ़ा सकते हैं तो फिर यह कहना कि एक साल की होनी चाहिये। माननीय जयराम जी का अभिप्राय था लेकिन हम आपके ऊपर नियंत्रण नहीं रखना चाहते हैं जिसमें भविष्य में आपके लिये अधिक लाभदायक सिद्ध न हो सके।

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि परिस्थिति यह हो सकती है जब कि आप समझें कि जो संशोधन स्वीकार किया है वह सही चीज न थी तो विशेष परिस्थिति में आपके पास अधिकार होगा कि आप इस बोर्ड की अवधि दो साल के लिये बढ़ा सकें। एक बार में एक साल से अधिक न बढ़ाकर दो बार बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी चीज है कि संभवतः आज यह मालूम हो रहा है कि ठीक है, तीन साल में दो बार अवसर प्रदान होना चाहिये औद्ध सरकारी कर्मचारियों को तथा सरकार को पता लग सके कि दो बार सुविधा प्राप्त होगी और लाभ उठा सकें तो कहीं इसके पीछे हानि न उठायें। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि माननीय जयराम जी वर्मा का संशोधन स्वीकार किया जाय। तो मेरा यह प्रस्ताव है कि इस खंड में उसको बहाल रखता हूं और उन्होंने जो संशोधन पेश किया है उसकी मुखालिफत करता हूं।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
३० अगस्त, १९५६।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२१ पर)

Villages selected for Rural Income Inquiry

Serial no.	Districts	Villages	
		First village	Second village
1	Dehradun	.. Mehunwala Muafi	Nironjanpur;
2	Saharanpur	.. Sherpur Khanazadpur	Libberheri
3	Muzaffarnagar	.. Titawi	Titauli
4	Meerut ..	.. Reori ..	.. Wait
5	Bulandshahar	.. Jatpura	.. Girdharpur Newada
6	Aligarh ..	.. Simthala	.. Nohti
7	Mathura ..	.. Piprauli	.. Islampur
8	Agra ..	.. Jamalnagar Bhains	Pharera
9	Mainpuri ..	.. Jeoti ..	.. Mohabbatpur
10	Etah ..	.. Etah (Rural)	.. Jaithra
11	Bareilly ..	.. Sardarnagar	.. Yakubpur
12	Bijnor ..	.. Siau ..	.. Amkhera Shanjarpur
13	Badaun	.. Tilokpur	.. Ladhera;
14	Moradabad;	.. Sadarpur Matlabpur.	Baldana Hirasingh
15	Rampur ..	.. Mansurpur	.. Dhanaili (North)
16	Shahjahanpur	.. Chaurasi	.. Raghopur Sikandpur
17	Pilibhit ..	.. Andaha	.. Nasrullapur
18	Farrukhabad	Nekpur Kalan	.. Khanpur
19	Etawah ..	.. Miwari Kalan	.. Pali Khurd
20	Kanpur ..	.. Harni ..	.. Katra
21	Fatehpur ..	.. Bijauli	.. Musafa
22	Allahabad..	.. Narainpur	.. Kuwandih
23	Jhansi ..	.. Pahari Buzarg	.. Pali
24	Jalaun ..	.. Ait ..	.. Chhani Khas
25	Hamirpur	.. Jaitpur	.. Aunta
26	Banda ..	.. Chamraha	.. Bansi
27	Banaras ..	.. Khajuri	.. Pharsand Mohanpur
28	Mirzapur ..	.. Barkara ..	.. Phulwari
29	Jaunpur ..	.. Tej Pur	.. Rampur
30	Ghazipur	.. Bali Chauki	.. Barhi
31	Ballia ..	.. Tanda T. Shatwar	Meondi Kalan
32	Gorakhpur	.. Rakhokhar	.. Gaura Khas
33	Deoria ..	.. Dehwa	.. Tamkohi
34	Basti ..	.. Chhitauna	.. Mahtha
35	Azamgarh..	.. Julahpur	.. Kopaganj
36	Naini Tal ..	.. Gangarampur;	.. Kaila Khera
37	Almora ..	.. Uprahri	.. Bargal
38	Garhwal ..	.. Kothar	.. Mado
39	Tehri Garhwal	.. Kot ..	.. Jogaina
40	Lucknow ..	.. Barisalpur	.. Ramhatnagar
41	Unnao ..	.. Langerpur	Jagaitha
42	Rae Bareli	.. *Rampur Mohiud-* din pur.	,,

Serial no.	Districts	Villages	
		First village	Second village
43	Sitapur ..	.. Kaitha Bhari ..	Hasnapur
44	Hardoi ..	.. Padra Lakhanpur ..	Sikruri
45	Kheri ..	.. Nagra Salimpur ..	Sohak
46	Faizabad ..	.. Barhi	Makrahi
47	Gonda ..	.. Bishambharpur ..	Talaganj Grant
48	Bahraich ..	.. Keshwapur ..	Athaisa
49	Sultanpur	.. Mangrawan ..	Thenga
50	Pratapgarh	.. Naurera; ..	Sangrampur
51	Barabanki ..	.. Bilhara ..	Derehra

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ २२७ पर)

ता० १-१-५४ से ता ३०-६-५६ तक

जिला सुल्तानपुर में पड़े डाकों का विवरण

क्र०सं०	स्थान जहां डाका पड़ा	डाके की तारीख	डाकों की संख्या	पकड़े गये लोगों की संख्या	दंडित लोगों की संख्या	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७
		१९५४				
१	ग्राम अमनजसरपुर, थाना कूड़ेभार	५/६-१-५४	१	१५	३	..
२	ग्राम बकसगढ़, थाना गौरीगंज	१३/१४-१-५४	१	२१	..	..
३	ग्राम अहरवापुर, थाना रायपुर	२४/२५-२-५४	१	२३	११	..
४	ग्राम लथाहापुर, थाना गौरीगंज	२७/२८-२-५४	१	१३	६	..
५	ग्राम हरीपुर, थाना कोठवाली	१५/१६-८-५४	१	१२	७	..
६	ग्राम जमोरिया, थाना मुसाफिरखाना	२३/२४-८-५४	१	१३	..	..
७	ग्राम लोहार दक्खिन, थाना कोतवाली	२५-९-५४	१	६	२	..
८	ग्राम हाजीपुर, थाना कादीपुर	२४/२५-९-५४	१	१०	..	..
९	ग्राम सुखई बाजगढ़, थाना जगदीशपुर	२५/२६-१०-५४	१	१३	१	..
१०	ग्राम जाथूपुर, थाना लम्भुवा	२९/३०-११-५४	१	१३	८	..
११	ग्राम भलवाही, थाना कादीपुर	१५-१२-५४	१	६	..	..
१२	ग्राम उसका मऊ, थाना बल्दीराय	२२/२३-१२-५४	१	१६	१०	..
		योग ..	१२	१६१	४८	..

क्रम सं०	स्थान जहां डाका पड़ा	डाके की तारीख	डाकों की संख्या	पकड़े गये लोगों की संख्या	दंडित लोगों की संख्या	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६	७
		१९५५				
१	ग्राम बाबूपुर, थाना जगदीश पुर ..	२२/२३-४-५५	१	१२	३	..
२	ग्राम महमूदपुर सिमरी, थाना जयसिंहपुर	३०/३१-५-५५	१	८	२	..
३	ग्राम मैथिया, थाना जगदीशपूर ..	१४/१६-६-५५	१	१७	..	यह मामला न्यायालय में चल रहा है।
४	ग्राम बेला, थाना मुसाफिरखाना	४/५-८-५५	१	११	..	..
५	ग्राम नगेश्वर गंज, थाना मुसाफिरखाना	१७-१०-५५	१	३	..	..
६	ग्राम बिररामपुर, थाना गौरीगंज ..	१६/१७-११-५५	१	१८	..	..
	योग ..		६	६९	५—	..
		१९५६ में ३० जून तक				
१	ग्राम बेलखारी, थाना रायपुर ..	१३/१४-३-५६	१	१७		यह मामला अभी न्यायालय में चल रहा है।
२	ग्राम बकसगढ़, थाना गौरीगंज ..	२०/२१-३-५६	१	१३	..	..
३	ग्राम मुदिलाडीह, थाना कादीपुर ..	४/५-६-५६	१	१०		इस मामले के ६ अभियुक्तों का मामला न्यायालय में है तथा ४ अभियुक्तों के बारे में अभी जांच हो रही है।
४	ग्राम सोराबा, थाना बेल्दीराय ..	८/९-६-५६	१	३		यह मामला अभी न्यायालय में चल रहा है।
	योग ..		४	४३	..	

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७–३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२६ पर)

१–७–५६ से ३१–७–५६ तक गोंडा जिला के थाना बजीरगंज और थाना कोतवाली में हुये कत्लों का विवरण।

१–७–५६ से ३१–७–५६ तक गोंडा जिले के थाना बजीरगंज और थाना कोतवाली में केवल एक एक कत्ल हुआ। इन दोनों कत्लों के बारे में पूर्ण सूचना इस प्रकार है।

थाना बजीरगंज—१ कत्ल पैंडराही ग्राम निवासी श्री हर प्रसाद सिंह को बन्दूक से मारा गया। कारण यह बतलाया जाता है कि उन्होंने एक अभियुक्त के विरुद्ध धारा ४५७ ता० हि० और ११० जा० फौ० के मामलों में गवाही दी थी जिसके फलस्वरूप उसको सजा हो गयी थी। कत्ल की रिपोर्ट में किसी को नामजद नहीं किया गया था। जांच से २ अभियुक्तों का पता चला किन्तु दोनों अभी तक फरार हैं।

थाना कोतवाली—१ कत्ल, ग्राम कौरिगा निवासी श्री धर्मराज को लाठी द्वारा तथा गला घोंटकर मारा गया। ऐसा अनुमान है इसका कारण आशनाई था। रिपोर्ट में किसी को नामजद नहीं किया गया था। जांच के फलस्वरूप माता प्रसाद, गुरू प्रसाद, राम उजागर और अशरफी लाल नाम के चार व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। जांच अभी जारी है।

संसद पुस्तकालय

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १७६ एल० ए० १९५६—७९६।